VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अक्टूबर - 2016

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था *7*

1.1. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II का निर्णय 7

1.2. चयन का अधिकार 8

1.3. भारत में चुनाव 9

1.3.1. धर्म एवं चुनाव 9

1.3.2. सशस्त्र बलों के लिए ई-डाक मतदान प्रणाली 10

1.4. जनमत संग्रह की प्रासंगिकता और उपयुक्तता 10

1.5. राज्यसभा में संयुक्त समूह 11

1.6. एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल 12

1.7. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 12

1.8. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 13

1.9. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 14

1.10. सेना से जुड़े समता सम्बन्धी मुद्दे 14

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध *16*

2.1.चीन-पाक धुरी 16

2.2.भारत-भूटान 16

2.3. भारत-आसियान 16

2.4.भारत-सिंगापुर 19

2.5. भारत-रूस संबंध 19

2.6. बिम्सटेक 20

2.7. ब्रिक्स 21

2.7.1 ब्रिक्स का आठवां शिखर सम्मलेन 21

2.7.2. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी 22

2.7.3. एक्जिम बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन 22

2.8. परमाणु निरस्त्रीकरण 23

2.9. निरस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति 24

2.10. भारत और AARDO के बीच समझौता ज्ञापन 24

2.11. मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा 25

2.12. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय 25

2.13. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 26

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था *27*

3.1. बैड बैंक का विचार 27

3.2. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ 28

3.3. परियोजना इनसाइट 29

3.4. IMF का नवीन वृद्धि पूर्वानुमान 29

3.5. स्वदेशी रक्षा उत्पादन: रिलायंस एवं डसॉल्ट एविएशन का संयुक्त उपक्रम 30

3.6. भारतीय पुल प्रबन्धन प्रणाली 30

3.7. चेन्नई में भारत का पहला मेडीपार्क 31

3.8. विद्युत पारेषण योजना निर्माण 31

3.9. पेन्शन उत्पादों का विनियमन 32

3.10. इथेनॉल मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन 32

3.11. कृषि विकिरण केंद्र 33

3.12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र और शून्य दोष-शून्य प्रभाव योजना आरंभ 33

3.13. कृषि उपज में विकल्प 34

3.14. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार 35

3.15. खनन निगरानी प्रणाली 35

3.16. AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता 36

3.17. कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक 37

3.18. क्षेत्रीय कनेक्टविटी योजना 'उड़ान' का शुभारम्भ 38

3.19. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 40

3.20. CSR व्यय में रुझान 41

3.21. ऊर्जा गंगा परियोजना 41

3.22. किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 42

3.23. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग 43

3.24. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 44

4. समाजिक मुद्दे *46*

4.1. लिंग संबंधी मुद्दे 46

4.1.1. विश्व आर्थिक फोरम (WEF) की लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का 87वां स्थान 46

4.1.2. जननी सुरक्षा योजना 47

4.1.3. घरेलू हिंसा अधिनियम में परिवर्तन 47

4.1.4. मुस्लिम पर्सनल लॉ: सुधार की आवश्यकता 48

VISION IAS

4.2. सुभेद्य वर्ग 49
4.2.1. भारत में वृद्ध 49
4.2.2. वयोश्रेष्ठ सम्मान 49
4.2.3. एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2014 में संशोधन 50
4.3. स्वास्थ्य और रोग 51
4.3.1. डेंगू और चिकनगुनिया 51
4.3.2. कुष्ठ रोग 53
4.2.3. वैश्विक टीबी रिपोर्ट 54
4.4. शिक्षा 55
4.4.1. राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी 55
4.4.2. शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा 55
4.5. विविध 56
4.5.1. शराब पर रोक 56
4.5.2. स्वच्छ भारत मिशन: द्वितीय वर्षगांठ 57
4.5.3. भारत में खुले में शौच 58
4.5.4. चीनी कर 59
4.5.5. वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत के रैंक में सुधार 60
4.5.6. बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राजस्थान का अभियान 61
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 62
5.1. चिकित्सा/ फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 62
5.2. 2016 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 62
5.3. रसायन विज्ञान 2016 में नोबेल पुरस्कार 63
5.4. समुद्र में तेल रिसाव (ऑयल स्पिल) का समाधान 64
5.5. हिमांश 64
5.6. हाइपरइलास्टिक बोन 65
5.7. GSAT 18 उपग्रह लॉन्च किया गया 65
5.8. ICGS पोत सम्मिलित 66
5.9 विज्ञान अनुसंधान में सर्वाधिक वृद्धि वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान 66
5.10. बायोटेक-किसान एवं पशु जीनोमिक्स 67
5.11. भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा स्थिर सौर सेलों का निर्माण 67
6. सुरक्षा 69
6.1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय 69
6.2. बिटक्वायन जब्त 69

VISION IAS

6.3. वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली....70
6.4. काले धन पर अंकुश लगाने हेतु SIT द्वारा पी-नोट्स आंकड़ों की छानबीन....71
6.5. बैंकों में साइबर सुरक्षा: डेबिट कार्ड के डेटा की चोरी का मामला....71
6.6. स्टार्टअप वित्तपोषण के लिए साइबर सिक्यूरिटी प्लेटफ़ॉर्म....72
6.7. ब्रह्मोस की रेंज दोगुनी की जाएगी....73
6.8. भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास....73
7. पर्यावरण....74
7.1. नया शहरी एजेंडा - हैबिटेट - III....74
7.2. किगाली समझौता....75
7.3. अंटार्कटिक परिध्रुवी अभियान....77
7.4. भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सावधानियों पर NDMA के दिशानिर्देश....78
7.5. WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2016....79
7.5.1. एन्थ्रोपोसीन युग - मानव-प्रभावित काल....79
7.6. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की....81
7.7. नीरधुर....81
7.8. आंतरिक कार्बन मूल्य....81
7.9. भारत का प्रथम 'हरित गलियारा'....82
7.10. कश्मीर के लाल हिरण....82
7.11. विश्व का विशालतम समुद्री पार्क....83
7.12. समुद्री शैवाल की कृषि....84
7.13. उत्तर-पश्चिमी भारत के पैलियो चैनल पर रिपोर्ट....85
8. संस्कृति....86
8.1. राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव....86
8.2. साहित्य में 2016 का नोबेल पुरस्कार....86
8.3.पंडित दीन दयाल उपाध्याय....86
8.4. सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान....87
8.5. हरिकथा....87
8.6. अल्पना लोक कला....88
8.7. कबड्डी विश्व कप....88
9. नीतिशास्त्र....89

VISION IAS

9.1. नाशक जीवों से संबंधित मुद्दे 89
9.2. न्याय बनाम शांति 89
10. सुर्ख़ियों में 93
10.1. राजव्यवस्था 93
10.1.1. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) 93
10.1.2. एम्प्लॉइज ऑनलाइन मोबाइल एप्प 93
10.1.3. आयुर्वेद के प्रथम राष्ट्रीय दिवस का आयोजन 94
10.2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध 94
10.2.1 संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का भाषण 94
10.3. अर्थव्यवस्था 94
10.3.1. ओपेक द्वारा सामूहिक उत्पादन सीमित करने का निर्णय 94
10.3.2. OROP पर जस्टिस रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 95
10.3.3. दिवाला और दिवालियापन बोर्ड 95
10.3.4. सागर पत्तन (Sagar Port) 95
10.3.5. स्वचालन के चलते भारत में 69% रोजगारों को खतरा: विश्व बैंक 95
10.4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 95
10.4.1.पॉइंट निमो- पृथ्वी पर अगम्यता का बिंदु 95
10.5. पर्यावरण 96
10.5.1. नीलकंठ (इन्डियन रोलर बर्ड) 96
10.5.2.भारत और श्रीलंका का तेल रिसाव को रोकने के लिए संयुक्त अभ्यास 96
10.5.3. पीका की नई प्रजाति की खोज 96
10.5.4. तमिलनाडु, स्थानिक पुष्प वाले पौधों की सूची में अव्वल 97
10.5.5 वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका में मीथेन के 500 समुद्रतलीय छिद्र प्राप्त किये गए 97
10.5.6. स्मूथ कोटेड औटर 97

VISION IAS

1. राजव्यवस्था

(POLITY)

1.1. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II का निर्णय

(Krishna Water Disputes Tribunal II Verdict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- न्यायमूर्ति बृजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा जल न्यायाधिकरण II ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कृष्णा नदी के जल के चार तटवर्ती राज्यों के बीच पुनर्वितरण की मांग को ठुकरा दिया है। ये चार राज्य - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।

पृष्ठभूमि

- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण I (KWDT I) केंद्र सरकार द्वारा 1969 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश के बीच विवाद को हल करने के लिए स्थापित किया गया था।
- 1973 में KWDT I (बछावत आयोग) ने अपने अंतिम निर्णय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों राज्यों के बीच जल की हिस्सेदारी का बँटवारा किया।
- अप्रैल 2004 में, मुख्य रूप से अलमाटी बांध की ऊंचाई के मुद्दे पर सभी तीन राज्यों द्वारा अनुरोध के बाद भारत सरकार द्वारा KWDT II का गठन किया गया था।
- KWDT II ने 31 दिसंबर 2010 को अपना मसौदा निर्णय दिया। KWDT II ने जल के आवंटन की अगली समीक्षा वर्ष 2050 के बाद होने का फैसला दिया।

मौजूदा मामला क्या है?

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी मौजूदा याचिका में सभी चार तटवर्ती राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के पुनःआवंटन की मांग की है।
- उनके मुताबिक, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में धारा 89 सभी चार तटवर्ती राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल के पुनर्वितरण का प्रावधान करती है, न कि सिर्फ उन दोनों के बीच।

निर्णय

- न्यायाधिकरण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 89 महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए लागू नहीं होती।
- कृष्णा बेसिन के बाहर जल अनुप्रयोगों के आधार पर किये गए आवंटन ऐतिहासिक आधार पर मान्य हैं।
- AP और तेलंगाना को अविभाजित AP के लिए आवंटित जल को ही साझा करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम।
- तेलंगाना द्वारा दावा किया गया कि AP का बँटवारा कृष्णा नदी के जल के असमान आवंटन के कारण हुआ था, न्यायाधिकरण ने इसे ख़ारिज कर दिया।
- न्यायाधिकरण ने कहा कि AP जल के असमान वितरण के कारण विभाजित नहीं हुआ था, बल्कि तेलंगाना के लोगों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए विभाजित हुआ था।

आगे की राह

- एक समाधान जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाना हो सकता है। मिहिर शाह रिपोर्ट के अनुसार नदियों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय जल प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है।
- केंद्र निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यह भूमिका अदालतों द्वारा नहीं निभाई जा सकती, क्योंकि यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसके राजनीतिक परिणाम होंगे।
- जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस विषय को समवर्ती सूची में लाने की आवश्यकता बताई है।
- इसने जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाने के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सहमति बनाने हेतु "गंभीर" प्रयास आरम्भ करने का आग्रह भी किया, ताकि जल संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा सके।

VISION IAS

1.2. चयन का अधिकार

(Right to choose)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, *बिहार राज्य बनाम भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ* (2016) मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में मादक पदार्थों पर लगाए गए 'निषेध' को असंवैधानिक करार दिया।

पृष्ठभूमि

- बिहार सरकार ने बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत एक अधिसूचना जारी कर एल्कोहल के विनिर्माण, बिक्री और वितरण तथा साथ ही इसके उपभोग या संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इसके साथ ही इसके द्वारा ऐसे मामलों में अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी गयी। यह पूर्व प्रचलित विधि के विपरीत है।
- हालांकि उच्चतम न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी तथा बिहार में एक कठोर निषेध कानून को बनाए रखने की अनुमति दी।

पटना उच्च न्यायालय के फैसले का महत्व

- इस मामले में पहली बार एक संवैधानिक न्यायालय ने इस प्रकार की निषेधाज्ञा द्वारा एक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रश्न को संबोधित किया।
- इसका अर्थ यह है कि ये बहस सिर्फ निर्माताओं और डीलरों के व्यापार करने के अधिकार के बारे में नहीं थी, अपितु इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न भी निहित है।

चयन की स्वतंत्रता के विषय में उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में उठने वाले मुद्दे

- अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण काफी हद तक चतुर्थ भाग में निहित सामाजिक आर्थिक अधिकारों को समाहित करने पर आधारित है। लेकिन यह किसी व्यक्ति के अच्छे जीवन को निर्धारित करने में उसके स्वयं के निर्णय के अधिकार पर ध्यान नहीं देता।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा कई बार चयन के अधिकार का उल्लेख तो किया गया है, परंतु उसकी एक निश्चित संकल्पना नहीं निर्धारित की गयी है।

✓ उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय ने *सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2014)* के मामले में नाज़ फाउंडेशन के इस तर्क पर विचार करने से भी इनकार कर दिया कि LGBTQ समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के अपने अधिकार भी हो सकते हैं।

✓ यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद आया था जिसमें स्वैच्छिक समलैंगिक संबंधों को इस आधार पर विधिमान्य माना गया था कि इस पर रोक लगाने का अर्थ व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जोकि व्यक्ति के जीवन के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। यहाँ निजता के अधिकार का अर्थ विशेष रूप से यौन सहभागी के चयन के सन्दर्भ में निर्धारित किया गया है।

चयन का अधिकार व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जिसका आशय है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े उसके निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि वो समाज के लिए कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा/रही हो।

चयन के अधिकार से सम्बंधित अन्य निर्णय

- बंबई उच्च न्यायालय ने *शेख जाहिद मुख्तियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016)* के मामले में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि ये व्यक्ति के अपने निजी जीवन में अपनी रूचि के भोजन का उपभोग करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- बंबई उच्च न्यायालय ने *उच्च न्यायालय के स्वयं के प्रस्ताव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016)* के मामले में यह निर्धारित किया कि किसी महिला को 'चयन (choice)' के आधार पर उसे गर्भपात करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, भले ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 केवल इस आधार पर गर्भपात की अनुमति देता है कि गर्भावस्था महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

- कानून के शासन और मौलिक अधिकारों के अंतिम न्यायकर्ता के रूप में अपनी भूमिका में, सुप्रीम कोर्ट कोअनुच्छेद 21 के संबंध में अपने पूरे दृष्टिकोण को फिर से परखने का उपयुक्त समय आ गया है।
- उदाहरण के लिए, यह इस मुद्दे पर, चयन के अधिकार को सार्थक जीवन जीने की आवश्यकता के रूप में समझ कर एक अधिक सरल दृष्टिकोण अपना सकता है।

1.3. भारत में चुनाव

(Elections In India)

1.3.1. धर्म एवं चुनाव

(Religion and Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ, वर्ष 1995 में दिए गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है, एवं इसने प्रश्न उठाया है कि क्या नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर धार्मिक अपील के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए मत याचना, भ्रष्ट चुनावी परिपाटी के समान नहीं है?

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ऐसे उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहा है जिनके द्वारा चुनाव संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए जनसमूहों के धर्म या आस्था के दुरुपयोग को भ्रष्ट प्रथा के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
- यह मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय पर अपने प्रभाव का उपयोग करने को प्रवृत्त करने हेतु पुरोहितों एवं धर्माध्यक्षों को नियोजित करने से संबंधित राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की चुनावी परिपाटियों पर भी ध्यान दे रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1995 के निर्णय में यह माना था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत 'हिन्दुत्व' के नाम पर मत-याचना भष्ट चुनावी प्रथा नहीं है, क्योंकि हिन्दुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि भारत में एक जीवन शैली है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) 'किसी उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मतदान करने या किसी किसी व्यक्ति के लिए मतदान करने से विरत रहने के लिए की जाने वाली अपील' को चुनावी अपराध मानती है।

महत्व

इसे 1995 के निर्णय को अप्रभावी क्यों करना चाहिए:

- धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने का प्रयास करना हमारे लोकतंत्र में चुनावों की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किसी भी रंग एवं स्वरूप के रुढ़िवाद को कठोर उपायों के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- पीठ के अनुसार "चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता एक मूलभूत विशेषता है।" इसलिए न्यायालय इसे वरीयता प्रदान करने के लिए विवश है।
- धर्म के नाम पर मत-याचना अल्पसंख्यकों, स्वतंत्र विचारकों, अनीश्वरवादियों इत्यादि को अलग-थलग कर सकती है एवं उनमें गहरी असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर सकती है।
- न्यायपीठ के एक न्यायधीश, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे के अनुसार, मतदाताओं को उनकी धार्मिक पहचान एवं प्रश्नगत उम्मीदवार की आस्था के बीच समानता ढूंढने या विभेद करने के लिए दवाब देकर प्रेरित किया जाता है।
- एकता एवं विविधता के विरुद्ध: 'हिन्दुत्व' शब्द को 'भारतीयता' के पर्यायवाची अर्थात् देश में विद्यमान सभी समकालीन संस्कृतियों के बीच भेदों को मिटाकर एक समान संस्कृति के विकास के रूप में प्रयोग किया जाता एवं समझा जाता है।

इसे यथास्थिति क्यों बनाए रखनी चाहिए

- **न्यायिक अतिक्रमण**: प्रावधान 123 (3) की समीक्षा संसद का अधिकार क्षेत्र है।

✓ हिन्दुत्व को एक जीवन शैली निर्धारित किए जाने के पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत इस व्याख्या के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अनभिप्रेत रूप से सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया की साफ-सफाई कर दी जा सकती है जो कार्य वस्तुत: संसद का कार्य है।

- ✓ चुनावी प्रक्रिया जाति एवं धर्म के मुद्दों से अत्यधिक रूप से अंतर्संबधित है। इसलिए यह राजनीतिक प्रश्न है एवं संसद को स्वयं ही इसका समाधान करना है।
- **वास्तविकता के निकट:** जाति एवं धर्म को समाहित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक वास्तविकता है। इसे भ्रष्टाचार के रूप में निरूपित करना वास्तविकता के निकट नहीं हो सकता। इससे व्यापक स्तर पर इसकी अवहेलना हो सकती है। परिवर्तन क्रमिक रूप से वृद्धिशील होना चाहिए एवं यह परिवर्तन समाज से ही उत्पन्न होना चाहिए।
- **कई विसंगतियों को संसदीय विधानों की आवश्यकता है:** उदाहरण के लिए, धारा 123 इस विषय में मौन है कि क्या जैन या अनीश्वरवादी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांग सकता है।

आगे की राह

- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हिन्दू धर्म के अंतर्गत भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। अपने राजनीतिक लाभों के लिए 'हिन्दुत्व' का दुरुपयोग करने के स्थान पर इसकी मूल भावना को समझा जाना चाहिए।
- हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश एवं मध्य-पूर्व के देश धार्मिक संघर्षों के कारण छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। उस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए, भविष्य में 'हिन्दुत्व' शब्द का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहिष्णुता एवं शान्ति के आधारभूत मूल्यों को हिन्दुत्व के मूलभूत मूल्य अवयवों के रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए।

1.3.2. सशस्त्र बलों के लिए ई-डाक मतदान प्रणाली

(E-Postal Ballot System for Armed Forces)

- सीमा पर एवं सुदूर क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले सशस्त्र बलों के सेवाकर्मी चुनावों के दौरान अपने मूलनिवास क्षेत्रों में मतदान नहीं कर पाते हैं। डाक मतदान एवं प्रॉक्सी मतदान की वर्तमान प्रणाली अपर्याप्त एवं विलम्ब उत्पन्न करने वाली है।
- इससे पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय ने *नीला गोखले बनाम भारत संघ* (2013) के मामले में सरकार एवं चुनाव आयोग से इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रभावी क्रियाविधि की खोज करने हेतु प्रयत्न करने को कहा था।
- इसके आलोक में, चुनाव आयोग ने ई-डाक मतदान प्रणाली प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत सेवाकर्मी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिक्त डाक मतपत्र प्रेषित किया जाएगा। वे इसके द्वारा मतदान कर सकेंगे एवं निर्वाचन अधिकारी को पोस्ट कर सकेंगे।
- यह एक–पक्षीय इलेक्ट्रॉनिक संचार, विलम्ब को कम करने में सहायक होगा।
- निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा एवं गोपनीयता के कारणों से द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक संचार की अनुशंसा नहीं की गयी है।

1.4. जनमत संग्रह की प्रासंगिकता और उपयुक्तता

(Relevance and Suitability of 'Referendum')

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहना चाहिए या नहीं पर ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह, 52 प्रतिशत(72.2 प्रतिशत मतदाताओं ने प्रतिभाग किया) मतदान के साथ "नहीं बने रहना चाहिए" के पक्ष में 23 जून को संपन्न हुआ।
- हाल ही में कोलम्बिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों (FARC) के साथ समझौते की पुष्टि करने के लिए **कोलंबिया सरकार** द्वारा घोषित **2 अक्टूबर जनमत संग्रह** का परिणाम 50.3 प्रतिशत वोट, जिसमें लगभग 38 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया, के साथ "नहीं" के पक्ष में प्राप्त हुआ।
- पिछले वर्ष **स्कॉटलैंड के ब्रिटेन में रहने पर एक जनमत संग्रह** में, स्कॉटलैंड ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए निर्णय किया।

जनमत संग्रह क्या है?

- जनमत संग्रह, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है जहाँ नागरिक को प्रतिनिधियों, जो उनके स्थान पर कार्य करते हैं, हेतु मतदान करने के बजाय विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे मतदान करने का मौक़ा मिलता है।
- इन्हें विशेष रूप से आधुनिक राज्यों में एक बेहतर लोकतांत्रिक साधन माना जाता है। जहां लोगों की निर्णय लेने में एक बेहतर भूमिका होती है।

क्या यह एक सही लोकतांत्रिक उपकरण है?

सम्पूर्ण विश्व में विशेष रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनमत संग्रहों की स्वीकृति में वृद्धि के आलोक में, भारत में भी जनमत संग्रहों की मांग आरम्भ हो गयी है ।

पक्ष में तर्क:

- यह सच्चे लोकतंत्र का एक रूप है, क्योंकि यह सीधे लोगों को शक्ति प्रदान करता है।
- जनमत संग्रह, कठिन विधायी निर्णयों को वैधता प्रदान करने में सहायक होते हैं क्योंकि इसके बिना कोई भी अलोकप्रिय निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है।
- जनमत संग्रहों की बढ़ती मांग(यूरोपीय संघ के 18 देशों में 32), विभिन्न मुद्दों पर लोगों की बढ़ती हताशा को प्रदर्शित करती है। इससे पहले यह हताशा, विरोध प्रदर्शन, विद्रोह और यहां तक कि हिंसा का रूप ले लिया करती थी। अब जनमत संग्रह द्वारा परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से लाया जा सकता है।

विपक्ष में तर्क:

- **बहुमत की निरकुंशता**: उदाहरण के लिए, वर्ष 2009 में स्विट्जरलैंड में मस्जिद मीनारों के निर्माण से सम्बंधित मुद्दे पर एक जनमत संग्रह में, लोगों ने इनके निर्माण के खिलाफ मतदान किया। इसका मुख्य कारण यह था कि लोगों का बहुमत इस बात के प्रति आश्वस्त था कि यह एक इस्लामी अतिक्रमण (Islamic invasion) है जबकि संपूर्ण देश में इनकी संख्या केवल 4 थी।
- यह जटिल प्रश्नों को सरल 'हाँ या नहीं' उत्तर देने तक सीमित कर देता है। साक्ष्यों के पर्याप्त समर्थन के बिना तर्क, लोकप्रिय भावनाओं और जनोत्तेजनाओं को गति देने के लिए के लिए पर्याप्त हैं जैसे की इस लोकप्रिय विचार कि प्रवासी उनकी आर्थिक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं, ने ब्रेक्ज़िट में वोट देने में भूमिका निभाई। हालांकि, इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था।
- अधिकांशत: मुख्य विधान, लोकप्रिय विचार के खिलाफ जा सकते हैं लेकिन निर्वाचित विधायक अपने ज्ञान के माध्यम से अपने निर्णयों को सही साबित कर सकते हैं जैसे: नस्लीय भेदभाव के खिलाफ; मौत की सजा खत्म करना इत्यादि।

आगे की राह:

- ऐसे निर्णय जो न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपितु आगामी पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं, को जल्दबाजी में या एक बार के जनमत संग्रहों के माध्यम से नहीं लिया जाना चाहिए।
- एक ऐसा तंत्र विकसित किया जा सकता है जोकि सार्वजनिक हस्ताक्षरों की एक बड़ी मात्रा पर आधारित चुनिंदा विधेयकों और अधिनियमों पर वोट करने की मांग पर जनमत संग्रहों को घोषित करता है। यह उपाय न केवल महत्वपूर्ण कानूनों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाता है बल्कि यह उन कानूनों के लिए लोकप्रिय मंजूरी प्राप्त करने का एक साधन बन सकता है। जैसे कि क्या जनता के कल्याण से सम्बंधित कानून जैसे आधारकार्ड को सामाजिक सेवाओं का लाभ उठाने के अनिवार्य बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न जनमत संग्रह में रखा जा सकता है।

1.5. राज्यसभा में संयुक्त समूह

(United Group in Rajya sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रपति ने 22 सांसदों के एक समूह को औपचारिक रूप से राज्यसभा में संयुक्त समूह के रूप में मान्यता प्रदान की। इनमें चार से कम सांसदों वाली पार्टियों से सम्बंधित और कुछ निर्दलीय सांसद शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संसद के इतिहास में यह तीसरी बार है जब ऐसे किसी समूह को मान्यता दी गयी है।
- 1983 में, पहली बार राज्यसभा के तत्कालीन सभापति द्वारा इस तरह के समेकित समूह को मान्यता दी गयी थी। इसे सदस्यों का संयुक्त संघ (United Associations of Members) नाम दिया गया था।
- 1990 में, राज्य सभा के तत्कालीन सभापति ने सांसदों के संगठित समूह को मान्यता प्रदान कर इसका संयुक्त समूह (United Group) के रूप में पुनर्नामकरण किया था।

निर्णय के निहितार्थ

- यह संयुक्त समूह कांग्रेस और भाजपा के बाद राज्यसभा में सांसदों का तीसरा सबसे बड़ा समूह होगा।
- इस समूह को कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee (BAC)) में स्थान प्राप्त होगा। यह समिति समय आवंटन का निर्णय करती है।
- पार्टियों के लिए किसी मुद्दे पर बहस या बात करने के लिए आवंटित समय सदन में उनकी संख्या पर निर्भर करता है। अभी तक अपनी कम संख्या के चलते इस समूह के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए महज़ तीन मिनट का समय मिल पाता था। अतः इस तरह के समूह के निर्माण से राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर बेहतर वाद-विवाद और सभी सदस्यों के विचारों का समावेशन संभव हो सकेगा।

1.6. एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल

(Ek Bharat Shreshtha Bharat Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल का आरम्भ किया गया।

पहल के बारे में:

- यह भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए यह एक **अभिनव उपाय है जिससे विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों** की संस्कृति, परंपराओं तथा प्रथाओं के ज्ञान के माध्यम से **राज्यों के मध्य एक बेहतर समझ एवं संबंध को बढ़ावा** मिलेगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया जाएगा।
- इस योजना के अनुसार, दो राज्य **एक वर्ष के लिए एक अद्वितीय साझेदारी आरम्भ** करेंगे जिसमें सांस्कृतिक और विद्यार्थी आदान-प्रदान को लक्षित किया जाएगा। इस पहल के तहत शुभारंभ के अवसर पर दोनों राज्यों के मध्य 6 सहमति पत्रों (MOUs) पर हस्ताक्षर भी किए गए थे।
- इसमें एक विशेष राज्य का विद्यार्थी, एक-दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करेगा।
- **जिला स्तर पर भी ऐसे जोड़े बनाये जाएंगे** तथा यह राज्य स्तर के जोड़े से स्वतंत्र होंगे।
- वार्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों और जिलों को जोड़ने में यह गतिविधि अत्यधिक सहायक होगी, यह संस्कृति, पर्यटन, भाषा, शिक्षा व्यापार आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को जोड़ेगी।
- नागरिक कई राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रमण कर सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करेंगे और यह महसूस करेंगे कि भारत एक है।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" का उद्देश्य:

- हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का प्रचार करना और इसे बनाए रखना तथा हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधन के ताने-बाने को मजबूत करना।
- राज्यों के बीच एक वर्ष की अवधि वाली योजनाबद्ध भागीदारी द्वारा सभी भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच एक प्रगाढ़ और संरचित भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में लोगों को सक्षम करने के लिए समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीति-रिवाज एवं परंपराओं को प्रदर्शित करना तथा इस प्रकार पहचान की समान भावना को बढ़ावा देना।
- दीर्घकालिक भागीदारी की स्थापना करना तथा ऐसे माहौल का निर्माण करना जो राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और अनुभवों को साझा कर सीखने को बढ़ावा देता है।

महत्व:

- एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार लोगों को बंधन और भाईचारे की स्वाभाविक डोर को आत्मसात करने में सक्षम बनाकर एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करेगा।
- यह योजना विभिन्न सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र हेतु जवाबदेही और स्वामित्व की भावना प्रेरित करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

यद्यपि इस योजना के विशिष्ट प्रावधानों के बारे में अभी भी अस्पष्टता है लेकिन इसके विचार अत्यधिक प्रेरणादायक और दूरदर्शी लगते हैं। इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

1.7. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

(Benami Transactions [Prohibition] Amendment Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी हो गया है।
- इसके बाद, मौजूदा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम को बेनामी संपत्ति का लेनदेन निषेध अधिनियम (PBPT Act) के नाम से जाना जाएगा।

पृष्ठभूमि

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में उचित कार्यान्वयन तंत्र की कमी, अपीलीय तंत्र का अभाव, जब्त संपत्ति को अधिकृत करने के लिए केंद्र के पास किसी प्रावधान का न होना जैसी कई कमियाँ थीं।
- वर्तमान सरकार ने जुलाई 2016 में संसद में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक अब संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आ गया है।

विधेयक की विशेषताएं

- **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में बेनामी धन को स्थान देना तथा बेनामी संपत्तियों को ज़ब्त करना है तथा उन लोगों को दण्डित करना है जो इन संपत्तियों में शामिल रहे हैं।
- अधिनियम बेनामी लेनदेन को परिभाषित करता है, उसका निषेध करता है और PBPT अधिनियम के उल्लंघन के लिए 7 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान करता है।
- यह वास्तविक स्वामी द्वारा बेनामीदार से उस संपत्ति की पुनर्प्राप्ति पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जिसे बेनामी संपत्ति घोषित किया गया है।
- सरकार द्वारा बेनामी घोषित की गई संपत्ति को बिना मुआवज़े का भुगतान किये ज़ब्त किया जा सकता है।
- **निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण** के रूप में PBPT अधिनियम के तहत एक अपीलीय तंत्र की व्यवस्था की गई है।
- निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को मनी लांड्रिंग निषेध अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों की समान तर्ज़ पर अधिसूचित किया गया है।

महत्व

- इस कानून का देश में रियल एस्टेट उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा।
- ✓ यह संपत्ति लेनदेन में सही नाम शामिल करने के व्यवहार को बढ़ाएगा और परिणामस्वरुप आवासीय बाजार में पारदर्शिता आएगी।
- ✓ कठोर कानून रियल एस्टेट की कीमतों को भी नीचे लाएंगे क्योंकि इस तरह के लेनदेन अक्सर नकदी से संपन्न निवेशकों द्वारा किये जाते हैं ताकि वे रियल एस्टेट में अपनी बेनामी संपत्ति को ठिकाने लगा सके।
- यह ऋणदाता बैंकों और निजी व्यक्तियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

1.8. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

(Sexual Harassment at Workplace)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
- इस दौरान यह परिलक्षित हुआ कि इस अधिनियम को लागू करने के तरीके एवं कार्यान्वयन के नतीजे के मामले में कई कमियाँ थीं।

बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कदम

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की जाएगी।
- यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान की प्रगति की समीक्षा तथा एक मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगी।
- समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी मंत्रालयों/विभागों की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee: ICC) के प्रमुखों को शिकायतों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम के तहत सरकार की किसी भी महिला कर्मचारी की शिकायत दर्ज करने के लिए, एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना की जाएगी।
- यह अधिनियम के तहत एक पारदर्शी एवं अनुवीक्षण योग्य शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम बनाएगा।
- प्राप्त शिकायतों, उनके निपटान तथा लंबित मामलों एवं कार्यवाहियों की संख्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट देना।
- यह भी निर्णय लिया गया कि अधिनियम में निहित एक महिला अधिकारी के अधिकारों और ICC की जिम्मेदारियों के विषय में मंत्रालयों/विभागों/संलग्न कार्यालयों की वेबसाइटों सहित विभिन्न तरीकों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- अक्सर यह देखा जाता था कि महिलायें बाहर आकर तभी शिकायत दर्ज करती हैं जब लम्बे समय तक उनका उत्पीड़न होने के बाद एक समय यह उनके लिए असहनीय हो जाता है। यह समाप्त होना चाहिए।

- महिलाओं को जल्द से जल्द यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बेहतर कार्य संस्कृति, मुद्दे और निवारण मंचों की उपलब्धता के बारे में बेहतर जागरूकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- ICC को कम से कम समय में शिकायत पर निर्णय देना चाहिए।

1.9. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

(Western Zonal Council Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2016 में आयोजित की गई।
- क्षेत्रीय परिषदों को अर्थव्यवस्था और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सिफारिशें देने का अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त है।

महत्व

- क्षेत्रीय परिषद इन राज्यों के बीच सहकारी तरीके से काम करने की प्रवृत्ति विकसित करने में मदद करती है। बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न पहलुओं और एजेंडे से राज्यों के बीच सौहार्द्र में वृद्धि होगी।
- क्षेत्रीय परिषदें अंतर-राज्यीय समस्याओं को सुलझाने और संबंधित क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ स्वस्थ अंतर-राज्य और केन्द्र-राज्य संबंध के विकास को भी सुगम बनाएंगी।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में

- क्षेत्रीय परिषदों का विचार राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की रिपोर्ट पर बहस के दौरान उभरा।
- पंडित नेहरू की दृष्टि के आलोक में, पांच क्षेत्रीय परिषदों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया (क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं हैं, वे सांविधिक निकाय हैं)

✓ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
✓ केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद
✓ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
✓ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
✓ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

- पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय (vii) नगालैंड और (viii) सिक्किम क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं और उनकी विशिष्ट समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद द्वारा देखा जाता है, जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित है।

1.10. सेना से जुड़े समता सम्बन्धी मुद्दे

(Parity Issues Related to Army)

मुद्दे के विषय में: सेना में दो प्रकार की असमानताएँ होती हैं:

- कॉम्बैट अधिकारियों और नॉन-कॉम्बैट अधिकारियों के बीच
- सैन्य और असैन्य अधिकारी

कॉम्बैट बनाम नॉन-कॉम्बैट अधिकारी

- लॉजिस्टिक्स, इंजीनियर, सिग्नल इत्यादि जैसी सहायक सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति कॉम्बैट सेवाओं के अधिकारियों के समान नहीं होती है।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, कॉम्बैट सहायक सेवाओं के उन 141 अधिकारियों में प्रत्येक को 20,000 रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश सेना को दिया जिन्हें शीर्ष न्यायालय के फैसले के बावजूद लगातार पदोन्नति से वंचित रखा गया था।
- यह मामला 2009 में सेना द्वारा स्थापित एक भेदभावपूर्ण पदोन्नति नीति से सम्बंधित है, जिसे सर्वोच्च न्यायलय ने सेना के दो अंगों - इन्फेंट्री और आर्टिलरी- के सम्बन्ध में सेना के निर्णयों को पक्षपात पूर्ण पाया था। इस नीति के निर्धारण के दौरान इन दो अंगों के अधिकारियों का उस समय निर्णय निर्माण में वर्चस्व था।

आगे की राह

- एक ऐसी स्थिति से बचने की आवश्यकता है जहां कम पदोन्नति के कारण अधिकारी लॉजिस्टिक्स सेवा में कार्य करने से इन्कार कर दें।
- इसके अलावा, एक कम मेधावी अधिकारी को दूसरे अधिकारी पर वरीयता केवल इस तथ्य के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए कि वह अधिकारी कॉम्बैट अंग से जुड़ा है। यह मेरिटोक्रेसी आधारित तंत्र के विरुद्ध है।

सैन्य बनाम असैन्य अधिकारी

- अधिकारियों के वेतन और भत्ते में काफी असमानता है। उदाहरणार्थ, सेना के एक ब्रिगेडियर और पुलिस के DIG के वेतन और स्थिति में अंतर तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग (CPC) के बाद से लगातार कम हुआ है। वर्तमान में, सातवें CPC की सिफारशों के अनुसार, ब्रिगेडियर के भत्तों को DIG के भत्ते से नीचे रखा गया है। जबकि सच तो यह है कि सेना के अधिकारियों में केवल 5% ही ब्रिगेडियर बन पाते हैं और वह भी 26 वर्षों की सेवा के बाद जबकि केवल 14 वर्षों की सेवा के बाद ही लगभग 90% से अधिक IPS अधिकारी DIG के रूप में पदोन्नत होते हैं।
- विकलांगता पेंशन, गैर-कार्यात्मक उन्नयन (non-functional upgrade) आदि के संबंध में भी इसी तरह के मुद्दे हैं।
- नागरिक सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों की कम अवधि की सेवाओं के बावजूद उनका अपने सैन्य समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करना, बहु-कैडर वातावरण में काम करने वाले सशस्त्र बलों के लिए कुछ परिचालानात्मक समस्याओं को जन्म देता है क्योंकि अक्सर असैन्य प्राधिकरण या अधिकारी उनकी बात सुनने से इन्कार कर देते हैं। यह सेनाओं के मनोबल को प्रभावित करता है और इसमें सुधार अवश्य किया जाना चाहिए।

सुझाव

- केन्द्रीय वेतन आयोग में सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को शामिल करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग वेतन आयोग का गठन करना।
- नौकरशाही की तुलना में सैन्य बलों की स्थिति एवं कमान तथा नियंत्रण संबंधी मुद्दों में आये परिवर्तन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए एवं इसे दुरुस्त करने के लिए एक समयबद्ध उपाय सुझाए जाने चाहिए। यह कदम सेना को सम्मान देने और उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिए आवश्यक है।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इस मामले के पुनरावलोकन का निर्णय लिया है।

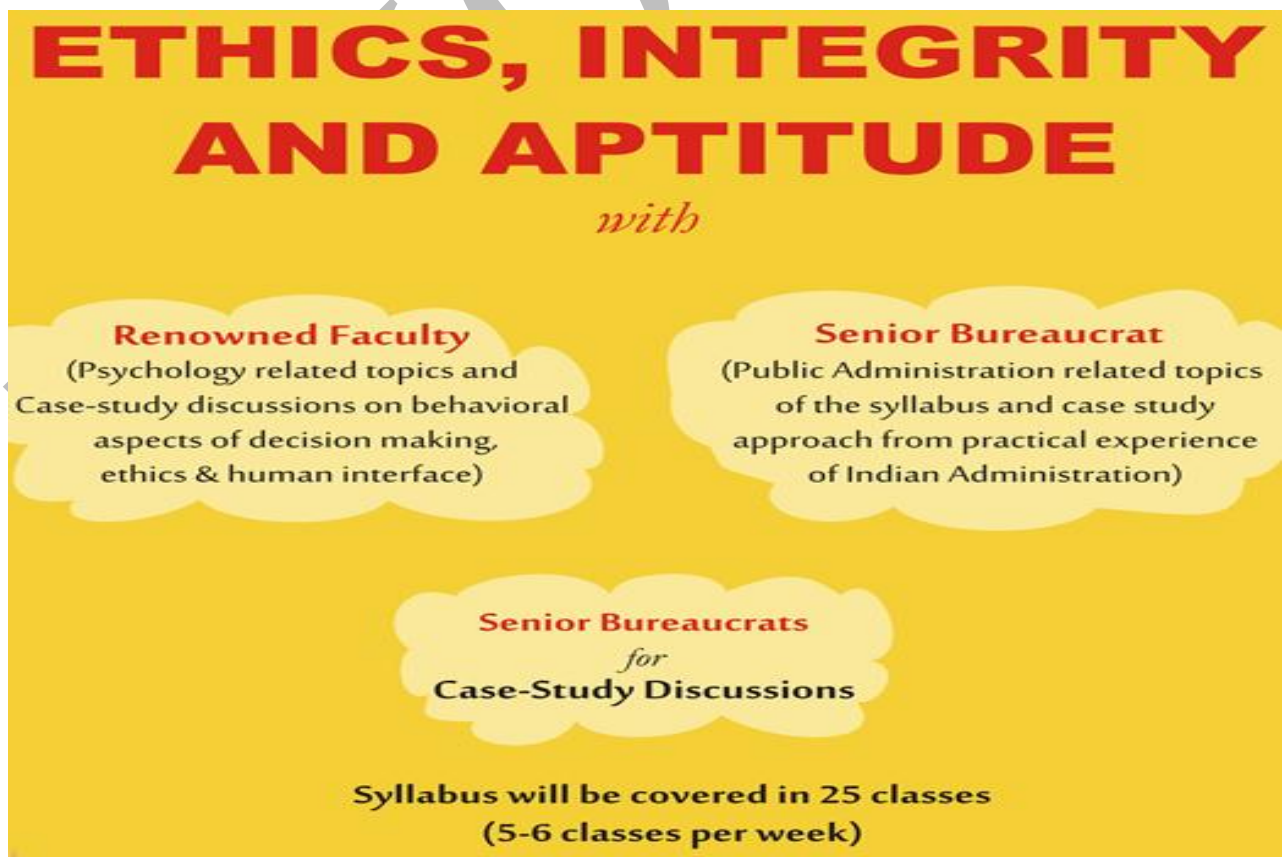

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

2.1.चीन-पाक धुरी

(China-Pak Axis)

चिंता के प्रमुख क्षेत्र

- **UNSC और NSG की सदस्यता**- चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश का विरोध किया। जबकि, पाकिस्तान की एक परमाणु प्रसारक के रूप में साख को भूल UNSC में उसके प्रवेश पर जोर दिया।
- **आधारभूत संरचना में निवेश-** चीन, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में निवेश कर रहा है, जो चीन में झिंजियांग प्रांत के काशगर को पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के साथ जोड़ेगा।
- **आतंकवाद-** चीन, पाकिस्तान के जिहादी आतंकवादी संगठन प्रमुख अजहर मसूद का UN द्वारा 'ग्लोबल टेररिस्ट' के रूप में सूचीबद्ध करने का बचाव करता रहा है। यह चीन की महाशक्ति बनने की इच्छा और वैश्विक सुरक्षा में एक 'जिम्मेदार हितधारक' होने के दावे के अनुरूप नहीं है।
- **सैन्य दुस्साहस को प्रोत्साहन** - चीन न केवल भारत के लिए समग्र पाकिस्तान समस्या का एक हिस्सा है, बल्कि अब CPEC के रूप में चीन के अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामरिक उद्देश्य के साथ, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस को प्रोत्साहित करने में इसका योगदान काफी हद तक बढ़ गया है।

भारत के लिए आगे की राह

- भारत और चीन दोनों एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्जा चाहते हैं जो उनके आकार, शक्ति और क्षमता के अनुरूप हो।
- दोनों देशों के संबंधों में समानता स्थापित के लिए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का निर्माण और चीन के साथ शक्ति अंतराल को समाप्त करने की शुरूआत करना आवश्यक है।
- दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग उन्हें वैश्विक प्रभावों को पुनर्संतुलित करने और विश्व में एक बेहतर समझौता वार्ता स्तर को विकसित करने में समर्थ कर सकता है।
- चीन और पाकिस्तान पर भारत की विदेश नीति के निर्माण और दृष्टिकोण को अलग-अलग विदेश नीति नियोजन क्षेत्र के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक हाइफेनेटेड (सामासिक) रणनीतिक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए।

2.2.भारत-भूटान

(India-Bhutan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए एक नए समझौते को मंजूरी दी गयी।
- इससे पहले भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर 10 वर्ष की अवधि के लिए 29 जुलाई 2006 को किया गया था।

नए समझौते के बारे में

- नया समझौता निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

✓ दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था।

✓ तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए भूटान के माल को शुल्क मुक्त पारगमन की सुविधा।

✓ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपए और भूटानी मुद्रा (नोंग्त्रुम) में निष्पादित किया जाना जारी रहेगा।

- नए समझौते के अंतर्गत, तीसरे देश में उत्पादित होने वाले माल के साथ-साथ दोनों देशों के माल के परिवहन हेतु भारत और भूटान के बीच वार्षिक विचार-विमर्श की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।

2.3. भारत-आसियान

(India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाओस की राजधानी वियनतियाने में आयोजित 14वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मे भाग लिया।

VISION IAS

<u>भारत-आसियान संबंधों का इतिहास एवं क्रमिक विकास</u> भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नीति का पालन किया एवं वह दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अपने क्षेत्र में उपनिवेशवाद की समाप्ति का चैंपियन बन गया। लेकिन 1970 के दशक के दौरान सोवियत संघ के प्रति भारत का झुकाव अनुभव किया गया जिसके कारण दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भारत से दूर होते गए क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई देश दोनों भिन्न–भिन्न प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का पालन कर रहे थे।

- भारत ने अपनी नीतियों में शीत युद्ध युग से बड़ा परिवर्तन करते हुए, 1991 में आर्थिक उदारीकरण के शीघ्र बाद ही, चीन जैसे पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए **"लुक ईस्ट नीति" (LEP)** को अपनाया। पिछले वर्षों में इस नीति द्वारा इस क्षेत्र में रणनीतिक और सुरक्षा पहलुओं पर घनिष्ठ संबंधों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **"लुक ईस्ट नीति"** (LEP) के चरण -

✓ **प्रथम चरण:** 1991 और 2002 के मध्य। इस चरण के दौरान प्राथमिक तौर पर आसियान देशों के साथ **नए सिरे से राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना** पर बल दिया गया था।

✓ **द्वितीय चरण** (2003 से 2012) के दौरान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सम्मिलित करने के लिए LEP का कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया था।

✓ LEP का नया चरण, **संचार की सागरीय लेन** की रक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों एवं **समन्वित आतंकवाद विरोधी गतिविधियों** के शुभारम्भ को सम्मिलित करते हुए **व्यापक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों** पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA),** आसियान के साथ भारत की संलग्नता के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है। इसे गहन आर्थिक एकीकरण की ओर आवश्यक चरण के रूप में देखा गया था।

✓ इसके प्रारंभिक ढांचे पर बाली (इंडोनेशिया) में 8 अक्टूबर 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे एवं 1 जनवरी 2010 से प्रवर्तित होने वाले अंतिम समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

✓ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार शुल्क बाधाओं को कम कर दिया एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया।

- भारत को आसियान क्षेत्रीय मंच में अपनी सदस्यता के बाद **1995 में पूर्ण आसियान वार्ता साझेदार की प्रस्थिति** प्रदान की गयी थी। भारत-आसियान संबंधों ने शीघ्र ही राजनीतिक और साथ ही सुरक्षा क्षेत्रों में अपना सहयोग विस्तारित किया। भारत 2005 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट: EAS) में भी सम्मिलित हो गया।
- आसियान 2012 से भारत का **रणनीतिक साझेदार** रहा है। भारत और आसियान के बीच 30 वार्ता तंत्र हैं जो नियमित रूप से बैठक करते हैं।
- नवम्बर 2014 में म्यांमार में आयोजित **12वें** आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में **'एक्ट ईस्ट नीति' (AEP)** की स्थापना के बाद आसियान एवं वृहत्तर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता ने और अधिक गति प्राप्त कर ली है।
- **AEP** के अंतर्गत भारत से न केवल क्षेत्र के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है बल्कि यह **संभावित सुरक्षा सन्तुलनकर्ता के रूप में** उभरने के लिए भी उत्सुक है।
- **वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी** आसियान के साथ भारत की मजबूत संलग्नता के तीन स्तम्भ हैं।
- भौतिक, डिजिटल, अर्थव्यवस्था, संस्थागत और सांस्कृतिक इत्यादि सभी आयामों में **कनेक्टिविटी** को बढ़ाना आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के मूल में रहा है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

यह शिखर सम्मेलन आसियान सदस्यों एवं भारत दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद एवं क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों के अन्य मामलों पर ऐसे समय पर चर्चा की गयी थी जब चीन फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ दक्षिण चीन सागर में क्षेत्र के स्वामित्व पर उग्र विवाद में संलग्न था।

VISION IAS

भारत के लिए आसियान का महत्व:

- **आर्थिक रूप से**: भारत, आसियान का एक रणनीतिक साझेदार है। 1.8 बिलियन की कुल जनसंख्या एवं 3.8 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ आसियान और भारत दोनों मिलकर **विश्व का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र** निर्मित करते हैं।

भूराजनैतिक रूप से

- भारत, भूराजनैतिक रूप से एवं साथ ही साथ आसियान एवं अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी नवीन मित्रता से लाभान्वित होने की अपेक्षा करता है।
- भारत ने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। **दक्षिण चीन सागर** में नौसंचालन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व का उल्लेख कर भारत ने चीन को एक दृढ़ संकेत दिया है।

समुद्री (maritime) महत्व: समुद्र के माध्यम से होने वाले अपने व्यापार को निर्बाध जारी रखने के लिए **दक्षिण चीन सागर में नौसंचालन की स्वतंत्रता** भारत के लिए आवश्यक है।

- समुद्री मार्ग "विश्व व्यापार की जीवन रेखायें" हैं। भारत नौसंचालन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) पर आधारित हो।
- नौसंचालन की स्वतंत्रता, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं साइबर अपराध इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने के लिए आसियान महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा से जुड़े पहलू: भारत और आसियान विविध क्षेत्रों जैसे आतंकवाद, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध एवं मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री डकैती इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

कनेक्टिविटी से जुड़े पहलू:

- नेपाल और म्यांमार तथा उससे आगे थाईलैंड जैसे ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गजों तक परिकल्पित राजमार्ग (निर्माणाधीन) एवं रेल कनेक्टिविटी लोगों के मध्य आपसी सम्पर्क में सुधार करेगी तथा इस प्रकार आर्थिक सहयोग और परस्पर निर्भरता के क्षेत्र को बढ़ाएगी।
- असीमित आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित भारत के अत्यधिक अविकसित पूर्वोत्तर राज्य, आर्थिक बदलाव के साक्षी बनेंगे।

ऊर्जा सुरक्षा

- विशेष रूप से म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया जैसे आसियान देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में संभावित रूप से योगदान कर सकते हैं।
- दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार विद्यमान हैं।

आसियान के साथ व्यापारिक संबंध

- वर्ष 2015-16 में भारत और आसियान के बीच 65.04 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ एवं यह विश्व के साथ भारत के व्यापार के 10.12% भाग का निर्माण करता है।
- जुलाई 2015 में आसियान-भारत निवेश एवं सेवा समझौता लागू होने के बाद, आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण होने से आसियान-भारत आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
- संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते का संपन्न होना, इस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार और निवेश संबंधों को और भी आगे बढ़ाएगा।

पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS)

- पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सम्मिलित हैं।
- भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को सुदृढ़ करने एवं समकालीन चुनौतियों से निपटने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

EAS दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित महत्वपूर्ण मुद्दे

EAS में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे: आतंकवाद का राज्य-नीति के उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा एवं दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

- प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अधिकतर देश आर्थिक समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण मार्ग का पालन कर रहे थे "किन्तु **भारत के पड़ोस में स्थित एक देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ केवल आतंकवाद के उत्पादन और निर्यात में निहित है।**"
- दक्षिणी चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के लिए उन्होंने कहा कि इस समुद्र से गुजरने वाले संचार पथ **"वैश्विक पण्य व्यापार की मुख्य धमनियों"** के समान रहे हैं।
- भारत विशेष रूप से UNCLOS में परिलक्षित कानून के सिद्धांतों पर आधारित नौसंचालन एवं क्षेत्र के ऊपर से वायुयान संचालन एवं अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

2.4.भारत-सिंगापुर

(India-Singapore)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सिंगापुर गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

भारत के लिए सिंगापुर का महत्व

- भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक से लेकर रणनीतिक क्षेत्र तक व्यापक संबंध हैं।
- सिंगापुर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे भारतीय राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता रहा है। इसलिए आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है।
- दोनों देश पर्यटन और कौशल विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रहे हैं।
- सिंगापुर ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाए जाने का समर्थन किया है।
- आसियान क्षेत्र में परिदृश्य बदल रहा है। ऐसी स्थिति में, सिंगापुर का अभिमत और भी अधिक महत्वपूर्ण है और भारत-सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना है।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए :

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) और सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच औद्योगिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और ITE एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में असम सरकार और ITE एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- द्विपक्षीय यात्रा के दौरान 'स्मार्ट सिटी ड्राइव " और "कौशल भारत कार्यक्रम" समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए क्योंकि सिंगापुर को दोनों क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

2.5. भारत-रूस संबंध

(India-Russia relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच 17वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए भारत का दौरा किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" (special and privileged strategic partnership) पर बल देते हुए कहा कि "दो नए दोस्तों से बेहतर एक पुराना दोस्त है।"

VISION IAS

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- **सीमा पार आतंकवाद** की स्पष्ट निंदा की गई और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध सीमा पार गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 'सूचना सुरक्षा' पर एक समझौता हुआ।
- **रक्षा क्षेत्र-** रूस के सबसे उन्नत S-400 'Triumf' मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली को खरीदने, कामोव-226T यूटिलिटी हेलीकाप्टरों का निर्माण करने और चार Krivak या तलवार वर्ग स्टील्थ के लिए समझौता हुआ।
- **क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार:** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर: INSTC) के कार्यान्वयन पर बल दिया गया।
- **बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी:** रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (RDIF), भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIIF) के तहत एक उप फंड में निवेश करेगा।
- **परमाणु विद्युत परियोजना:** मोदी और पुतिन दोनों ने संयुक्त रूप से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई (यूनिट 5 और 6) के परिचालन की घोषणा की।
- **रूस का भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-** रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स ने 10.9 बिलियन डॉलर में एस्सार एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड की रिफाइनिंग और खुदरा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह भारत में रूस का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

2.6. बिम्सटेक

(BIMSTEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, अक्टूबर 2016 में गोवा में आयोजित किया गया। 2017 में चतुर्थ बिम्सटेक शिखर सम्मेलन हेतु इसकी अगली बैठक का आयोजन नेपाल में किया जाएगा।
- शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस क्षेत्रीय संपर्क, आतंकवाद, इस क्षेत्र के विकास, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, व्यक्ति-व्यक्ति संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा।
- इस संबंध में बिम्सटेक देशों द्वारा **लीडर्स रिट्रीट आउटकम डॉक्यूमेंट** जारी किया गया।

दस्तावेज़ की मुख्य विशेषताएं

- **आतंक का सामना करने के लिए:** इस सम्मेलन में हाल ही में हुए आतंकी हमलों की निंदा की गयी तथा उन राज्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी जो आतंकवादियों को प्रोत्साहन, समर्थन तथा संरक्षण प्रदान करते हैं।
- **कानूनों से सहयोग :** अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आपराधिक मामलों, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने में सहयोग पर बिम्सटेक सम्मेलन के प्रारंभिक अनुसमर्थन की मांग की गयी।
- **पर्यावरण पर सहयोग:** पर्वतीय पारितंत्र एवं जैव-विविधता के संरक्षण की दिशा में अधिक से अधिक प्रयास करने पर करार और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए सहमति दर्ज की गयी।
- **व्यक्ति-व्यक्ति संपर्क को बढ़ावा देना:** बिम्सटेक बौद्ध सर्किट और बिम्सटेक धरोहर स्थलों की स्थापना प्रस्तावित की गयी तथा बिम्सटेक सांस्कृतिक उद्योग आयोग और भूटान में बिम्सटेक सांस्कृतिक उद्योग वेधशाला की स्थापना में तेजी लाने का फैसला किया गया।
- **मत्स्य-पालन और खाद्य सुरक्षा:** बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत विकास में सहयोग।
- **निर्धनता की समाप्ति:** बिम्सटेक निर्धनता कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुन:पुष्टि।
- **विकास के अन्य क्षेत्रों की खोज:** मत्स्य-पालन, हायड्रोग्राफी, समुद्र-तल खनिज अन्वेषण, तटीय शिपिंग, पारिस्थितिकी पर्यटन और महासागरीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देने तथा हमारे सहयोग को मजबूत करने के तरीके तलाशने हेतु समझौता।
- **व्यापार के लिए:** बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र वार्ता के शीघ्र निष्कर्ष हेतु प्रतिबद्धता का पुनर्नवीकरण तथा उसके मूल समझौतों को अंतिम रूप देने में तीव्रता लाने के लिए व्यापार वार्ता समिति (TNC) और कार्य समूहों को निर्देशित किया गया।

बिम्सटेक की प्रासंगिकता

- इससे पहले भी, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, BBIN समूह के रूप में क्षेत्रीय सहयोग के एक माध्यम के रूप में उभरा था जब सार्क शिखर सम्मेलन, 2014 में दक्षिण एशियाई कनेक्टिविटी समझौतों पर हस्ताक्षर करने की पाकिस्तान की अनिच्छा के बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत ने मिलकर यह समझौता संपन्न किया था।
- अब, इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन, 2016 के पतन के साथ ही बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में तब्दील हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, बंगाल की खाड़ी के पार समुद्री वाणिज्य के समृद्ध इतिहास और साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से युक्त इस क्षेत्र में बिम्सटेक और सार्क (पाकिस्तान के अतिरिक्त) के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

बिम्सटेक के बारे में

बिम्सटेक क्या है?

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) एक क्षेत्रीय संगठन है।
- यह बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया।
- यह बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसन्न क्षेत्रों में अवस्थित सात सदस्य राज्यों से मिलकर बना है।
- इनमें दक्षिण एशिया के पांच देश -बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।

2.7. ब्रिक्स

(BRICS)

2.7.1 ब्रिक्स का आठवां शिखर सम्मलेन

(Eighth BRICS Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, गोवा में आयोजित किया गया। इसका थीम "उत्तरदायी समावेशी और सामूहिक समाधान का निर्माण" (Building Responsive, Inclusive and Collective Solutions) था।
- शिखर सम्मेलन **गोवा घोषणा** की स्वीकृति के साथ संपन्न हुआ। नौवाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 में चीन में आयोजित किया जाएगा।

गोवा घोषणा की मुख्य विशेषताएं

- **वैश्विक सुरक्षा पर-** इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की दृढ़ता से निंदा कर संयुक्त राष्ट्र आतंकरोधी ढांचे के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गई। इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (काम्प्रिहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म: CCIT) को स्वीकारने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।
- **SDGs पर-** सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 2030 एजेंडा को अपनाने का स्वागत किया गया।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर-** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को दोहराया गया।
- **न्यू डेवलपमेंट बैंक पर-** ब्रिक्स के सदस्य, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में ऋण के पहले बैच के अनुमोदन से संतुष्ट थे।

VISION IAS

ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था

- 2015 में ब्रिक्स के सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था अब कार्य कर रही है और इस समूह के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंक लेनदेन संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
- यह वास्तविक अथवा संभावित अल्पकालीन भुगतान संतुलन के दबावों का तरलता और एहतियाती उपकरणों के माध्यम से सामना करने हेतु निर्धारित रूपरेखा है।

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला नाम है। इसमें शामिल हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
- यह 2009 में स्थापित किया गया था तथा 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले मूल रूप से ब्रिक (BRIC) के रूप में जाना जाता था।
- पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था।
- वे अपनी बड़ी और, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण विशिष्ट हैं।

2.7.2. ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी

(BRICS Rating Agency)

मुख्य तथ्य

- ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शासन संरचना को मजबूत बनाने के लिए बाजार अभिविन्यस्त सिद्धांतों (market oriented principles) पर आधारित एक स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी स्थापित करने के लिए सहमति जताई है।
- ब्रिक्स संस्था-निर्माण, वैश्विक वित्तीय ढांचे को निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित ढांचे में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ब्रिक्स देशों ने पहले ही सदस्यों की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना की है, जिसका परिचालन पिछले वर्ष आरम्भ हुआ।
- इस बात की आशंका जताई जाती है कि तीन बड़ी वैश्विक एजेंसियां- S&P ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स और मूडीज़ इनवेस्टर सर्विस- विकासशील देशों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं, जैसा कि उनके द्वारा की गई इन अर्थव्यवस्थाओं की खराब रेटिंग से परिलक्षित होता है।
- गहन पूँजी बफ़र्स होने के बावजूद ब्रिक्स प्रवर्तित NDB जैसे बहुपक्षीय बैंकों की रेटिंग वस्तुतः संरक्षक देशों की संप्रभु रेटिंग के कारण प्रभावित हो रही है।
- इसके अलावा, रेटिंग एजेंसियों के वर्तमान मूल्य निर्धारण मॉडल के तहत, बांड जारी करने वाली कंपनी या संस्था रेटिंग एजेंसी को स्वयं की रेटिंग करवाने के लिए भुगतान करती है: इसे जारीकर्ता भुगतान मॉडल (issuer-pay model) के नाम से जाना जाता है। यह रेटिंग के इस मॉडल में निहित नैतिक खतरे (moral hazard) का एक नैतिक (ethical) मुद्दा है।

2.7.3. एक्जिम बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन

(MOU between EXIM Bank, New Development Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात-आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) और ब्रिक्स प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कानूनों और नियमों के अनुसार सहयोग के एक ढांचे को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त MoU का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच कौशल स्थानान्तरण और ज्ञान को साझा करना है।

VISION IAS

समझौता ज्ञापन के लाभ

- इससे ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह सतत विकास एवं समावेशी आर्थिक विकास हेतु सहयोग के लिए रणनीतिक रूप से प्रासंगिक है।
- इससे भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी।

2.8. परमाणु निरस्त्रीकरण

(Nuclear Disarmament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस) ने प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र, मार्शल द्वीपसमूह द्वारा ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ दायर परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले को खारिज कर दिया।

मामला ख़ारिज होने के कारण

मार्शल द्वीप यह साबित करने में असफल रहा है कि इसके और तीन परमाणु शक्तियों के बीच निरस्त्रीकरण को लेकर कानूनी विवाद है। अदालत ने यह कहकर इसे ख़ारिज कर दिया कि यह मामला उसके न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में तर्क

- यह एक सामरिक बहाना (strategic excuse) है। अधिकतर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों का दावा है कि वे सामरिक रक्षा के लिए इन पर निर्भर होते हैं और वे इन विनाशकारी हथियारों के बिना विभिन्न हमलों के लिए भेद्य हैं, जो वस्तुतः बहुध्रुवीय विश्व में सत्य नहीं है।
- आर्थिक: परमाणु हथियार कार्यक्रम में सामान्यतया स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आपदा राहत और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं पर होने वाले खर्च के कुछ भाग का उपयोग किया जाता है। अतः अब मानवीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में धन को पुनः प्रेषित करने का समय आ गया है।
- पर्यावरणीय: परमाणु हथियार अभी तक बनाया गया एकमात्र उपकरण है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जटिल जीवन रूपों को नष्ट करने की क्षमता है।
- सुरक्षा चिंताएँ: परमाणु हथियार से हर जगह लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष और निरंतर खतरा है। शांति बनाये रखने के अलावा, यह राष्ट्रों के बीच भय और अविश्वास को जन्म देता है।
- मानवीय मुद्दे: परमाणु हथियारों का उन्मूलन एक तत्काल मानवीय आवश्यकता है। परमाणु हथियारों के किसी भी प्रकार के उपयोग का परिणाम भयावह होगा।
- परमाणु आतंकवाद- इसका एक प्रमुख खतरा यह है कि पाकिस्तान या रूस जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में परमाणु हथियार दुष्ट आतंकवादी तत्वों के हाथों में जा सकता है।

परमाणु हथियारों से संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, पूरे विश्व में 16,400 परमाणु हथियार हैं।
- पांच देशों- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को अप्रसार संधि के तहत परमाणु हथियार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
- कई अन्य देशों जैसे- भारत, पाकिस्तान, इजरायल, इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया और कोरिया पर परमाणु हथियार विकसित करने का संदेह किया गया है।
- आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल केवल एक बार 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख

भारत परमाणु निरस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और यह सह-प्रायोजकों के साथ काफी हताशा महसूस करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

आगे की राह

- परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों वाले देशों में निरस्त्रीकरण के लिए नैतिक दबाव पैदा करेगा और परमाणु हथियार के विकास, अधिग्रहण और उपयोग के निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।

VISION IAS

- परमाणु हथियार वाले देशों को विश्व में बेहतर नीति निर्माण के लिए वार्ता में पूरी तरह से भाग लेना चाहिए।

2.9. निरस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति

(Disarmament and Security Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा की नि:शस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति ने परमाणु हथियारों के निषेध के लिए नई अंतरराष्ट्रीय संधि पर अगले वर्ष वार्ता शुरू करने के लिए मतदान किया है।
- पाँच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद परमाणु शक्तियों में से चार- ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि भारत और पाकिस्तान के अलावा चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के बारे में

- NPT एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और इससे आगे परमाणु नि:शस्त्रीकरण तथा सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- यह 1970 में अस्तित्व में आया। 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- यह संधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को मान्यता प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार सदस्य देश- भारत, इजरायल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान परमाणु अप्रसार संधि में कभी शामिल नहीं हुए।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह परमाणु-निर्भर सरकारों, जोकि अप्रसार संधि के तहत अपने विशेषाधिकार बनाये रखना चाहते हैं, की वीटो शक्ति से परे राजनयिक और कानूनी कार्रवाई को प्रस्तावित करता है।
- नयी बहुपक्षीय संधि पहली बार परमाणु हथियारों के प्रयोग, तैनाती, उत्पादन, परिवहन, एकत्रीकरण और वित्तपोषण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- इससे स्पष्ट, सुगम कानूनी बाध्यता का निर्माण कर मौजूदा हथियारों को समाप्ति द्वारा अप्रसार संधि के परमाणु निरस्त्रीकरण दायित्व का विस्तार होगा जोकि गैर-NPT देशों के साथ ही सभी NPT देशों पर भी लागू होगा।

2.10. भारत और AARDO के बीच समझौता ज्ञापन

(MoU between India and AARDO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैबिनेट ने भारत और अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) के बीच तीन वर्षों (2015 - 2017) के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

समझौता ज्ञापन के बारे में

- ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों का इन तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न संस्थानों में प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि दो से तीन सप्ताह होगी।

समझौता ज्ञापन का महत्व

- इससे अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे इस क्षेत्र में प्यास, भूख, अशिक्षा, बीमारी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में मदद मिलेगी।

AARDO बारे में

- AARDO, 1962 में स्थापित एक स्वायत्त, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- AARDO में वर्तमान में अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के 31 देश हैं।
- भारत, इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और सदस्यों के बीच सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

2.11. मालदीव का राष्ट्रमंडल से इस्तीफा

(Maldives quits Commonwealth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मालदीव ने भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप के चलते राष्ट्रमंडल छोड़ दिया।
- अक्टूबर 2013 में गाम्बिया के बाद यह राष्ट्रमंडल छोड़ने वाला नवीनतम सदस्य है।

पृष्ठभूमि

- मालदीव सरकार को विपक्षी नेताओं को हिरासत में रखने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने सहित अन्य चिंताओं को दूर करने के लिए तीन बार नोटिस और छह महीने का समय दिया गया था।
- मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने, विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न करने तथा असंतोष को प्रतिबंधित करने, कुचलने और दंडित करने के लिए राज्य संस्थाओं (न्यायपालिका, विधायिका और पुलिस सहित) के दुरुपयोग के सबूत पाए गए।
- मालदीव के पिछले राष्ट्रपति की कैद को अवैध पाया गया था और वर्तमान राष्ट्रपति को उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।

राष्ट्रमंडल छोड़ने के संबंध में मालदीव द्वारा दिए गए कारण

- विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि संगठन द्वारा उसके साथ "अन्यायपूर्ण और गलत तरीके से" व्यवहार किया गया।
- "लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रमंडल की अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने और लाभ उठाने के लिए" उसका इस्तेमाल किया गया।
- उसने तर्क दिया है कि मालदीव को दंडित करने का निर्णय अनुचित था, क्योंकि जांच आयोग ने मालदीव में सत्ता के हस्तांतरण को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पाया था।

राष्ट्रमंडल क्या है?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1949 में हुई। इसकी स्थापना ब्रिटेन सहित पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे और पराधीन देशों से मिलकर हुई।
- अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र से कई देश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हुए, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 52 है।
- सदस्यता, स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है।
- राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हुए अंतिम दो देश रवांडा और मोजाम्बिक हैं।

2.12. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

(International Criminal Court: ICC)

सुर्खियों में क्यों?

बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की सदस्यता त्याग दी है। अब केन्या और युगांडा का भी यही इरादा है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- दक्षिण अफ्रीका 1998 की रोम संविधि, जिसके तहत इस न्यायालय की स्थापना हुई थी, को छोड़ने वाला प्रथम देश बना।
- दक्षिण अफ्रीका की ICC से प्रस्तावित वापसी एक ऐसे देश की न्याय के लिए आश्चर्यजनक उपेक्षा दर्शाती है, जो लम्बे समय तक गंभीरतम अपराधों के शिकार लोगों के लिए वैश्विक नेता के रूप में जवाबदेह रहा है।

ICC: चिंता के प्रमुख बिंदु

- **न्यायाधिकार का अभाव-** ICC का विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल पर न्यायाधिकार नहीं है।
- **संकीर्ण अधिदेश-** यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) के अधिकारों के उल्लंघन की जांच नहीं करता है।
- **कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं-** यह अपने अधिकार के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर है।
- राजनीति से प्रेरित अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय होने के बावजूद राजनीतिक अभियोजन और गैरजिम्मेदार अभियोजन पक्ष।

- **राज्य संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक न्यायाधिकार के बीच अस्पष्टता-** ICC के कानूनी और राजनीतिक आधारों के बीच संबंधों में अस्पष्टता पैदा होती है, क्योंकि मुख्य रूप से एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचे के भीतर संचालन के बावजूद, न्यायालय उन नीतियों की वजह से कमजोर है जिन पर अभी तक संप्रभु मॉडल का प्रभुत्व है।

क्या किये जाने की जरूरत है?

- रोम संविधि में अनेक अस्पष्टताएं हैं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से समर्थन जो ICC के मामलों पर वीटो शक्तियां धारण किये हुए हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ICC अपने मौजूदा जांच और मामलों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके, और ICC की क्षमता में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- उचित फंडिंग प्रणाली के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के उपायों के साथ जांच और अभियोजन का सुदृढ़ीकरण।
- पीड़ितों की भागीदारी और उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए सहायता।

ICC के बारे में

- यह विश्व की प्रथम कानूनी संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने का स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकार है।
- हेग स्थित ICC के 124 देश सदस्य हैं।

2.13. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(UN Human Rights Council)

सुर्खियों में क्यों?

- सीरिया में अपनी नीतियों के संबंध में युद्ध अपराधों के आरोपों के कारण रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपनी सीट को बनाए रखने के प्रयास में असफल रहा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- एक दशक पहले UNHRC के निर्माण के बाद से यह पहला अवसर था जबकि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य परिषद के लिए निर्वाचित होने में विफल रहा।

रूस के बाहर होने के बाद संभावित प्रभाव

- इससे सीरिया को लेकर रुस की विदेश नीति में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं है।
- यह रूस और पश्चिम, विशेष रूप संयुक्त राज्य अमेरिका, के बीच तनावपूर्ण संबंधों को और भड़का सकता है, और रूस में मानव अधिकारों की स्थिति और खराब हो सकती है।
- रूस का UNHRC से बाहर होना सऊदी अरब के परिषद में सफलता पूर्वक पुनर्निर्वाचन से असंगत है। यमन के गृह-युद्ध में सऊदी अरब द्वारा की गई कार्रवाई की कठोर आलोचना के बावजूद, सऊदी अरब मानवाधिकार परिषद में अपनी जगह बनाये रखने में सफल रहा। यह मानव अधिकारों को पश्चिमी हस्तक्षेप के एक उपकरण के रूप में उपयोग को रेखांकित करता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में

- परिषद जिनेवा स्थित 47 सदस्यीय निकाय है।
- इसे वर्ष 2006 में वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- परिषद के सदस्य विभिन्न देशों को मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए कार्य करते हैं।
- यह उल्लंघन के मामलों को प्रकाश में लाने से लेकर सुरक्षा परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए एक रेफरल बनाने के लिए अनुशंसा करने तक का निर्णय करती है।
- परिषद के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह उल्लंघन करने वाले देश पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है और विशेष प्रतिवेदक (Rapporteurs) रख सकती है, जिनके पास जांच-पड़ताल और मानव अधिकारों के हनन के प्रतिवेदन का अधिदेश (मैंडेट) होता है।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. बैड बैंक का विचार

(Idea of Bad Bank)

पृष्ठभूमि:

- भारतीय बैंको में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPAs) की समस्या विशाल अनुपात में बढ़ गयी है।
- सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसी दिशा में एक अन्य सुझाव बैड बैंक (bad bank) के निर्माण का है।

बैड बैंक क्या है?

- बैड बैंक की स्थापना एक पृथक संस्था के रूप में की जाएगी जो अन्य बैंकों से NPAs का क्रय करेंगे, जिससे नए उधार प्रदान करने के लिए बैंकों के बही-खाते मुक्त किए जा सकें। इसी दौरान, यह अशोध्य परिसम्पत्तियों (toxic assets) का उचित रूप से निपटान करने की दिशा में कार्य करेगी।
- यह अवधारणा सर्वप्रथम पिट्सबर्ग स्थित मुख्यालय वाले मेलॉन बैंक द्वारा आरम्भ की गयी थी एवं 2007 के वित्तीय संकट के बाद आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस इत्यादि जैसे कई यूरोपीय देशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है।

बैड बैंक के लाभ

- भारतीय वित्तीय क्षमताओं की सीमाओं के कारण, **पुन:पूंजीकरण की वर्तमान विधि केवल आंशिक रूप से ही सफल हो सकती है।** इसके अतिरिक्त यह अशोध्य परिसम्पत्तियों का शोधन नहीं करेगी बल्कि परियोजनाओं को केवल कुछ और अधिक समयावधि देगी।
- बैड बैंक वास्तव में बैंकों के बही-खातों को भारमुक्त करने में सहायता करेगा और इस प्रकार **यह खरीददारों के लिए बैंकों को अधिक आकर्षक** बना सकता हैं।
- यह पृथक्करण NPAs को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करेगा। ऋण देने की तुलना में पुनर्संरचना करने एवं कारोबार को समेटने की स्थिति में संगठनात्मक आवश्यकतायें और कौशल सेट अत्यधिक भिन्न होते हैं। यह **पृथक्करण, बैड बैंक में सर्वोत्तम उपयुक्त प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं को स्थापित करने में सहयोग कर सकता है, जबकि 'सामान्य बैंक' ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।**

मुद्दे:

- रघुराम राजन का मानना था कि **यह अवधारणा भारत के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती** क्योंकि बैंकों के ऋण को आधार प्रदान करने वाली अधिकतर परिसम्पत्तियाँ वहनीय हैं या वहनीय बनायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए परियोजनाओं का एक बड़ा भाग भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय अनुमति में आने वाली समस्याओं जैसे बाहरी कारकों के कारण ठप्प पड़ जाता है। उन्हें केवल पुनर्संरचना एवं अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है।

बैड बैंक की संरचना और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित समस्यायें हैं।

- सरकार की बड़ी हिस्सेदारी, बैड बैंक को सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के समान ही शासन और पूँजीकरण समस्याओं से ग्रसित कर देगी।
- दूसरी ओर निजी शेयरधारिता की अधिकता, बैड बैंक को हस्तांतरित करते समय ऋणों का उचित मूल्यांकन न किए जाने पर पक्षपात एवं भ्रष्टाचार संबंधी आलोचना का शिकार हो सकती है।

आगे की राह:

- इसे अनिवार्य रूप से अन्य कदमों की मदद से पूरित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) में और अधिक पूँजी का निवेश किया जाना चाहिए।
- इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से PSBs में अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए सर्वोच्च ऋण समाधान प्राधिकरण का निर्माण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह प्राधिकरण PSBs में बड़े ऋणों के पुनर्गठन का पुनरीक्षण करेगा। यह संबंधित चिंता के परिणाम स्वरूप PSBs में व्याप्त गतिहीनता का शमन करेगा एवं स्थगित परियोजनाओं में निधियों का प्रवाह करेगा।
- अशोध्य ऋणों का समाधान एवं PSBs के स्वास्थ्य को पुन:स्थापित करना, अर्थव्यवस्था द्वारा आजकल सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस परिस्थिति में बैड बैंक एकमात्र अनुक्रिया नहीं हो सकते।

VISION IAS

3.2. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ

(Public Debt Management Cell: PDMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) स्थापित किया है।

यह क्या है?

- यह एक अंतरिम व्यवस्था है एवं लगभग दो वर्ष में इसे सांविधिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) के रूप में उन्नत किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में अवरोधों को उत्पन्न किए बिना RBI से ऋण प्रबंधन कार्य को पृथक कर क्रमिक और निर्बाध तरीके से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया को संभव करना है।
- PDMC में आवश्यक विशेषज्ञता के लिए मंत्रालय एवं RBI के 15 अनुभवी ऋण प्रबंधक होंगे।
- संयुक्त सचिव (बजट) की अध्यक्षता में संयुक्त कार्यान्वयन समिति, PDMC से PDMA में संक्रमण प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

PMDC के मुख्य कार्य

- RBI के वैधानिक कार्यों से संघर्ष को टालने के लिए इसका कार्य केवल परामर्श प्रदान करना होगा।
- यह सरकारी उधार की योजना निर्मित करेगा और साथ ही साथ इसकी देनदारियों का प्रबंधन करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह नकदी शेष का अनुवीक्षण करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए तरल एवं दक्ष बाजार को सुपोषित करेगा एवं सरकार को निवेश, पूँजी बाजार संचालनों, लघु बचतों पर ब्याज दरों को नियत करने इत्यादि मामलों पर परामर्श देगा।
- यह सरकार की सभी देयताओं के लिए वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार पर केन्द्रीकृत डेटाबेस के रूप में एकीकृत ऋण डेटाबेस तंत्र (IDMS) का विकास करेगा एवं PDMA के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य सम्पन्न करेगा।

PDMA के संबंध में

- PDMA, प्रस्तावित विशिष्ट स्वतंत्र एजेंसी है जो समग्रतावादी दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार की आंतरिक और बाहरी देयताओं का प्रबंधन करेगी।
- सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 वर्ष के भीतर PDMA का गठन किया जाएगा।
- **PDMA की आवश्यकता** का अनुभव किए जाने के कुछ कारण इस प्रकार हैं:

✓ वर्तमान में बाजार उधार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है लेकिन बाहरी ऋण का प्रबंधन सीधे केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना, ऋण प्रबंधन के सभी कार्यों को एक एजेंसी में समेकित करेगी एवं आंतरिक और बाह्य देयताओं का समग्र प्रबंधन संभव करेगी।

✓ अल्पावधि ब्याज दर नियत करने (अर्थात मौद्रिक नीति का कार्य) एवं सरकार के बांड की बिक्री करने की भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी में गंभीर हित-संघर्ष समाविष्ट है। यदि केंद्रीय बैंक, प्रभावी ऋण प्रबंधक बनने का प्रयास करता है, तो इसमें उच्च मूल्यों पर बांड (bonds) की बिक्री अर्थात ब्याज दरों को कम रखने के प्रति झुकाव होगा। इससे मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है।

✓ सरकार के ऋण का प्रबंधन, बैंकों का विनियमन और मौद्रिक नीति सभी परस्पर संबद्ध हैं जिसे PDMA जैसी एजेंसी द्वारा बेहतर रूप से समन्वित किया जा सकता है।

✓ सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए कोई भी एजेंसी नकद एवं निवेश प्रबंधन का कार्य नहीं करती है, अनुषंगी एवं अन्य देयताओं के संबंध में सूचनाएँ समन्वित नहीं हैं। इसका ध्यान PDMA द्वारा रखा जाएगा।

- हालांकि कुछ विशेषज्ञ **PDMA की सफलता के प्रति सशंकित** हैं। वे इस आशंका के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं:

✓ भारत में संप्रभु ऋण प्रबंधन केवल संसाधन की लामबंदी का कार्य नहीं है बल्कि इसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होते हैं। इस प्रकार इसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो संभवत: स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नहीं दिया जा सकता।

✓ PDMA का ध्यान केवल केन्द्र सरकार पर होता है किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक संघ एवं राज्य सरकारों दोनों के ऋण प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है।

VISION IAS

✓ हित-संघर्ष अभी भी विद्यमान रहेगा क्योंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) में प्रमुख शेयरधारक है।

3.3. परियोजना इनसाइट

(Project Insight)

क्या है यह परियोजना?

- परियोजना इनसाइट, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कर वंचकों का पता लगाकर कर आधार को विस्तृत करने हेतु वित्त मंत्रालय की एक पहल है।
- हाल के वर्षों में विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाएं आयी हैं। सम्पूर्ण कार्यक्रम अगले वर्ष लागू किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- यह परियोजना अनिवार्य रूप से विभिन्न पायलट परियोजनाओं द्वारा इकठ्ठा किए गए आंकड़ो, जैसे- टैक्स-रिटर्न फाइल न करने वालों की निगरानी से संबंधित आंकड़े, बैंको के लिए बिना PAN वालों की निगरानी आदि, द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग विभिन्न प्रकार के करों के लिए करेगी।
- कर विभाग, अनुपालन प्रबंधन के लिए नए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना भी करेंगे। यह परियोजना इनसाइट के माध्यम से एकत्रित जानकारी के प्रारंभिक सत्यापन, उसके सम्बन्ध में लेटर/ नोटिस भेजना और अनुवर्ती कार्यवाही के कार्य को संभालेगा।
- सूचना अनुपालन प्रबंधन प्रणाली (रिपोर्टिंग कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम) के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग उचित समय पर और सही है।
- यह अन्य सरकारी विभागों के लिए सुव्यवस्थित डेटा विनिमय तंत्र भी स्थापित करेगा।
- यह परियोजना, सरकार द्वारा काले धन को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन, भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन एवं हाल ही में संपन्न आय प्रकटीकरण योजना की सूची में अपना नाम शामिल करती है।

लाभ

- यह एकीकृत मंच, कर आधार को विस्तृत करने एवं कर वंचकों का पता लगाने के लिए डेटा माइनिंग हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह कर वंचकों को खोजकर पकड़ लेने की तरह, अहस्तक्षेप के तरीके से पकड़ने में सहायता करेगा।
- यह न केवल स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा, बल्कि करदाताओं को आयकर कार्यालय गए बिना ही अनुपालन से संबंधित सामान्य मुद्दों को ऑनलाइन तरीके से समाधान प्राप्त करने में भी सक्षम करेगा।
- विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम अंतर सरकारी समझौते (FATCA IGA) एवं सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के कार्यान्वयन के लिए भी नई तकनीकी अवसंरचना का लाभ उठाया जाएगा।

3.4. IMF का नवीन वृद्धि पूर्वानुमान

(IMF's Recent Growth Forecast)

मुख्य अनुमान

विश्व अर्थव्यवस्था पर

- इसने कमज़ोर वैश्विक विकास के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है। इसका मुख्य कारण खराब कारोबारी माहौल और निम्न माल आपूर्ति है।
- आईएमएफ ने कहा कि सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ 2016 में जुलाई से 0.2 प्रतिशत अंक कम होकर 1.6 प्रतिशत के साथ कमज़ोर वृद्धि प्रदर्शित करेंगी, वहीँ उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ 0.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 4.2 प्रतिशत के साथ वृद्धि प्रदर्शित करेंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर

- चीन का वृद्धि पूर्वानुमान 6.3 प्रतिशत है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से किसी भी अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था की तुलना में तीव्र वृद्धि करेगी, ऐसी उम्मीद है।

- IMF ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न जिंस कीमतों से लाभ हुआ है, और मुद्रास्फीति में उम्मीद से ज्यादा गिरावट आई है। फिर भी, CPI को मध्यम अवधि में लक्षित सीमा के भीतर रखने के लिए, इसने खाद्य भंडारण और वितरण के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से उत्पन्न होने वाली आधारभूत मुद्रास्फीतिक दबावों के बारे में आगाह करते हुए संरचनात्मक सुधारों को सुनिश्चित करने को कहा है।
- राष्ट्रीय GST के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए संविधान संशोधन, मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्यों को अपनाने, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाने जैसे उपाय भी वृद्धि दर को फायदा पहुंचाएंगे।
- शुद्ध निर्यात के योगदान में गिरावट का अनुमान लगाया गया है क्योंकि मजबूत घरेलू मांग के कारण आयात में वृद्धि की उम्मीद है।

3.5. स्वदेशी रक्षा उत्पादन: रिलायंस एवं डसॉल्ट एविएशन का संयुक्त उपक्रम

(Indigenous Defence Production: Dassault Reliance Aerospace JV)

रिलायंस एवं डसॉल्ट एविएशन का संयुक्त उपक्रम के बारे में

- रिलायंस समूह ने फ्रांसिसी कम्पनी **डसॉल्ट एविएशन** के साथ एक संयुक्त उपक्रम (joint venture) का गठन किया है।
- यह ज्वाइंट वेंचर, राफेल फाईटर जेट सौदे के तहत "ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट" को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। सौदे में 50% ऑफसेट क्लॉज है।
- यह नागपुर में सुविधा केंद्र की स्थापना द्वारा भारत में राफेल फाईटर जेट आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति करेगा।
- सुविधा केंद्र का नियोजन, डिजाइन और निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा।

IDDM (Indigenously Designed Developed and Manufactured) के बारे में

- सभी रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2016, की पांच श्रेणियों में से एक के अंतर्गत वर्गीकृत करना आवश्यक था, जब तक इस वर्ष IDDM नामक एक छठी श्रेणी नहीं जोड़ दी गई।
- इस श्रेणी द्वारा अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद है एवं यह भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में वैज्ञानिक प्रतिभाओं की संलग्नता को भी सुनिश्चित करेगा।

महत्व

- आशा है, कि यह उपक्रम 1500 प्रत्यक्ष रोजगार एवं आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए और भी कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।
- उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से सम्पूर्ण एयरोस्पेस क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।
- भारत के रक्षा मंत्रालय की एक नई पहल, IDDM कार्यक्रम के अंतर्गत, सामरिक भागीदारी में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

3.6. भारतीय पुल प्रबन्धन प्रणाली

(Indian Bridge Management System: IBMS)

IBMS के बारे में

- हाल ही में भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया था।
- IBMS का विकास देश के समस्त पुलों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए किया जा रहा है ताकि उनकी संरचना की अवस्था की गंभीरता का आकलन कर सही समय पर उनकी मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न किया जा सके।
- इससे परिवहन दक्षता में सुधार होगा तथा दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

कार्य प्रणाली

- राज्य और RTO जोन के आधार पर देश के प्रत्येक पुल को **अनूठी पहचान संख्या** या राष्ट्रीय पहचान संख्या दी जाती है। प्रत्येक पुल को GPS द्वारा निर्धारित सटीक स्थिति के अधार पर **पुल लोकेशन नंबर** भी प्रदान किया जाता है।
- फिर डिजाइन, मेटेरियल, पुल के प्रकार, पुल की आयु, लोडिंग, यातायात लेन,लम्बाई, चौड़ाई संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं और इनका इस्तेमाल करके पुल वर्गीकरण संख्या दी जाती है। पुलों को ढांचागत रेटिंग संख्या भी दी जाती है।
- पुलों को सामाजिक-आर्थिक पुल रेटिंग संख्या भी दी जा रही है। इससे क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक गतिविधि में पुल के योगदान का महत्व निर्धारित होगा।
- इस विस्तृत सूची के आधार पर IBMS आंकड़ों का विश्लेषण कर उन पुलों की पहचान करेगा जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

3.7. चेन्नई में भारत का पहला मेडीपार्क

(India's First Medipark to Come Up in Chennai)

मेडीपार्क के सन्दर्भ में

- सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनी रत्न कंपनी HLL लाइफकेयर लिमिटेड, चेन्नई के बाह्य इलाके में बसे शहर चेंगलपट्टू में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण पार्क (Medipark) की स्थापना करेगा।
- परियोजना में HLL की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक होगी, जबकि तमिलनाडु सरकार 10 फीसदी की भागीदारी रखेगी।
- इसे पूरा होने में सात वर्ष का समय लगेगा तथा इसे विभिन्न चरणों में विकसित किया जा रहा है।
- HLL लाइफकेयर, एक सहायक के माध्यम से चेंगलपट्टू में एक एकीकृत टीका परिसर स्थापित कर रहा है ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए विभिन्न टीकों का निर्माण किया जा सके।

महत्व

- मेडीपार्क देश में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला विनिर्माण क्लस्टर होगा, और यह चिकित्सा उपकरणों, तकनीकी उद्योगों और संबद्ध विषयों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत अपने चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों में 70% का आयात करता है। भारत इमेजिंग उपकरण, पेस मेकर और श्वास और श्वसन संबंधी उपकरण जैसे उच्च अंत उत्पाद (दीर्घवधि उपयोग वाले उत्पाद) में लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। इन उपकरणों और यंत्रों के घरेलू विनिर्माण से लागत निम्न होगी और स्वास्थ्य सेवा और अधिक किफायती होगी।
- मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में यह प्रत्यक्ष रूप से 3000 लोगों को और एक बार काम शुरू हो जाने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से कई और हजारों लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करेगा।

3.8. विद्युत पारेषण योजना निर्माण

(Power Transmission Planning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) द्वारा गठित माता प्रसाद समिति ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर विद्युत पारेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए पारेषण योजना का पुनरुद्धार करने का सुझाव दिया है।

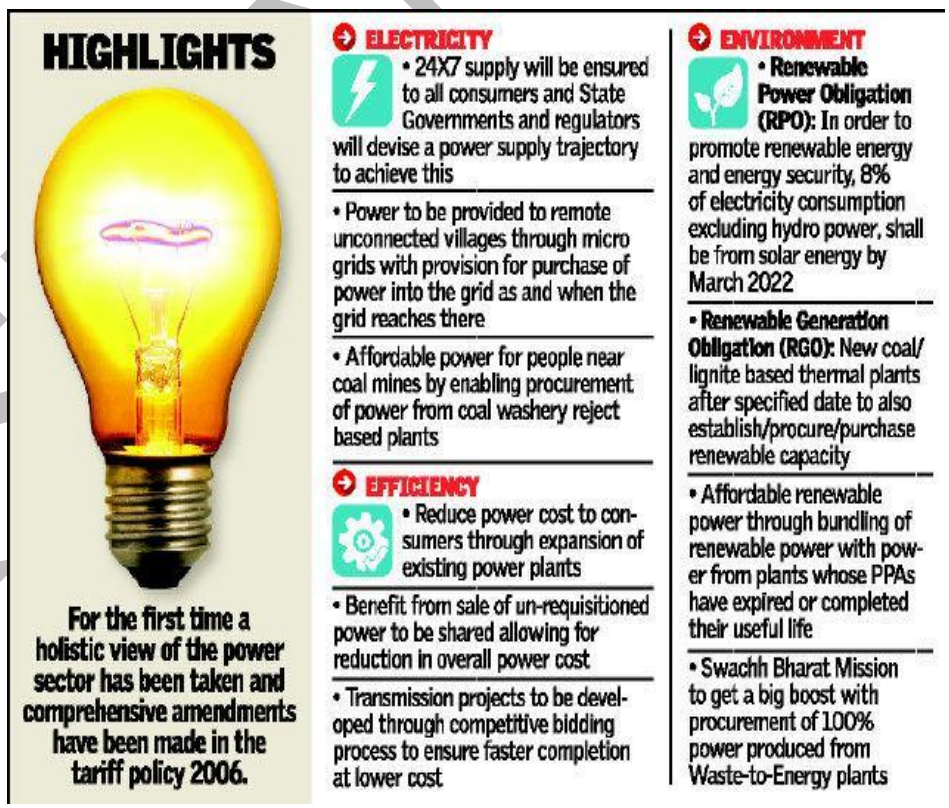

महत्वपूर्ण सुझाव

- दीर्घावधिक विद्युत खरीद समझौतों (PPAs) की व्यवस्था के विपरीत पारेषण योजना को उपभोक्ता की आकांक्षाओं को पूरा करने के अनुरुप होना चाहिए। पारेषण योजना राज्यों के अनुमानित भार एवं वरीयता क्रम संचालन के आर्थिक सिद्धातों के आधार पर प्रत्याशित उत्पादन परिदृश्य के आधार पर भी की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में पारेषण प्रणाली की योजना प्रत्येक राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना एवं नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं में अनुमानित क्षमता बढ़ोत्तरियों के आधार पर केन्द्रीय पारेषण व्यवस्था (CTU) द्वारा भी निर्मित की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र ने पहले ही 2032 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बढ़ोत्तरी करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
- विद्युत बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण कॉरिडोर का आवंटन उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रत्येक फ्लो गेट के 5% भाग को अगले दिन के संयुक्त लेन-देन के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जिसे विद्युत एक्सचेंजों द्वारा कॉरिडोर के गैर-

उपयोग के मामले में आनुषंगिक बाजार (contingency market) के लिए जारी किया जा सकता है। इसकी वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

- समिति ने भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) में उत्पादकों के केन्द्रीय भंडार का निर्माण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जहाँ नए उत्पादन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव देने वाले किसी उत्पादन परियोजना विकासकर्ता को अनिवार्य रूप से स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए। यह न केवल पारेषण योजना प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा बल्कि असमन्वित उत्पादन बढ़ोत्तरियों से उत्पन्न होने वाली समस्यायों का भी निराकरण करेगा।
- समिति ने सटीक मांग पूर्वानुमानों के लिए CEA एवं CTU द्वारा राज्यों की हैण्ड-होल्डिंग के मामले को मजबूती के साथ रखा है।

महत्व

ये अनुशंसाएँ भारत की विद्युत अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली पारेषण व्यवस्था हेतु बेहतर दीर्घावधिक योजना निर्मित करने में सहयोग करेंगी।

3.9. पेन्शन उत्पादों का विनियमन

(Regulation of Pension Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने पेन्शन उत्पादों के विनियमन को समेकित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। वर्तमान में यह कार्य बीमा एवं शेयर बाजार नियामकों सहित तीन विभिन्न निगरानी तंत्रों (वॉचडॉग) द्वारा किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना सभी पेन्शन उत्पादों को विनियमित करने के आशय से की गयी थी। हालांकि, बीमा कंपनियां और सहभागी निधि (म्युचुअल फंड) इसकी निगरानी से परे पेन्शन उत्पादों की बिक्री जारी रखे हुए हैं। यह सेवानिवृत्ति के बाद निरंतर धन की आपूर्ति का माध्यम निर्मित करने में संलग्न उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करता है।
- बीमा कम्पनियों द्वारा जारी किए गए पेन्शन उत्पाद, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि म्युचुअल फंड द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पादों की देखरेख सेबी (SEBI) द्वारा की जाती है। लेकिन उनका मुख्य फोकस क्रमश: बीमा और म्युचुअल फंड/पूंजी बाजार पर होता है, इसलिए उनके द्वारा किया गया पेन्शन विनियम अत्यंत कम होता हैं।

पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के संबंध में

- PFRDA वर्ष 2003 में स्थापित किया गया एक विनियामक प्राधिकरण है।
- इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
- यह पेन्शन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन कर वृद्धावस्था आय सुरक्षा में वृद्धि करता है एवं पेन्शन निधियों एवं संबंधित मामलों की योजनाओं में ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।

3.10. इथेनॉल मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन

(Ethanol Pricing Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने चीनी से निकाले जाने वाले इथेनॉल के लिए, जिसका उपयोग पेट्रोल में सम्मिश्रण हेतु किया जाता है, के लिए एक नई मूल्य निर्धारण प्रणाली का प्रस्ताव रखा है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने 2003 में कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रारंभ में इसकी मात्रा 5% तय की गयी थी, जिसे धीरे-धीरे बढाकर 10% कर दिया गया।
- हालांकि यह तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के समक्ष आ रही विभिन्न बाधाओं जैसे राज्य विशिष्ट मुद्दों, इथेनॉल के आपूर्तिकर्ता और मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों आदि के कारण नहीं किया जा सका है।

निहितार्थ

- यह व्यवस्था मुक्त बाजार संरचना की ओर जा रही है, इथेनॉल की कीमत अब खुले बाजार में चीनी के प्रचलित मूल्य के आधार पर या मांग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर निर्धारित होगी।
- मौजूदा आर्थिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर इथेनॉल की कीमतों की उपयुक्त समीक्षा की जाएगी। एथेनॉल की आपूर्ति अवधि के दौरान सरकार द्वारा किसी भी समय मूल्य संशोधित किया जाएगा।

आगे की राह

- यह कदम निश्चित रूप से OMCs के लिए फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों ने यह माना है कि पहले से ही उच्च चीनी की कीमतों के मद्देनजर, यह चीनी उत्पादकों को अच्छे लाभकारी मूल्य के साथ एक वैकल्पिक बाजार की गारंटी प्रदान कर सकता है।
- इस प्रकार यह दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाएगा और देश के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है।
- हालांकि सरकार को इथेनॉल पर उत्पाद शुल्क में छूट को पुनः लागू करने पर विचार करना चाहिए।

3.11. कृषि विकिरण केंद्र

(Agro Irradiation Centers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत और रूस ने भारत में एकीकृत विकिरण केंद्रों की स्थापना में सहयोग करने के लिए सहमति जताई है।
- पहले चरण में, महाराष्ट्र में सात केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका अहमदनगर जिले में राहुरी पर वर्तमान केन्द्र के उन्नयन के साथ शुभारंभ होगा।

यह क्या है?

- कृषि विकिरण केंद्र वह केंद्र है जहां खाद्य उत्पादों को कीटाणुओं और कीड़ों से मुक्त करने के लिए कम मात्रा में विकिरण से गुजारा जाता है जिससे उनकी दीर्घायुता और शेल्फ जीवन में वृद्धि होती है।

महत्व

- भारत में खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों में फसल कटाई उपरांत हानि काफी अधिक है जो लगभग 40-50% है। ऐसा मुख्य रूप से कीटों के प्रकोप, जीवाणुतत्व-संबंधी संदूषण (microbiological contamination), अंकुरण और पकने के कारण भौतिक परिवर्तन और निम्न शेल्फ जीवन के कारण है। इसे विकिरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- विकिरण की मात्रा की अनुशंसा IAEA करता है और अंतिम उत्पाद पूर्णतया सुरक्षित होता है। इससे खाद्य उत्पाद के पोषण मान में कमी नहीं आती है और उनके आर्गेनोलेप्टिक गुणों या रंगरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3.12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र और शून्य दोष-शून्य प्रभाव योजना आरंभ

(National SC/ST Hub and Zero Defect-Zero Effect Scheme Launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (MSMEs) के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र और शून्य दोष, शून्य प्रभाव योजना का शुभारंभ किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केंद्र

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केंद्र का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराना और उनके बीच उद्यम संस्कृति और उद्यमशीलता का संवर्धन करना है।
- यह, बाजार उपलब्धता/संपर्क, क्षमता निर्माण, निगरानी मजबूत बनाने, उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करने और वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने की दिशा में काम करेगा।
- इससे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों (Central Public Sector Enterprises: CPSEs) के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्य पूरा करना संभव होगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 कहती है कि मंत्रालयों विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से करना होगा।
- मंत्रालय ने इस केंद्र के लिए 2016-2020 की अवधि के लिए 490 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन कर दिया है।

शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) योजना

- ZED योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए सभी MSMEs की श्रेणी निर्धारित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक उद्योग के लिए क्षेत्रक विशिष्ट मानक होंगे।
- 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शून्य दोष, शून्य प्रभाव (ZED) नारे का पहली बार उल्लेख किया गया था। यह नारा पर्यावरण पर अल्पतम नकारात्मक प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण उत्पादों के उत्पादन के लिए दिया गया था।
- यह योजना केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी आधारशिला बनेगी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, रोजगार सृजन करना, विकास को बढ़ावा देना और आय बढ़ाना है।
- इसके अतिरिक्त, इससे स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास और कार्यान्वयन का संवर्धन होगा।

3.13. कृषि उपज में विकल्प

(Options in Agricultural Produce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

SEBI ने हाल ही में कृषि उपज सहित चयनित वस्तुओं में विकल्प व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

यह क्या है?

विकल्प एक वित्तीय व्युत्पन्न होता जिसमें एक पक्ष अपना अनुबंध दूसरे पक्ष को बेचता है, जिसमें बेचनेवाला पक्ष खरीदार को पूर्व निर्धारित मूल्य और तिथि पर प्रतिभूति खरीदने या बेचने का अधिकार, लेकिन बाध्यता नहीं, प्रदान करता है।

समीक्षा

- किसानों के लिए सुरक्षा क्योंकि सरकार द्वारा केवल गेहूं, चावल और गन्ने के लिए निश्चित कीमतें निर्धारित की जाती हैं इसलिए वे स्थिर मूल्य व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।
- फिर भी, इन निश्चित कीमतों का राज्यों के बीच असमान प्रभाव रहा है।
- उपभोक्ता वरीयताओं में परिवर्तन और कीमतों में अंतर होने की स्थिति में, किसानों को शुद्ध घाटे का सामना करना पड़ता है।
- ऐसी स्थिति में, चाहे सरकारी एजेंसियां किसान के क्षेत्र में उक्त मौसम की खरीद कर रही हों या नहीं, विकल्प किसानों को भविष्य की कीमतें निर्धारित करने का अवसर देता है।
- इसके अतिरिक्त, विकल्प किसानों को भविष्य में खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए, निर्णय लेने में लचीलापन है।

चिंताएं

- इस बात को लेकर चिंता है कि यदि सट्टेबाज व्यापार पर हावी होते हैं, तो कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- वायदा व्यापार के साथ हुए अनुभव को देखते हुए, जहां गुटबंदी और कीमतों में हेराफेरी ने वृहद् स्तर पर सट्टेबाजी का मार्ग प्रशस्त किया, (SEBI को वास्तव में चने में नए अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और अरंडी से चुनिंदा हितधारकों को प्रतिबंधित करना पड़ा था) आवश्यक वस्तुओं में विकल्पों के शुभारंभ का प्रभाव सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है।
- यह समझना कठिन है कि किसान, जो काफी अलग-थलग होते हैं और छोटी, तुच्छ मात्रा में अपनी उपज का सौदा करते हैं, किस प्रकार विकल्प व्यापार के गुर में प्रवीणता प्राप्त करेंगे।

आगे की राह

- किसानों द्वारा स्वयं को उत्पादक कंपनियों या सहकारी समितियों में संगठित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें अपनी उपज को एकत्र करने और कीमतों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करने में सहायता मिलेगी।
- अनभिज्ञ किसान की तुलना में इस प्रकार के संगठन व्युत्पन्नों का व्यापार (trade in derivatives) करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में होंगे।
- NAM में खोजी गई कीमतों पर आधारित विकल्प व्यापार मध्यस्थों के हस्तक्षेप के बिना किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए हाजिर कीमतों की निष्पक्ष खोज के लिए आगे बढ़ने का सही तरीका होता।

VISION IAS

3.14. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार

(India Improves in Global Competitiveness Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम: WEF) की नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, और यह अब 39वें रैंक पर पहुंच गया है।

मुख्य तथ्य

- 39वें रैंक पर पहुंचने के लिए भारत की रैंकिंग में 16 स्थानों का सुधार हुआ है, जिससे यह सर्वेक्षण में शामिल 138 देशों में सबसे तेजी से अपनी रैंकिंग सुधारने वाला देश बन गया है।
- वैसे तो संपूर्ण सूचकांक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार देखने को मिला है, लेकिन यह विशेष रूप से वस्तु बाजार दक्षता (60), व्यापार परिष्कार (35) और नवोन्मेष (29) के क्षेत्र में अधिक स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है।
- BRICS देशों के बीच भारत दूसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश है । 28वें रैंक पर होने के कारण (BRICS देशों में) चीन प्रथम स्थान पर है।
- सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदम जिनकी मदद से इसके रैंक में सुधार हुआ है, निम्नलिखित हैं:

✓ सार्वजनिक संस्थानों में सुधार (16 स्थान ऊपर)।

✓ विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना (4 स्थान ऊपर)।

✓ वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना (15 स्थान ऊपर)।

- WEF ने अवलोकित किया है कि भारत को अभी भी निम्नलिखित समस्याओं से निपटने की आवश्यकता है:

✓ श्रम बाजार में निहित कमियां,

✓ बड़े सार्वजनिक उद्यम, जोकि आर्थिक क्षमता को कम करते हैं,

✓ वित्तीय बाजार,

✓ अवसंरचना का अभाव।

MARKED ADVANCEMENT

YEAR	INDIA'S GLOBAL COMPETITIVENESS RANKING	TOTAL COUNTRIES
2016-17	39 ▲	138
2015-16	55 ▲	140
2014-15	71 ▼	144
2013-14	60 ▼	148
2012-13	59	144

India's performance	RANK 2015-16	RANK 2016-17	
Basic requirements	80	**63**	▲
Institutions	60	**42**	▲
Infrastructure	81	**68**	▲
Macroeconomic environment	91	**75**	▲
Health and primary education	84	**85**	▼
Efficiency enhancers	58	**46**	▲
Higher education and training	90	**81**	▲
Goods market efficiency	91	**60**	▲
Labour market efficiency	103	**84**	▲
Financial market development	53	**38**	▲
Technological readiness	120	**110**	▲
Market size	3	**3**	◀▶
Innovation and sophistication factors	46	**30**	▲
Business sophistication	52	**35**	▲
Innovation	42	**29**	▲

Source: Global Competitiveness Inde

3.15. खनन निगरानी प्रणाली

(Mining Surveillance System: MSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान के केंद्रीय राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में खनन निगरानी प्रणाली (MSS) आरंभ की है।

यह क्या है?

- MSS एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG), गांधीनगर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के सहयोग से इंडिया ब्यूरो ऑफ़ माइंस (IBM) के माध्यम से खान मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।
- यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विश्व में विकसित सबसे पहली निगरानी प्रणालियों में से एक है।

- अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी की वर्तमान प्रणाली स्थानीय शिकायतों और अपुष्ट जानकारी पर आधारित होती है, जहाँ ऐसी शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
- ऐसी परिस्थिति में, MSS का उद्देश्य ऑटोमैटिक रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अवैध खनन गतिविधि की घटनाओं को रोककर लोगों की भागीदारी के माध्यम से उत्तरदायी खनिज प्रशासन की स्थापना करना है।

इस प्रणाली का संचालन

- MSS में, खनन पट्टों के मानचित्र भू-संदर्भित होते हैं और उन्हें CARTOSAT एवं USGS (यूनाइटेड स्टेट्स जियोलाजिकल सर्वे) से प्राप्त नवीनतम उपग्रह रिमोट सेंसिंग दृश्यों पर अध्यारोपित किया जाता है।
- इससे संचालन में अवैधता की जांच की जाती है और एक यूजर-फ्रैंडली मोबाइल ऐप का उपयोग करके उसकी खबर दी जाती है। ऐप को लोगों की भागीदारी को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है अर्थात् उपयोग को सरल रखा गया है ताकि नागरिक किसी अवैध खनन गतिविधि की खबर देने के लिए इसका उपयोग कर सकें।
- एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, एक निर्णय समर्थन प्रणाली (decision support system) की भांति कार्य करता है जिसका उपयोग करके अधिकारी देश के प्रमुख खनिज खनन पट्टों के संबंध में इन खनन पट्टों के मानचित्रण की वर्तमान स्थिति, ट्रिगर के कारणों, और उत्पन्न ट्रिगर से संबंधित निरीक्षणों की स्थिति, लगाए जाने वाले जुर्माने आदि पर नजर रख सकते हैं।

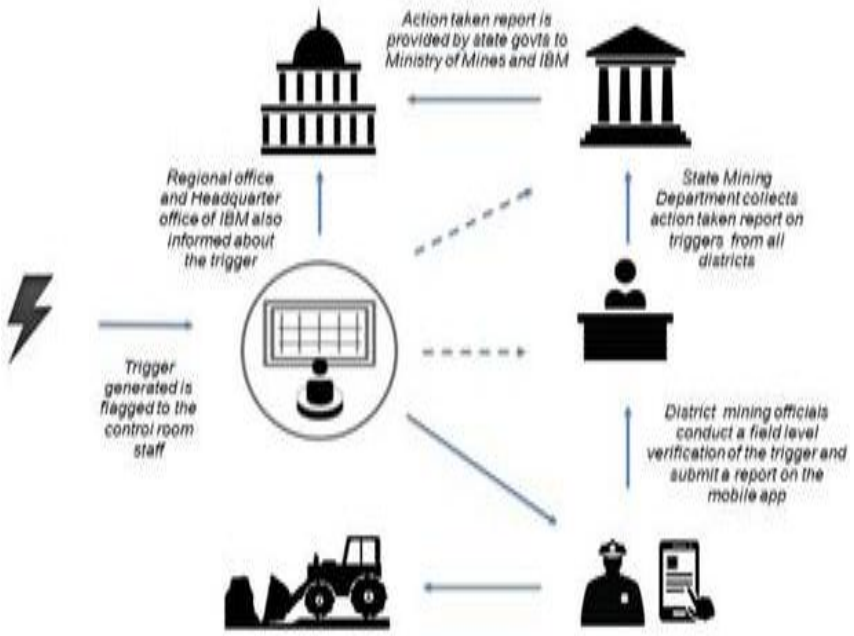

Fig: Flowchart of MSS Protocol

(चित्र का स्रोत: PIB न्यूज)

लाभ

- कर्नाटक जैसे राज्यों को, जहाँ अतीत में अवैध खनन की घटनाएं बार-बार सामने आई हैं, निम्नलिखित तरीके से इस प्रौद्योगिकी से लाभ होगा।
- इससे पारदर्शिता आएगी क्योंकि आम लोग इस प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे।
- यह एक पक्षपात-रहित और स्वतंत्र प्रणाली है क्योंकि इसमें कम से कम मानव हस्तक्षेप की गुंजाइश है।
- जल्द प्रतिक्रिया और कार्रवाई इसकी मुख्य विशेषता है क्योंकि खनन क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी जिसका एक निवारक प्रभाव भी पड़ेगा।
- ट्रिगर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही (फॉलो-अप)

3.16. AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

(Central Assistance Under AIBP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 99 प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।
- यह राशि गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना राज्य की 50 परियोजनाओं के लिए जारी की गई है।
- इन सिंचाई परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए इन राज्यों के सूखा प्रभावित जिले सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही इनका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सीमित करना भी है।

- पहचानी गई 99 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) का गठन किया गया है।
- HLEC प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अन्य घटकों की भी निगरानी करेगी और मध्यकालिक सुधार के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

- लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से आधे से भी कम केवल लगभग 64 लाख हेक्टेयर के लिए सुनिश्चित सिंचाई की उपलब्धता है। शेष अभी भी वर्षा जल पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, यहां तक कि समग्र सिंचित भूमि में भी, लगभग 60 प्रतिशत भूजल की पंपिंग पर आधारित है जो अधिकांश राज्यों में किसानों को दी जा रही निशुल्क या अत्यधिक रियायती दर पर बिजली से समर्थित हैं, इसके कारण तेजी से घट रहे महत्वपूर्ण संसाधन पर और दबाव पड़ रहा है।

चिंता के क्षेत्र

- इन परियोजनाओं के अपूर्ण बने रहने का एक प्रमुख कारण केंद्र सरकार द्वारा अपर्याप्त धन का विमोचन है।
- अन्य मुद्दों में अधिकांश परियोजनाओं में समय और लागत का बढ़ जाना, भूमि अधिग्रहण में समस्या और कुछ स्थानों पर सुरंगों के निर्माण जैसी तकनीकी कठिनाइयां सम्मिलित हैं।
- परियोजनाओं के सरकारी सर्वेक्षण से उपयोग में अंतराल का पता चला है - सृजित सिंचाई क्षमता और वास्तव में सिंचित क्षेत्र के बीच अंतर 25 से 55 प्रतिशत के बीच है। इसका अर्थ है कि ये परियोजनाएं अपनी क्षमता की तुलना में काफी हद तक कम क्षेत्र और काफी कम संख्या में किसानों की सेवा कर रही हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के अंतर्गत समर्पित सिंचाई कोष बनाया गया है, जिसे पैसे उधार लेने के लिए कर मुक्त बंधपत्र जारी करने के लिए कहा गया है।
- बजट के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का आरंभिक कोष पहले ही स्थापित किया जा चुका है जिसका नाबार्ड बाजार से आगे और पैसे जुटाने के लिए लाभ उठा सकता है।
- सरकार ने अब केंद्रीय जल आयोग और अन्य एजेंसियों को प्रतिवर्ष 143 पूर्ण परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं ग्रहण करने और उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए कहा है।
- इनमें से प्रत्येक परियोजना में अब जल उपयोगकर्ता संघ होंगें जो तय करेंगें कि किस प्रकार प्रत्येक् दावेदार के लिए पानी वितरित किया जाए।

आगे की राह

परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उनकी ऑनलाइन निगरानी के साथ ही भौतिक निगरानी का भी प्रावधान होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और लघु भूतल सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (LIS) के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ERM) सहित चल रही बड़ी/मध्यम सिंचाई (MMI) परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) का शुभारंभ किया था।

3.17. कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक

(Agricultural Marketing and Farm Friendly Reforms Index)

यह क्या है?

- नीति आयोग ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के श्रेणीकरण के लिए पहली बार "कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक" का शुभारंभ किया है।

केंद्र सरकार ने पहली बार 2003 में APMC अधिनियम के माध्यम से APMC या थोक बाजार (मंडियों) में सुधारों का, राज्यों से इसे अपनाने का आग्रह करते हुए शुभारंभ किया था, क्योंकि कृषि विपणन संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है।

VISION IAS

विशेषताएं और रैंकिंग

- आकलन करने के लिए प्रयुक्त संकेतक कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह रैंकिंग मॉडल APMC अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन, इस पहल में सम्मिलन, विपणन के लिए फल और सब्जियों के लिए विशेष उपचार और मंडियों में करों के स्तर पर आधारित हैं।
- सूचकांक में सम्मिलित अन्य मानक पट्टेदार किसानों के लिए कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और अपनी भूमि के पेड़ काटने और ढोने की किसानों की स्वतंत्रता है, जो उनके लिए अपनी आय में विविधता लाना संभव बनाती है।
- इस सूचकांक में "0" जिसका तात्पर्य चयनित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं है से लेकर"100" जिसका तात्पूर्य चयनित क्षेत्रों में पूर्ण सुधार है, के मान तक स्कोर हैं और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचकांक में स्कोर के संदर्भ में श्रेणीबद्ध किया गया है।
- महाराष्ट्र ने विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है क्योंकि इसने अधिकांश विपणन सुधारों का कार्यान्वयन कर लिया है और कृषि व्यवसाय करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करता है।
- गुजरात दूसरे स्थान पर है जिसके निकट ही राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं।
- दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बाद पुडुचेरी को सबसे निचला स्थान मिला है।
- उ.प्र., पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर सहित लगभग दो तिहाई राज्य सुधार स्कोर के आधे अंक तक भी नहीं पहुंच सके हैं।
- कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो APMC अधिनियम को अपनाया नहीं या इसे रद्द कर दिया है। इनमें बिहार, केरल, मणिपुर, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार सम्मिलित हैं। इन्हें रैंकिंग में नहीं सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित कृषि सुधार

- नीति आयोग ने भी कृषि सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जो आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभान्वित होने के लिए किसानों के लिए कृषि व्यापार की सुगमता के साथ ही अवसर प्रकट करते हैं और जिनमें अपने उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प है।
- ये सुधार हैं:

✓ **कृषि बाजार सुधार:** ताकि कृषि से अर्जित हो सकने वाले लाभों का सर्वोत्तम संभव सुधार सुनिश्चित करने वाले विपणन सिद्धांतो का अंगीकरण करके दोहन किया जाए।

✓ **भूमि पट्टा सुधार:** कृषि भूमि पट्टे पर लेने और देने से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और काश्तकार को मान्यता प्रदान करने और भूस्वामी के 'उदारीकरण की रक्षा के लिए कानून में परिवर्तन।

✓ **निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार-पेड़ों की कटाई और पारगमन:** ये सुधार किसानों की आय के संपूरण में कृषि वानिकी की अप्रयुक्त संभावनाओं पर बल देते हैं। ये सुधार कृषि व्यापार में विविधता लाने के लिए निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन के लिए भी किसानों को दी गई स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आगे की राह

- राज्य मापदंड के रूप में इस सूचकांक का उपयोग कर सकते हैं और उन संकेतकों पर सुधार ला सकते हैं जहां वे पीछे रह गए हैं क्योंकि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समस्याओं की पहचान करने और समाधान करने में उन राज्यों की सहायता करना है, जो कम वृद्धि, कम आय और कृषि संकट से ग्रस्त हैं।
- राज्यों को इन उल्लिखित सुधारों के अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की पूरी मरम्मत करना है, जो अंततः किसानों के लिए लाभप्रद होगा।

3.18. क्षेत्रीय कनेक्टविटी योजना 'उड़ान' का शुभारम्भ

(Regional Connectivity Scheme 'Udan' Launched)

योजना के बारे में

- UDAN क्षेत्रीय उड्डयन बाज़ार को विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य है- **"उड़े देश का आम नागरिक"**।

प्रमुख विशेषताएं

VISION IAS

- उड़ान योजना 200 किमी से 800 किमी के बीच की उड़ानों पर लागू होगा जबकि पहाड़ी, सुदूरवर्ती, द्वीपीय तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा नियत नहीं की गयी है।
- इस योजना में एक न्यूनतम संख्या में उड़ान सीटों को आरक्षित करना है अर्थात रियायती दरों पर सीटें उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही यह कम दूरी की उड़ानों के किराए पर भी एक अधिकतम सीमा नियत करती है।
- इसे दो साधनों के आधार पर प्राप्त किया जाएगा:

✓ केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विमान पत्तन संचालकों से रियायतें जैसे कि करों में छूट, पार्किंग तथा लैंडिंग शुल्क से छूट, इत्यादि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

✓ ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानों का आरम्भ करने के इच्छुक एयरलाइनों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) प्रदान करना जिससे कि यात्री किरायों को वहनीय रखा जा सके।

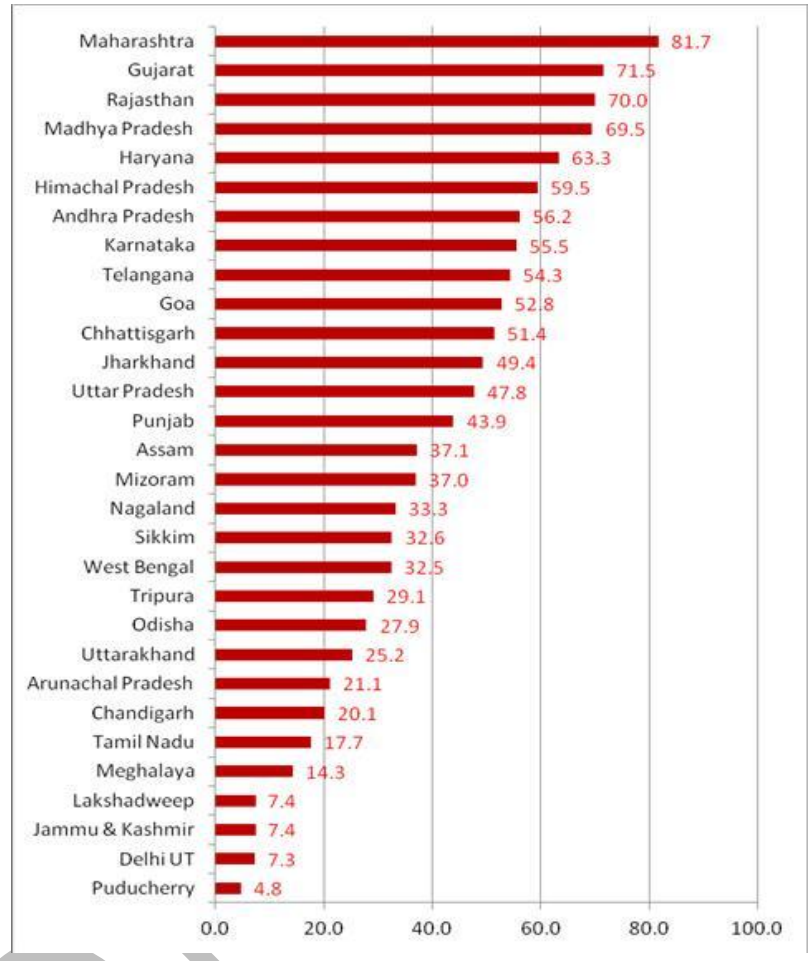

- रूचि रखने वाले ऑपरेटर, योजना लागू करने वाली एजेंसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात ऐसे सभी मार्ग प्रस्तावों को उत्क्रमित बोली व्यवस्था के माध्यम से स्पर्धी बोली लगाने की पेशकश की जाएगी और उस ऑपरेटर को मार्ग अधिकार मिलेगा जिसकी बोली प्रति सीट न्यूनतम VGF की होगी।
- तीन वर्ष की अवधि के पश्चात इस सहायता को वापस ले लिया जाएगा। उस अवधि के समाप्त होते-होते उन मार्गों के स्वतः वहनीय हो जाने की अपेक्षा की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत VGF संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क कोष (रीजनल कनेक्टिविटी फण्ड: RCF) बनाया जाएगा। भागीदार राज्य सरकारें (इनमें पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं जिनका योगदान 10 प्रतिशत होगा) इस कोष के लिए 20 प्रतिशत हिस्से का योगदान देंगी और कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान RCF कर लगाया जाएगा।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए इस योजना के तहत आवंटन देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप किया जाएगा। वे क्षेत्र हैं- उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व।
- उड़ान योजना का संचालन जिन हवाई अड्डों से शुरू किया जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके और उनकी रियायतों की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा।
- उड़ान योजना में, वर्तमान सुविधाहीन तथा अत्यंत कम सुविधा प्राप्त हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार कर कनेक्टिविटी प्रदान करने कि परिकल्पना की गयी है।
- यह योजना 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

महत्व

- इस योजना के कारण वहनीयता, कनेक्टिविटी, संवृद्धि तथा विकास सुनिश्चित होंगे।
- यह रोज़गार सृजन में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में निवेश किये जाने वाले प्रत्येक रुपए से अर्थव्यवस्था में 3.5 रुपए की वृद्धि होती है, तथा प्रत्यक्ष रूप से सृजित प्रत्येक रोज़गार 6.1 अप्रत्यक्ष अवसरों का निर्माण करता है।

VISION

- यह थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली वर्तमान वस्तुओं, कमज़ोर या टूट सकने वाली वस्तुओं तथा उच्च मूल्य वाले निर्यताभिमुख उत्पादों को वायु मार्ग से एक से दुसरे स्थान पर पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि के द्वारा व्यवसाय का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।
- राज्य सरकारों को छोटे वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों को सेवा में लाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास, संवर्द्धित व्यापार तथा वाणिज्य एवं पर्यटन के और अधिक विस्तार जैसे अनेक लाभ होंगे।
- वर्तमान में सेवारत एयरलाइनों को नए मार्गों तथा और अधिक यात्रियों की प्राप्ति की संभावना बनती है, जबकि स्टार्ट अप एयरलाइनों के लिए नवीन आरोह्य (scalable) व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं।
- सेवा-बाधित तथा क्षमता से कम सेवा प्रदान कर रहे हवाई अड्डों (कुल संख्या 416) का व्यावसायीकरण के कारण केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित रहे सार्वजनिक स्वामित्व के स्थलों का लोकतंत्रीकरण होगा। एक औसत नागरिक को उनके प्रयोग तथा विकास में साझेदारी प्राप्त होगी।

आलोचनाएं

- एयरलाइनें विलासिता की प्रतीक होती हैं। भारत जैसे निर्धन देश में क्षेत्रीय वायु-मार्गों की कनेक्टिविटी के लिए सरकारों तथा यात्रियों के ऊपर अतिरिक्त अनुदानों का बोझ डाला जाना अनुपयुक्त प्राथमिकताओं वाला मुद्दा प्रतीत होता है।
- यात्री आवागमन के रूप में देखें तो भारत विश्व का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला बाज़ार है। जनवरी तथा सितम्बर 2016 के बीच, भारत में यात्री आवागमन में 23.17% की वृद्धि हुई। उड्डयन नियामक के आंकड़ों को देख कर पता चलता है कि सभी लाइसेंस प्राप्त एयरलाइनों ने अपने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कोटे को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने नियामकों द्वारा निर्देशित संख्या से कहीं बहुत अधिक यात्रियों को ढोया है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस अवस्था से बाज़ार की गतिशीलता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसलिए, राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को कहीं अन्य व्यय किया जाना बेहतर सिद्ध होगा।
- किसी मार्ग को स्वयं वहनीय बनाने के लिए तीन वर्ष की पूर्व-धारणा अनुपयुक्त हो सकती है। साथ ही इसमें ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पहलू का आकलन नहीं किया गया है जो वायु-मार्ग के किराया संबंधी गतिकी में प्रभावी बदलाव लाएगा।

एयरलाइनों के संचालन संबंधी वातावरण पर पहले से ही अत्यधिक कर-बोझ है (ATF पर आरोपित कर विश्व में सबसे अधिक हैं)। इसलिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक और करारोपण से एयरलाइनें और अधिक परेशान प्रतीत हो रही हैं।

3.19. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

(Eastern Dedicated Freight Corridor)

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में

- यह भारतीय रेलवे द्वारा पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भारतीय राज्यों को जोड़नेवाला निर्माणाधीन माल गलियारा है।
- यह 1,840 किलोमीटर लंबा है और तीन अनुभागों वाली परियोजनाओं की श्रृंखला के रूप में पंजाब के लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक विस्तृत है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, विश्व बैंक समूह के अंग अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I.R.B.D) ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीसरे चरण के लिए D.F.C.C.I.L. को $650 मिलियन डॉलर उधार देने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- क्रमशः 975 मिलियन डॉलर और 1,100 मिलियन डॉलर के ऋणों के रूप में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग की सहायता से D.F.C.C.I.L, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले दो चरणों का पहले से ही कार्यान्वन कर रहा है।

इस परियोजना का महत्व

- इससे रेल परिवहन क्षमता का संवर्धन होगा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में स्थित विद्युत और भारी विनिर्माण उद्योग सीधे लाभान्वित होंगें क्योंकि ये उद्योग भारी और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के साथ-साथ अपने कच्चे माल के कुशल परिवहन के लिए सुचारू रेलवे नेटवर्क पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, रेलवे यात्री भी लाभान्वित होंगें क्योंकि वर्तमान यात्री लाइनों की भीड़भाड़ कम जाएगी।

- इससे संपूर्ण समर्पित मालभाड़ा गलियारा नेटवर्क का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन करने के लिए D.F.C.C.I.L की संस्थागत क्षमता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

3.20. CSR व्यय में रुझान

(Trends in CSR Spending)

मुख्य विशेषताएं

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से संबंधित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत ने 2015-16 में अपने CSR दायित्व के भाग के रूप में 8345 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।
- यह पिछले वर्ष में किए गए 6526 करोड़ रूपए के व्यय से 28% अधिक है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य वरीय क्षेत्र बने हुए हैं।
- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य फंडों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड 418% की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

मुद्दे

- जहाँ अनुपालन दर में वृद्धि हुई है, वहीं व्यय न की गई राशि में भी वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि एक बड़ी संख्या में कंपनियाँ अपना सामाजिक दायित्व पूरा करने में विफल रही हैं और CSR पर निर्धारित राशि व्यंय नहीं कर पाई हैं।
- कॉर्पोरेट वास्तव में CSR पर उतना व्यय नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 41% की तुलना में केवल 28% की वृद्धि का पता चलता है।
- वे परिवर्तन हाथ में लेने या संचालित करने की बजाय प्रधानमंत्री राहत कोष में निष्क्रिय योगदान कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां CSR का निष्क्रिय तरीके से निर्वहन करना बेहतर समझती हैं क्योंकि इससे उनका समय और मानव संसाधन बचता है।
- व्यय न किये जाने के लिए कंपनियों द्वारा उद्धृत अन्य कारण हैं - सही अवसर या परियोजना की पहचान करने में सक्षम होने की कमी और कार्यान्वयन एजेंसी खोजने में सक्षम न होना।

CSR के संबंध में

- CSR प्रावधानों का समावेश करने के लिए 2013 में कंपनी अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया गया था। CSR नियम, 2014 इस प्रक्रिया का विनियमन करता है।
- यह विनियम कंपनियों के लिए विभिन्न सामाजिक कारणों के प्रति औसत निवल लाभ (पिछले तीन वर्षों में अर्जित) का कम से कम 2 प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य बनाता है।

3.21. ऊर्जा गंगा परियोजना

(Urja Ganga Project)

ऊर्जा गंगाः एक परिचय

- अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के वाराणसी में ऊर्जा गंगा नामक अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना की नींव रखी है।
- इसका लक्ष्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइप्ड कुकिंग (PNG) गैस और वाहनों के लिए CNG गैस उपलब्ध कराना है।

मुख्य विशेषताएं

- इस परियोजना के तहत 2018 तक जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) को जोड़ने वाली एक 2,050 कि.मी. लम्बी पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है। इसमें पांच राज्य होंगेः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
- इस परियोजना को GAIL द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इस परियोजना के तहत GAIL के मौजूदा लगभग 11,000 कि.मी. लम्बे ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क में 2540 कि.मी. तक वृद्धि होगी।
- सात पूर्वी भारतीय शहार यानी वाराणसी, जमशेदपुर, पटना, रांची, कोलकाता, भुबनेश्वर, कटक इस नेटवर्क विकास के प्रमुख लाभार्थी होंगे।

महत्व

- इस परियोजना को भारत के पूर्वी क्षेत्र की सामूहिक वृद्धि और विकास की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत, कुल मिलाकर 20 लाख घरों में PNG कनेक्शन की सुविधा मिलेगी।
- वाराणसी के दृष्टिकोण से, 50,000 घरों और 20,000 वाहनों को क्रमशः अधिक साफ़ और अधिक सस्ता ईंधन और CNG गैस मिलेगी।
- इसके अलावा, धामरा का LNG टर्मिनल पूर्वी राज्यों - उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा - के औद्योगिक विकास के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करेगा।
- इस पाइपलाइन से गैस का इस्तेमाल करके इन 5 राज्यों में 25 औद्योगिक संकुलों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, इस परियोजना से 40 जिलों और 2600 गाँवों को लाभ होगा।
- इससे गैस की आपूर्ति से बिहार में बरौनी में, यूपी में गोरखपुर में, झारखण्ड में सिंदरी में और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में निष्क्रिय उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार करने में भी मदद मिलेगी।
- इससे वाराणसी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों सहित अन्य श्मशान भूमियों में प्राकृतिक गैस आधारित शवदाहगृह की व्यवस्था करने में भी मदद मिलेगी। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा।

3.22. किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

(DBT for Kerosene)

इसके बारे में

- LPG/रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की योजना के बाद सरकार किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए भी प्रत्यक्ष DBT लांच करने की योजना बना रही है।
- इसने इस प्रक्रिया को झारखण्ड के चार जिलों में एक पायलट कार्यक्रम के माध्यम से आरम्भ किया है।
- DBTK योजना के अंतर्गत, PDS किरोसिन को गैर-सब्सिडी युक्त मूल्य पर बेचा जा रहा है, एवं, सब्सिडी, स्वीकार्य होने पर, सीधे उपभोक्तओं के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।
- सरकार की इस पहल का लक्ष्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी चोरी में कटौती करना एवं प्रशासनिक लागतों को कम करना है। यह, इस प्रकार, सभी हितधारकों को लाभ पहुँचाना चाहती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- सुव्यवस्थित और एकीकृत डिजिटल उपभोक्ता डेटाबेस का अभाव: रसोई गैस के सभी उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्रक की तेल विपणन कंपनियों के अंतर्गत थे, जिससे उपभोक्ता डेटा संकलित करना सरल हो गया था। हालांकि, किरोसिन के मामले में उपभोक्ता डेटा अपने राज्यों के पास उनकी PDS के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार विशेष रूप से गैर-डिजीटलीकृत PDS लाभार्थी डेटाबेस के मामले में, राज्य स्तरीय कर्ताओं की बड़ी संख्या के बीच समन्वय का प्रकरण बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है।
- केंद्र और राज्यों के बीच अंतर: यद्यपि केंद्र सब्सिडी के वित्तीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित करता है, किन्तु लाभार्थियों और सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्रा है। इस प्रकार इसके सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों को इस विचार के अनुरूप होना चाहिए।
- डीजल और सब्सिडी-रहित किरोसिन के बीच मूल्य का अंतर अभी भी इतना अधिक होगा कि यह दलालों को इस ईंधन को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग करने हेतु इसकी आपूर्ति का मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होगा।
- दूसरी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह सब्सिडी प्रमुख लाभार्थियों अर्थात् गरीब घर-परिवारों तक पहुँचे। वर्तमान में, दूरदराज के स्थानों में बैंक शाखाएँ सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं हैं, परिणामस्वरूप बैंक से धन आहरण की लागत बढ़ जाती है।

आगे की राह

- अध्ययनों से पता चलता है कि किरोसिन मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में प्रकाश उत्पन्न करने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 प्रतिशत से कम लोग ही इसका प्रयोग भोजन पकाने के प्रमुख ईंधन के रूप में करते हैं।
- इस प्रकार, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा चालित समाधानों एवं भोजन पकाने के लिए रसोई गैस का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दीर्घावधि में यह सरकार और साथ ही साथ घर-परिवारों दोनों ही के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा ।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) **विगत वर्षों में**

मुख्य परीक्षा 2015

Q. मूल्य सब्सिडी का प्रतिस्थापन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से करने से भारत में सब्सिडी से संबंधित परिदृश्यों में क्या परिवर्तन हो सकेगा? चर्चा कीजिए।

3.23. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

(Ease of Doing Business Rankings)

पृष्ठभूमि

- विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं की उनकी ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने की सुगमता) के आधार पर रैंकिंग करता है। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की उच्च रैंकिंग का अर्थ यह है कि विनियामकीय वातावरण स्थानीय फर्म का शुभारंभ और संचालन करने के अनुकूल है।
- रैंकिंग 10 शीर्षकों पर फ्रंटियर स्कोर से कुल दूरी की गणना करके निर्धारित की जाती है, प्रत्येक शीर्षक कई संकेतकों से मिलकर बना है, प्रत्येक शीर्षक को बराबर वजन दिया जाता है।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस रैंकिंग में भारत का स्थान नीचे रहा है। 2017 की हाल की रैंकिंग में, भारत एक स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है।
- यह मामूली सुधार भी चार संकेतकों - बिजली का मिलना, अनुबंधों का प्रवर्तन, सीमापार व्यापार और संपत्ति के पंजीकरण में हल्के सुधार के चलते आया है।

इस रिपोर्ट के सकारात्मक पहलू

- इस रिपोर्ट में वर्तमान भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की प्रशंसा की गई है।
- यह 10 में से चार शीर्षकों के अंतर्गत सुधारों को मान्यता प्रदान करती है जो अभी तक भारत द्वारा प्राप्त उच्चतम हैं।
- प्रत्येक अर्थव्यवस्था और उक्त श्रेणी में सबसे अच्छे प्रदर्शन के बीच की दूरी नापने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त -'डिस्टेंस टू फ्रंटियर' (DTF) स्कोर – में इन 10 शीर्षकों में से सात में सुधार आया है।
- इस रिपोर्ट में विशेष रूप से व्यापारों के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती प्राप्त करने के लिए भारत की प्रशंसा की गई है।

क्या मामूली सुधार चिंता का विषय होना चाहिए?

- भारत की स्थिति में केवल एक स्थान का सुधार हुआ है। इसे दो कारणों से कई लोगों द्वारा चिंता के विषय के रूप में देखा जा रहा है:

✓ भारत ने बीते वर्षों के दौरान दिवालियापन संहिता, GST के अधिनियमन, निर्माण योजना के अनुमोदन और ऑनलाइन ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के लिए एकल खिड़की प्रणाली का प्रचालन और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) पंजीकरण आदि जैसे कई आर्थिक सुधार किए हैं। इस प्रकार, बेहतर रैंकिंग की आशा थी।

✓ इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार का लक्ष्य था कि भारत को 2018 तक ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में लाना है। अब यह लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगता है।

- हालांकि, यह रिपोर्ट भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की स्थिति का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उदाहरण के लिए:

✓ इस रिपोर्ट में केवल 1 जून 2016 तक किए गए सुधारों का संज्ञान लिया गया है। फलस्वरूप ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन संहिता जैसे कुछ प्रमुख सुधार नहीं सम्मिलित किए गए हैं। भारत को अगले वर्ष बेहतर रैंकिंग मिलने की आशा है।

✓ दूसरे, रैंकिंग पद्धति में एक विशेष परिवर्तन भारत की सुधार की संभावनाओं को काफी क्षति पहुंचाने वाली प्रतीत होता है। "करों का भुगतान" शीर्षक के अंतर्गत भारत का नीचे से चौथा स्थान है। नए मापदंड 'पोस्ट-फाइलिंग सूचकांक' के समावेश को इसमें काफी योगदान करना है।

✓ तीसरे, इस रैंकिंग में केवल दो शहर दिल्ली और मुंबई सम्मिलित हैं। हालांकि, सुधार पूरे भारत में किया जा रहा है। वास्तव में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों ने आर्थिक सुधारों के संबंध में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।

- ✓ चौथे, साथ ही अपनी रैंकिंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे अन्य देशों से भी अधिक से अधिक से प्रतिस्पर्धा है। वास्तव में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम एक सुधार लागू करने वाले देशों की संख्या 122 से बढ़कर 137 हो गई है। इस प्रकार, भले ही भारत ने अपने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार कर लिया हो, लेकिन यह सुधार समान अर्थ में रैंकिंग में परिलक्षित नहीं होता है।
- इसके अतिरिक्त, इस रैंकिंग प्रक्रिया की भी अपनी सीमाएं हैं। यह रिपोर्ट सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ समेटती है। जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ उभरते बाजारों को, शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं आदि को। इस प्रकार का दृष्टिकोण विशाल रैंकिंग प्रणाली देता है, लेकिन, उदाहरण के लिए, पूंजी के प्रवाह की भविष्यवाणी करने में शायद ही उपयोगी है। इस प्रकार, जहां भारत ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में कई देशों से पीछे छूट सकता है, वहीं यह अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि के लिए बेहतर गंतव्य हो सकता है।

आगे की राह

- हमें जॉर्जिया और कजाखस्तान जैसे अन्य देशों से सीखना चाहिए जिन्होंने कुछ वर्षों के संदर्भ में रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे पिछले 10 वर्षों में जॉर्जिया की रैंकिंग 100 से सुधर कर 16 हो गई है।
- DIPP सुधार आगे बढ़ाने, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श आयोजित करने, और सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में विभागों की सहायता करने के लिए बाहरी एजेंसियां नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

A Long Way To Go

	2017 Rank	2016 Rank
Overall	130	131
Starting A Business	155	151
Dealing With Construction Permits	185	184
Getting Electricity	26	51
Registering Property	138	140
Getting Credit	44	42
Protecting Minority Investors	13	10
Paying Taxes	172	172
Trading Across Borders	143	144
Enforcing Contracts	172	178
Resolving Insolvency	136	135

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking — Bloomberg | Quint

Last Amongst BRICS Nations

Country	2015	2016	2017
Russia	62	51	40
South Africa	43	73	74
China	90	84	78
Brazil	120	116	123
India	142	131	130

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking — Bloomberg | Quint

3.24. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हार्वर्ड के ओलिवर हार्ट और MIT के प्रोफेसर बेंट हॉल्म स्टॉर्म ने अनुबंध और व्यापार में मानव व्यवहार के अपने अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में इस वर्ष का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है।

अनुबंध सिद्धांत क्या है?

- अनुबंध को किस प्रकार से डिजाईन किया गया है यह वास्तविक जगत में विभिन्न स्थितियों में हमारे प्रोत्साहनों/फायदों को परिभाषित करता है। अनुबंध हो सकते हैं:
- ✓ औपचारिक या अनौपचारिक, इस आधार पर कि क्या उन्हें कानून या सामाजिक मानदंडों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है,
- ✓ पूर्ण या अपूर्ण, जो इस बात पर आधारित होते हैं कि क्या वे सभी संभावनाओं का संज्ञान लेते हैं जो भविष्य में निहित हैं,
- अनुबंध सिद्धांत, कम से कम आंशिक रूप से, हमारे अनुबंधों में सूक्ष्मभेदों और किस प्रकार इन अनुबंधों का बेहतर निर्माण किया जा सकता है को समझने का प्रयास हैं।
- इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने "शीर्ष अधिकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित वेतन, बीमा में कटौती योग्य और सह-भुगतान, और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का निजीकरण जैसी संविदात्मक अभिकल्पना में कई विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा" प्रदान की है।
- यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, इस संकट का दोष उस अल्पकालिक जोखिम को दिया गया जिसे निवेश बैंकरों को भुगतान किए गए विशाल नकद बोनसों द्वारा बढ़ावा दिया गया।

- यह नैतिक जोखिम के विषयों पर भी ध्यान देता है, जो वहां उत्पन्न होते है, जहां जोखिम लेने वाले लोग विफलता की लागत साझा नहीं करते हैं।

महत्व

- अनुबंध सिद्धांत ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर संवैधानिक कानून तक कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
- अनुबंध सिद्धांत सटीक परिकल्पना उत्पन्न करता है जिसका अनुभवजन्य आंकड़ों के साथ सामना किया जा सकता और दिवालियापन कानून से लेकर राजनीतिक संविधानों तक विभिन्न नीतियों और संस्थाओं की अभिकल्पना के लिए बौद्धिक आधार तैयार करता है।

सार्वजनिक नीति में अनुबंध सिद्धांत का उपयोग कुछ ऐसा है जिसे भारत सरकार को सीखना चाहिए, चाहे यह दूरसंचार क्षेत्र में नीलामी की अभिकल्पाना हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अभिकल्पना।

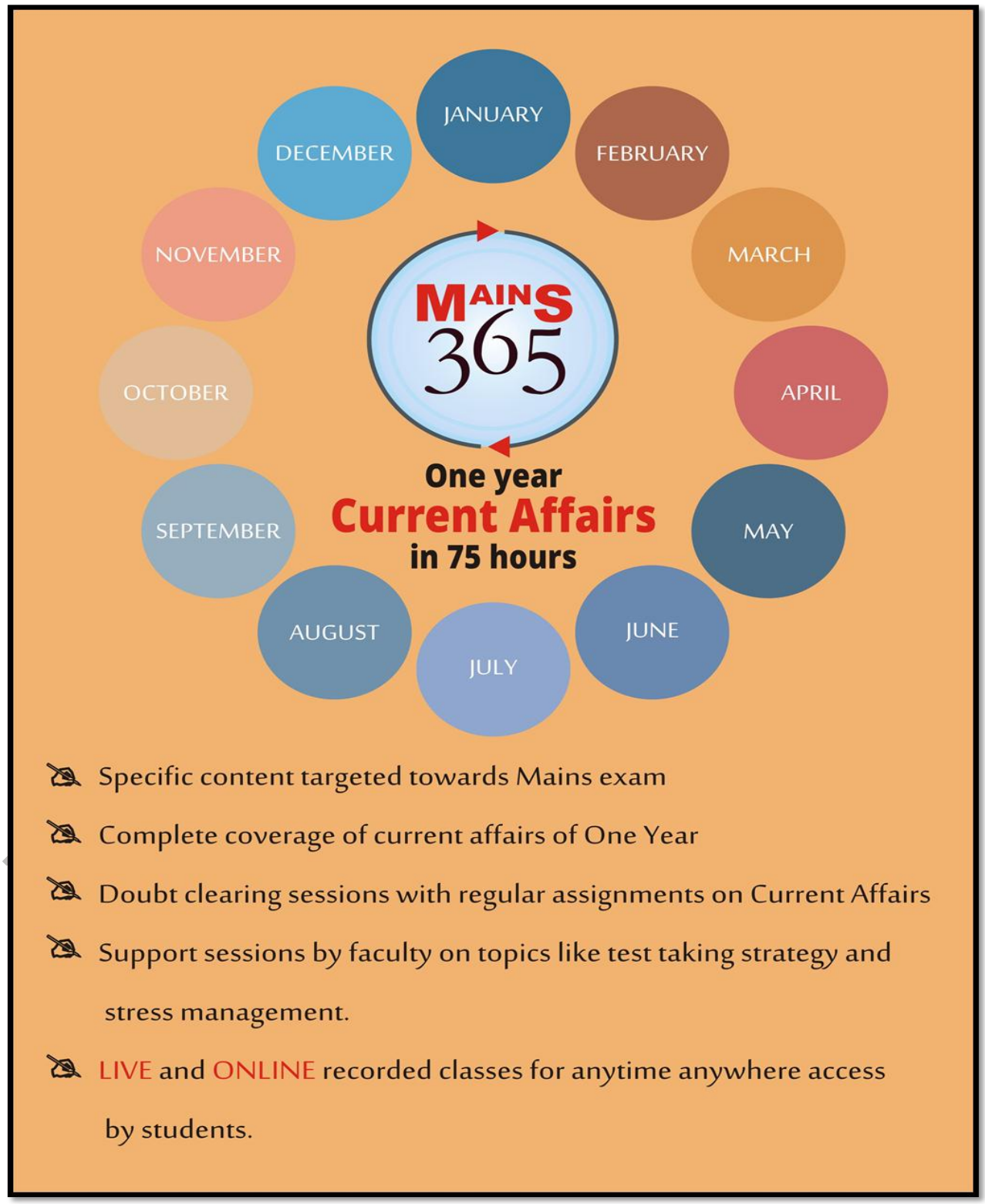

4. समाजिक मुद्दे

(SOCIAL)

4.1. लिंग संबंधी मुद्दे

(Gender Related Issues)

4.1.1. विश्व आर्थिक फोरम (WEF) की लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का 87वां स्थान

(India Ranks 87 in WEF Gender Gap Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व आर्थिक फोरम (WEF) की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2016 हाल ही में जारी हुई।
- भारत ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूची में अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है, WEF द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट के अनुसार भारत एक वर्ष में 108वें स्थान से 87वें स्थान पर आ गया है।

रिपोर्ट के संबंध में

- WEF देशों के लैंगिक अंतराल का मापन चार कारकों को ध्यान में रखते हुए करता है- अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
- नवीनतम संस्करण में, रिपोर्ट द्वारा ज्ञात किया गया है कि अंतराल बढ़ने के साथ लैंगिक भेद के प्रमुख आर्थिक स्तम्भ में समता की ओर प्रगति उल्लेखनीय रूप से मन्द हुई है- यह 59% है – जो 2008 के बाद से किसी भी समय बिन्दु की तुलना में अधिक है।
- वैश्विक रूप से, इस रैंकिंग में स्कैंडिनेविआई देश: आइसलैंड, फिनलैंड, नार्वे और स्वीडन शीर्ष चार स्थानों में बने हुए हैं।

भारत का प्रदर्शन

- भारत का 144 देशों में 87वां स्थान है, इसने 2015 में अपनी स्थिति (108वां स्थान) से सुधार करते हुए यह स्थान प्राप्त किया है।
- इसने अपने लैंगिक अंतराल को एक वर्ष में 2% कम कर दिया है: चार स्तम्भों के अंतर्गत यह अंतर अब 68% है।
- हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सुधार हुए हैं, जहाँ इसने प्राथमिक एवं द्वितीयक शिक्षा में अंतराल को पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है।
- भारत ऐसे देशों के समूहों में से भी एक है जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, किन्तु आमतौर से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की बाधाओं को नहीं हटाया है।

GLOBAL TOP 10

The Global Gender Gap Index	Global rank*
Iceland	1
Finland	2
Norway	3
Sweden	4
Rwanda	5
Ireland	6
Philippines	7
Slovenia	8
New Zealand	9
Nicaragua	10

Note: *2016 rank out of 144 countries

Source: The Global Gender Gap Report 2016

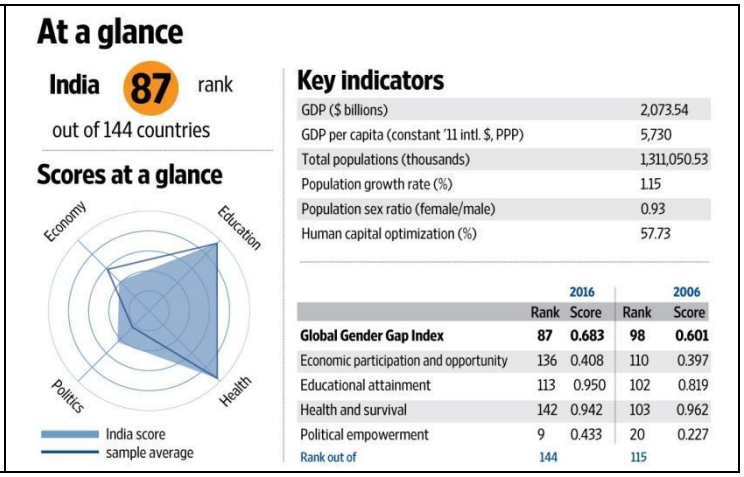

VISION IAS

4.1.2. जननी सुरक्षा योजना

(Janani Suraksha Yojna)

सुर्ख़ियों में क्यों?

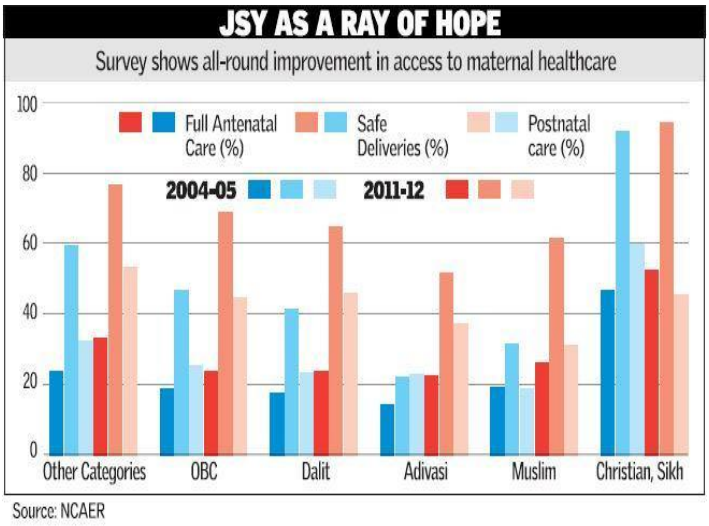

नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च (NCAER) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन के अनुसार जननी सुरक्षा योजना (JSY) ने सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहयोग किया है, साथ ही साथ इसके फलस्वरूप सभी समूहों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं वंचितों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में संवर्धन हुआ है।

- यह अध्ययन तुलना करने के लिए पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती परिदृश्य प्रदान कराने वाले, 2004-05 और 2011-12 में आयोजित, भारत मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) के दो दौर से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर किया गया था।

योजना के बारे में

- जननी सुरक्षा योजना (JSY) का शुभारम्भ संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में प्रसव) को प्रोत्साहन प्रदान कर मातृ और नवजात स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में वर्ष 2005 में किया गया था।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY) एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है एवं इसमें प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरांत देखभाल के लिए नकद सहायता समाविष्ट होती है।
- इसे इस योजना के अंतर्गत सरकार और गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करने वाली आशा (ASHA) अर्थात मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- **यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में किस प्रकार सहायता करती है:**
- सर्वप्रथम, इन दोनों दौर के बीच निरक्षर या कम शिक्षित और निर्धन महिलाओं के बीच तीनों मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग उल्लेखनीय रूप से उच्च था।
- दूसरा, सर्वेक्षणों के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों और मुस्लिम महिलाओं द्वारा तीनों मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग बढ़ा।
- सामान्यतः कम शिक्षित और अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच एवं निर्धन और संपन्न महिलाओं के बीच अंतराल में कमी आयी है।

4.1.3. घरेलू हिंसा अधिनियम में परिवर्तन

(Changes in Domestic Violence Act)

इसके संबंध में

- सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान में से "वयस्क पुरुष" शब्द समाप्त कर दिया है, ताकि एक महिला किसी दूसरी महिला पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध भी शिकायत (परिवाद) दर्ज करा सके।
- **न्यायालय द्वारा दिए गए कारण**
- घरेलू हिंसा की अपराधकर्ता और दुष्प्रेरक, महिलाएँ भी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें न्याय प्रकिया से अलग रखने से अधिनियम का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। इस उन्मुक्ति के अंतर्गत महिलाएँ एवं छोटे बच्चे घरेलू हिंसा करना जारी रख सकते हैं।
- यह समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता है एवं इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

परिवर्तन का महत्व

- यह घरेलू हिंसा को **लिंग निरपेक्ष** बना देता है, जो कुछ विशेषज्ञों (न्यायपीठ सहित) के अनुसार न्याय के प्रयोजन को बेहतर रूप से पूर्ण करने में सहायता करेगा।
- हालांकि, इससे संबंधित कुछ चिंताएँ भी व्यक्त की गयी हैं कि यह पतियों को अपनी माताओं या बहनों के माध्यम से अपनी पत्नियों के विरुद्ध प्रतिवाद (counter case) दर्ज कराने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

- इस अधिनियम के अंतर्गतत किशोरों को भी रखे जाने से संबंधित शंकाएँ भी हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कोई आपराधिक प्रावधान नहीं है, इसलिए किशोर अपराध बोर्ड के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राहत लगभग सदैव वित्तीय- भरण-पोषण, क्षतिपूर्ति एवं वैकल्पिक आवास व्यवस्था होती है- जिसका दावा किसी वयस्क व्यक्ति के विरुद्ध ही किया जा सकता है।

4.1.4. मुस्लिम पर्सनल लॉ: सुधार की आवश्यकता

(Muslim Personal Law: Need for Reforms)

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता शायरा बानो के एक मामले, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1937 की धारा 2 की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है, की सुनवाई कर रहा है। यह धारा अब तक बहुविवाह, तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को वैधता प्रदान करती आ रही है।
- केंद्र सरकार भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गयी है क्योंकि न्यायालय ने इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी थी।
- सरकार ने अपने हलफनामे में यह कहते हुए याचिका का समर्थन किया है कि ये प्रथाएँ इस्लाम की मूल अवधारणा या उसके धार्मिक व्यवहार का अभिन्न अंग नहीं हैं। इस प्रकार, महिलाओं के अधिकारों के आलोक में इसमें सुधार किया जाना चाहिए।
- 'तलाक़-ए-बिद्दत' सहवास के बाद के 'तुहर'(tuhr-दो मासिक धर्मों के बीच की अवधि) या एक ही 'तुहर' में एक से अधिक बार तलाक़ बोलकर या एक ही बार में तलाक़ अर्थात एकपक्षीय तीन तलाक़ बोलकर अपनी पत्नी को तलाक़ देने की प्रथा का नाम है।
- निकाह हलाला उस प्रथा का नाम है जिसके तहत आवेश में तत्काल तलाक का शिकार हुई महिला को अपने पूर्व पति से पुनर्विवाह करने के लिए पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ अस्थायी तौर पर विवाह करना होगा। दूसरे विवाह का भी, अस्थायी पति के साथ सहवास की क्रिया द्वारा, पुष्ट/पूर्ण होना आवश्यक है।
- इस प्रथा को कई मुस्लिम संगठनों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अमानवीय एवं असभ्य घोषित किया गया है।
- तथापि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), ने यह कहते हुए इस प्रथा का समर्थन किया है कि यह शादी को टूटने से बचाए रखने का एक रास्ता है। बोर्ड का कहना है कि निकाह हलाला की अनिवार्य प्रकृति पतियों को ज़ल्दबाज़ी में तलाक देने से रोकती है। हालांकि यह तर्क उन कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है जो इस प्रक्रिया में स्त्री के शोषण पर सवाल खड़े करते हैं।
- इसके अलावा, कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन प्रथाओं की उत्पत्ति इस्लामिक नहीं है और बहुत से इस्लामिक देशों ने इसे समाप्त कर दिया है।
- तत्काल तीन तलाक की प्रथा को पहले से ही 2002 में शमीम आरा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। उस निर्णय के द्वारा निकाह हलाला को भी अनावश्यक करार दिया गया है।

बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध की व्यवहार्यता

- जनगणना के आंकड़े और अध्ययन बताते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में गैर-कानूनी घोषित होने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध होने के बावजूद हिन्दुओं में द्विविवाह जारी है।
- यह मुख्य रूप से धारा 494 की गैर-संज्ञेय प्रकृति के कारण है। गैर संज्ञेय होने का अर्थ यह है कि पुलिस केवल पीड़ित, अर्थात इस मामले में पहली पत्नी की शिकायत पर ही, द्विविवाह के अपराध का संज्ञान ले सकती है। यह सामाजिक मानदंडों, दबाव और जागरूकता की कमी के कारण हमेशा संभव नहीं होता है।
- यही समस्या मुसलमानों के मामले में बहुविवाह विरोधी प्रावधानों को लागू करने के रास्ते में बाधा के रूप में आएगी।

आगे की राह

- कुछ मुस्लिम समूह इन सुधारात्मक उपायों को समान नागरिक संहिता (UCC) को आरम्भ करने एवं उन पर बहुसंख्यकवाद को लागू करने के एक प्रयास के रूप में देखते हैं। सरकार को इन आशंकाओं को दूर करना चाहिए।
- AIMPLB इन सुधारों के खिलाफ है। हालांकि, यह अपने रुख के समर्थन में मज़बूत तर्कों को नहीं रख पाया है।
- यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लैंगिक समानता हमारे संविधान और आधुनिक समाज का एक पवित्र सिद्धांत है। आज की स्थितियां उस समय से भिन्न हैं जब इन प्रथाओं का जन्म हुआ था। अतः यह आवश्यक परिवर्तनों को अपनाने के लिए एक उचित समय है।

(UCC एवं इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों के विषय में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर 2015 की मैगजीन देखें)

VISION IAS

4.2. सुभेद्य वर्ग

(Vulnerable sections)

4.2.1. भारत में वृद्ध

(Elderly in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 65 प्रतिशत वृद्ध लोग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर हैं एवं वित्तीय संकट से पीड़ित हैं।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- 38% उत्तरदाताओं के लिए पेंशन आय का प्रमुख स्रोत था।
- 80% से अधिक उत्तरदाताओं की प्रमुख समस्यायें स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के मुद्दों से संबंधित थीं, जहाँ वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में सीमान्त एवं अलग-थलग हैं।
- 60 से 70 वर्ष के आयुवर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल उनके बच्चों द्वारा ठीक प्रकार से की जाती है किन्तु जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, उनके बच्चों के लिए अपनी आयु बढ़ने एवं अपने बच्चों के प्रति निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण यह कार्य कठिन हो जाता है।
- वित्तीय रूप से असुरक्षित वृद्ध लोग सामाजिक सुरक्षा, नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल एवं सब्सिडी की अपेक्षा करते हैं जिससे वे वृद्धावस्था में आरामदायक एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

वृद्धों के अधिकार

- यदि माता-पिता पहले से ही उस घर में रह रहे हों तो उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में तीन अधिनियमन लागू किए जा सकते हैं।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट किसी माता-पिता की संतान को माता-पिता का अनुरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपने वृद्ध माता-पिता का जीवन निर्वाह करने का आदेश दे सकता है।
- हिन्दू दत्तक-ग्रहण एवं अनुरक्षण अधिनियम कहता है कि वृद्ध माता-पिता उसी प्रकार अपने बच्चों से जीवन-निर्वाह भत्ते की मांग कर सकते हैं जैसे कि पत्नी अपने पति से इसकी मांग कर सकती है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम भी माता-पिता को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से राहत प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- जनवरी 1999 में वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी थी जिसके तहत देश में वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए हस्तक्षेप के कई क्षेत्रों – वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण, शरण, शिक्षा, कल्याण, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा आदि की पहचान की गयी।
- सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCOP) का गठन वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति परिचालित करने के लिए किया गया था।

4.2.2. वयोश्रेष्ठ सम्मान

(Vayoshreshtha Samman)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर केंद्र सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों एवं संस्थानों को 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' दिया।

उद्देश्य

राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रयोजन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की चिंताओं एवं समाज में उनके न्यायसंगत स्थान को सुदृढ़ करने के लिए उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।

पुरस्कार के संबंध में

- वयोश्रेष्ठ सम्मान, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग) द्वारा आरम्भिक रूप से 2005 में गठित की गयी राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना है।
- इसे 2013 में उन्नत कर राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थिति प्रदान की गयी थी।

- अन्य पुरस्कारों के अंतर्गत, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन एवं वरिष्ठ नागरिकों को सेवायें एवं सुविधायें प्रदान करने के लिए कर्नाटक को सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान प्रदान किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के संबंध में

- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1999 को "सभी आयुवर्ग के लोगों के लिए एक समाज" की विषयवस्तु को समाहित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव अंगीकार किए जाने के अनुसार, प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है।

4.2.3. एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2014 में संशोधन

(Amendments to the HIV and AIDS [Prevention and Control] Bill, 2014)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संघीय मंत्रिमंडल ने HIV और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) विधेयक, 2014 में आधिकारिक संशोधनों को समाहित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
- यह विधेयक संसद में सर्वप्रथम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा इसके अंतिम दिनों में वर्ष 2014 में पुरस्थापित किया गया था।

इस विधेयक की वर्तमान विशेषताएँ

- विधेयक के उपबंध HIV से संबंधित भेदभाव का समाधान करने, कानूनी जवाबदेही सम्मिलित कर एवं शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने तथा शिकायतों का निपटान करने के लिए औपचारिक तंत्र की स्थापना कर वर्तमान कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं।
- विधेयक का लक्ष्य HIV से संबंधित परीक्षण, उपचार और नैदानिक अनुसंधान के लिए सूचित सहमति और गोपनीयता सुनिश्चित कर **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना** भी है।
- विधेयक ऐसे अनेक आधारों को सूचीबद्ध करता है जिनके अंतर्गत HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव निषिद्ध है।
- यह HIV एड्स के साथ जीवन व्यतीत कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने एवं **शिकायतों का निपटान** करने हेतु तंत्र निर्मित करने के लिए भी प्रतिष्ठानों पर दायित्व निर्धारित करता है।
- विधेयक किसी भी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों एवं उनके साथ रहने वाले लोगों के विरुद्ध सूचना प्रकाशित करने या घृणा की भावनाएँ उकसाने से भी प्रतिबन्धित करता है।
- विधेयक **बच्चों के लिए अभिभावकता** का भी प्रावधान करता है।
- विधेयक यह अनिवार्य घोषित करता है कि अपनी सूचित सहमति और न्यायालय के आदेश के अनुसार आवश्यक हुए बिना, **कोई भी व्यक्ति अपनी HIV स्थिति को उजागर करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।**
- विधेयक यह भी परामर्श देता है कि, केन्द्र एवं राज्य सरकारें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपाय करेंगी:
- HIV या एड्स के प्रसार की रोकथाम।
- एंटी-रिट्रोवाइरल थेरेपी प्रदान करने के लिए।
- विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तक अपनी पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए।
- HIV या एड्स शिक्षा संचार कार्यक्रम तैयार करना।
- HIV या एड्स के साथ जीने वाले बच्चों की देखभाल और उपचार के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- यह विधेयक HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित मामलों को **न्यायालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर** एवं विधिवत गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए **निपटारा किए जाने का** सुझाव देता है।
- यह विधेयक राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने एवं उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई के लिए **प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी (लोकपाल) की नियुक्ति** का उपबंध करता है।

आवश्यकता

भारत में HIV के साथ जीवन व्यतीत करने वाले अनुमानित रूप से लगभग **21 लाख व्यक्ति** हैं।

यद्यपि, पिछले दशक के दौरान HIV के प्रसार में कमी आती रही है किन्तु एन्टी-रिट्रो वाइरल थैरेपी (ART) उपचार प्राप्त करने वाले HIV

VISION IAS

रोगियों का प्रतिशत केवल 28.82% ही है जबकि वैश्विक प्रतिशत 41% है।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु HIV के व्यापक प्रसार वाले चार प्रमुख राज्य हैं एवं यहां देश के कुल मामलों में से लगभग 55% पाए जाते हैं।

महत्व

- यह विधेयक संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुसार "2030 तक महामारी समाप्त करने" का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है।
- यह स्वीकार करते हुए कि HIV/एड्स प्रायः बच्चों को अनाथ बना देता है और रिश्तेदार अपना उत्तरदायित्व उठाने को अनिच्छुक होते हैं; यह विधेयक कहता है कि अपने HIV या एड्स प्रभावित परिवार के मामलों की समझ और प्रबंधन में पर्याप्त परिपक्वता रखने वाला 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अभिभावक के रूप में कार्य कर सकता है। यह परित्यक्त HIV बच्चों की देखभाल करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।
- यह विधेयक लोकपाल का भी प्रावधान करता है जो पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में सही कदम है।
- यह विधेयक एड्स के उपचार के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण लाता है। यह विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए "जहाँ तक संभव हो" उपचार प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।
- हालांकि यह विधेयक उल्लेख करता है कि उपचार रोगी का अधिकार है, लेकिन यह इसे कानूनी अधिकार बनाने नहीं बनाता और इसलिए, ART उपचार से वंचित रोगी साधारणतया किसी सरकार को न्यायालय में नहीं खींच सकता।
- अतः इसे कानूनी अधिकार बनाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए।

4.3. स्वास्थ्य और रोग

(Health And Diseases)

4.3.1. डेंगू और चिकनगुनिया

(Dengue and Chikungunya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में देश में चिकनगुनिया की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई। डेंगू के मामलों में भी 2013 में 75,808 से पिछले वर्ष 99,913 के साथ निरंतर वृद्धि होती रही, जिससे मरने वालों की संख्या इस अवधि के दौरान 193 से बढ़कर 220 हो गई।
- 2015 के डेंगू मानचित्र से पता चलता है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और गुजरात सबसे अधिक प्रभावित थे। चिकनगुनिया के मामले में कर्नाटक के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है क्योंकि यहां अन्य राज्यों की तुलना में अधिक घटनाएं घटित हुई हैं।

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected tropical diseases)

- WHO के अनुसार, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग संक्रामक रोगों का विविधतापूर्ण समूह हैं जो 149 देशों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधिय स्थितियों में प्रचलित हैं तथा एक बिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं, जिसके चलते विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का व्यय आता है।
- डेंगू और चिकनगुनिया भी विश्व के कई भागों में ऐसे ही तेजी से उभरते महामारी की आशंका वाले वायरल रोग हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय देशों के शहरी गरीब क्षेत्रों, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में पनपते हैं।

कारण

जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम:

- इस वर्ष फरवरी में बेमौसम वर्षा ने मच्छरों के लिए मौसम लंबा कर दिया। जलवायु परिवर्तन आस-पास के पर्यावरण को मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल बना रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर परिवर्तनीय और अनियमित मौसम डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के प्रसार के लिए मूल कारण बन गए हैं।

सह-रुग्णता के कारण मृत्यु:

- सह-रुग्णता प्राथमिक रोग या विकार के साथ-साथ होने वाले (अर्थात सहवर्ती या समवर्ती) एक या एक से अधिक अतिरिक्त रोग या विकार हैं।

- इस वर्ष अधिकांश मौतें स्वयं वायरल बुखार की बजाय डेंगू और चिकनगुनिया की सह-रुग्णता के कारण हुई हैं।

निकृष्ट शहरी नियोजन:

- निकृष्ट शहरी नियोजन के कारण लोग मलिन बस्तियों में रहने के लिए बाध्य होते हैं जो अक्सर आधारभूत सुविधाओं से रहित होती हैं।
- अस्वच्छ भोजन और उचित आवासों की कमी उन्हें जल जनित रोगों के प्रति सुभेद्य बना देती है।

निकृष्ट स्वास्थ्य अवसंरचना:

- स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत का निवेश विश्व में सबसे कम बना हुआ है।

वहनीय स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव:

- गांवों में रोगी-चिकित्सक अनुपात अत्यधिक असंतोषजनक है। शहरों में महँगी स्वास्थ्य सेवाएँ रोग के आरंभिक चरणों में उपचार के लिए शहरों की यात्रा करने से गाँव के लोगों को रोकती हैं।

समाधान

पर्यावरण प्रबंधन

- पर्यावरण प्रबंधन, रोगवाहक नियंत्रण का मुख्य आधार होना चाहिए और इसमें अंडे, लार्वा या प्यूपा के लिए निवास स्थान प्रदान करने वाले अनावश्यक कंटेनरों को नष्ट करना, बदलना, हटाना या रिसाइकिल करना सम्मिलित है।
- साफ़ पर्यावरण से यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिकूल मौसम परिवर्तन होने पर भी मच्छर पैदा नहीं होंगे।

बेहतर शहरी अवसंरचना:

- शहरी निवास स्थान में उचित अपशिष्ट या कचरा प्रबंधन सुविधाओं का होना आवश्यक है।
- भण्डारण की आवश्यकता को कम करने के लिए सामुदायिक निवास स्थलों, विशेष रूप से स्लम क्षेत्रों में विश्वसनीय पाइप वाली जलापूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- कठोर क़ानून और विनियमों की मदद से भवनों की योजना और निर्माण में काफी परिवर्तन हो सकता है।

जैविक और रासायनिक नियंत्रण:

- जैविक नियंत्रण उन जीवों द्वारा संपन्न किया जाता है जो लक्षित प्रजातियों का शिकार करते हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं या उनकी जनसंख्या को कम करते हैं।
- ऐसी बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए रसायन का बार-बार छिड़काव करना ऐसे मामलों को कम करने का अन्य तरीका है।

सामुदायिक भागीदारी:

- समुदाय को स्वच्छता अभियानों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने से काफी सहायता मिलती है, लेकिन फिर भी सुविधाओं से वंचित इलाकों में रहने वाले परिवारों को नगर निगम की सहायता, बेहतर नागरिक सुविधा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पड़ेगी।

अग्रिम योजना निर्माण :

- अक्टूबर तक प्रतीक्षा करने और एक चरमराती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का उपयोग कर बीमार लोगों की बढ़ती संख्या से निपटने की कोशिश करने के स्थान पर जुलाई में ही व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल करना आवश्यक है।

पूर्ववर्ती सफल पहलों से सीखे जाने वाले सबक

भारत:

- जैव-रोगवाहक नियंत्रण (bio-vector control) के साथ प्रयोग - पहले पुडुचेरी में और बाद में गुजरात के खेडा जिले में रोगवाहकों से प्रसारित होने वाले रोगों में काफी गिरावट देखने को मिली।
- इन मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की अच्छी तरह सफाई की गई कि नालियों में पानी जमा न हो। साथ ही मच्छरों को ख़त्म करने के लिए मछली के लार्वा का इस्तेमाल किया गया।

सिंगापुर:

- सिंगापुर एडीज मच्छरों के कारण फैलने वाले संक्रमणों से सबसे अधिक पीड़ित राष्ट्रों में से एक है। 1960 के दशक में फैलने वाला डेंगू रक्तस्रावी ज्वर बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण बना था।
- इसने एकीकृत रोगवाहक प्रबंधन के माध्यम से काफी नियंत्रण प्राप्त किया जिसमें सम्मिलित था: **पक्ष समर्थन, सामाजिक एकजुटता और विधायन; स्वास्थ्य क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों के बीच सहयोग; सबूत आधारित निर्णयन और प्रदाताओं व समुदायों का क्षमता निर्माण।**
- रोगवाहक नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन न करने पर निर्माण क्षेत्र पर कठोर कार्रवाई की गई।

VISION IAS

श्रीलंका:

- श्रीलंकाई अनुभव के कई पहलू हैं जिससे रोग फैलाने वाले रोगवाहकों को नियंत्रित करने की लड़ाई में भारत के राज्यों के प्रयास का मूल्यांकन करने में सहायता मिल सकती है। विभिन्न दृष्टिकोण के समेकित प्रयास से इस द्वीपीय देश को बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।
- इसमें सम्मिलित है: **सिंचाई और कृषि में मच्छर नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रण, घरों के भीतर आवासीय छिड़काव के लिए कीटनाशकों की नये प्रकार और विवादों में फंसे क्षेत्रों में भी कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों के वितरण में वृद्धि।**
- निदान और उपचार के उपयोग के लिए मोबाइल केन्द्रों से भी रोग के संचार को रोकने में सहायता मिली।

4.3.2. कुष्ठ रोग

(Leprosy)

कुष्ठ रोग क्या है?

- कुष्ठ रोग को हैनसेन बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह *मायकोबैक्टेरियम लेप्रा (Mycobacterium leprae)* के कारण होने वाला एक चिरकालिक संक्रामक रोग है।
- यह रोग मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय नसों, ऊपरी श्वसन तंत्र की श्लेष्मिक सतहों और आँखों को प्रभावित करता है।
- कुष्ठ रोग आरंभिक शिशु अवस्था से लेकर अति वृद्ध अवस्था तक किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे ठीक किया जा सकता है और आरंभ में ही इलाज करने से अधिकांश विकलांगताओं को रोका जा सकता है।

प्रसार या संक्रमण (Transmission)

- कुष्ठ रोग के प्रसार या संक्रमण का सटीक तरीका या क्रियाविधि ज्ञात नहीं है। कम से कम अभी हाल तक, काफी हद तक यही माना जाता था कि यह रोग, कुष्ठ रोग के रोगियों और स्वस्थ लोगों के बीच संपर्क के द्वारा प्रसारित या संचारित होता है।
- अभी हाल ही में श्वसन मार्ग द्वारा इस रोग के फैलने की सम्भावना को आधार मिल रहा है, इसे मान्यता मिल रही है। इसके प्रसार की अन्य संभावनाएं भी हैं, जैसे कीड़ों के माध्यम से प्रसारित होने से भी पूरी तरह से मना नहीं किया जा सकता है।

कुष्ठ रोग और भारत

- 2005 में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि भारत से कुष्ठ रोग का उन्मूलन हो गया है। यह घोषणा तब की गई जब इस रोग के नए मामले प्रति 10,000 लोगों पर 1 से कम हो गए, लेकिन अब भी दुनिया (58 प्रतिशत) में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है।
- कुष्ठ रोग के रोगियों को चिकित्सा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक से लेकर तरह-तरह की आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- यही कारण है कि जागरूकता का अभाव, मिथक, सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वास, और कुष्ठ रोग से जुड़े कलंक संभवतः आज सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण समस्याएँ हैं।

NLEP में स्थापित किए गए कीर्तिमान

1955 - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Leprosy Control Programme) आरंभ किया गया।

1983 - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Programme) शुरू किया गया

1983 – चरणबद्ध रूप से बहु औषधि चिकित्सा (Multidrug therapy) आरंभ

2005 - राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोगकी समाप्ति

हाल ही में उठाए गए कदम

कुष्ठ रोग के मामलों की पहचान संबंधी अभियान -

- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत 19 राज्यों के 149 जिलों को आच्छादित किया गया और लगभग 3,00,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया।
- घर-घर जाकर कुष्ठ रोग का पता लगाने के अभियान में लगभग 320 मिलियन भारतीयों की जांच की गई जिससे हजारों "छिपे" मामलों पर से पर्दा उठा।
- इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) परियोजना के स्वयंसेवक शामिल हुए।

भारत-में-निर्मित कुष्ठ रोग के टीके की लांचिंग -

- भारत में विकसित, एक नया टीका बिहार और गुजरात के पांच जिलों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जाएगा।

VISION IAS

- यदि इससे सकारात्मक परिणाम मिलता है तो कुष्ठ रोग टीका कार्यक्रम को अन्य अतिप्रभावित जिलों में भी चलाया जाएगा।

कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु WHO की वैश्विक रणनीति -

- इस रणनीति का लक्ष्य, 2020 तक कुष्ठ रोग और संबंधित शारीरिक विकृतियों से ग्रसित बच्चों की संख्या को घटाकर शून्य करना है; दृष्टि सम्बन्धी विकृतियों वाले नए कुष्ठ रोग के रोगियों की दर को कम करके एक प्रति मिलियन से भी कम दर पर लाना है; और यह सुनिश्चित करना है कि कुष्ठ रोग के आधार पर भेदभाव करने वाले सभी क़ानून समाप्त हो जाएँ।
- नई वैश्विक रणनीति, कार्रवाई आरंभ करने के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो और समावेशन को बढ़ावा मिले।

आगे की राह

- कुष्ठ रोग दुनिया के सबसे गलत रूप में समझे गए रोगों में से एक है, अतः इसे नियंत्रित और दूर करने में कुछ अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतीत के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोणों के गहन परीक्षण से भविष्य के लिए अतिमहत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है।
- इस बोझ को कम करने के लिए, एक समग्र और बहु-आयामी दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है जिसमें महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन, एक सार्वजनिक शिक्षा अभियान, संधारणीय आजीविका कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण वर्कशॉप और रोजगार सृजन हेतु अन्य चिकित्सीय हितधारकों को सम्मिलित करना, इस कलंक को दूर करने के लिए किये जाने वाले पहलों की पहचान करना और प्रभावित लोगों को मुख्यधारा में लाना सम्मिलित है।
- सभी स्तरों पर इसे दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, अधिक से अधिक नीति स्तरीय परिवर्तन करने और सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए।
- उदाहरण के लिए, कुष्ठरोग से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव का निरस्तकारी और संशोधनकारी (चौथा) उन्मूलन (ई.डी.पी.ए.एल.) विधेयक [The Repealing and Amending (Fourth) Elimination Discrimination Against Persons Affected by Leprosy (EDPAL) Bill] 2015 को पारित करने और अधिकारों और विशेषाधिकारों पर विधि आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों को लागू करने की आवश्यकता है।

4.2.3. वैश्विक टीबी रिपोर्ट

(Global TB report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2016 जारी की गई, जिसमें भारत में टीबी (TB) रोगियों के आंकलन से पता चलता है कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- विश्व के 27 फीसदी टीबी के मामले भारत में हैं और 34 फीसदी टीबी से होने वाली मौतें भारत में होती है।
- वर्ष 2015 में देश में 28 लाख टीबी के नए मामले सामने आए।
- भारत ने 2015 में 17 लाख टीबी रोगियों को पंजीकृत किया और उनका उपचार किया गया।
- भारत में वर्ष 2015 मे टीबी (TB) से मरनेवालों की संख्या 4,80,000 थी जिससे यह भारत में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बन गया है।
- इसके अलावा भारत में मल्टीड्रग रेसिस्टेंट टीबी मरीजों की संख्या 79,000 थी, जिसमें से 31000 का निदान(डायग्नोसिस) किया गया।

रिपोर्ट के बारे में

- WHO 1997 से हर वर्ष वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जारी करता आ रहा है।
- रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य टीबी महामारी के रोकथाम, रोग की पहचान एवं वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्र के स्तर पर रोग के उपचार का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करना है।

सम्बंधित तथ्य

- टीबी का कारण माइकोबैक्टीरियम टीबी जीवाणु है।

- टी.बी. के बैक्टीरिया सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी रोगी के खांसने, बात करने, छींकने या थूकने के समय बलगम व थूक की बहुत ही छोटी-छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं, जिनमें उपस्थित बैक्टीरिया कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेते समय प्रवेश करके रोग पैदा करते हैं।
- जब से एंटीबायोटिक दवाओं का टीबी के इलाज में इस्तेमाल किया जाने लगा है, कुछ स्ट्रेंस (strains) ड्रग रेसिस्टेंट हो गए हैं।
- जब एक एंटीबायोटिक सभी लक्षित जीवाणुओं को समाप्त करने में असफल होती है एवं जीवित बैक्टीरिया एक ही समय में किसी खास एंटीबायोटिक और दूसरों के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न कर लेता है तब बहुऔषध प्रतिरोधी टीबी (MDR-TB) उत्पन्न होता है।

4.4. शिक्षा

(Education)

4.4.1. राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी

(National Academic Depository)

- मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD), शैक्षणिक पुरस्कारों की एक डिजिटल डिपॉजिटरी, का उद्घाटन किया।
- इसका लक्ष्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए वित्तीय सुरक्षा, डिपॉजिटरीज के डिजिटलीकरण और विभौतिकीकरण (dematerialization) की प्रतिकृति तैयार करना है।
- डिजिटल डिपॉजिटरी से पुरस्कार सत्यापित, प्रमाणीकृत, आकलित और पुनर्प्राप्त किये जाएंगे।
- यह पारदर्शिता और प्रामाणिकता बढ़ाने के लिए एक कदम है।
- NAD सभी शैक्षिक संस्थानों में सभी शिक्षा प्रमाण पत्रों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो का विकास करेगा जिन्हें रोजगार, उच्च शिक्षा और ऋण के लिए आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- NAD बोर्ड / विश्वविद्यालयों, जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं, के साथ सीधे एकीकृत होगा जिस से प्रमाण पत्र अभिलेखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी।

4.4.2. शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा

(New Delhi Declaration on Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

BRICS देशों ने BRICS के शिक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक में शिक्षा पर 'नई दिल्ली घोषणा' को अपनाया है।

SDG लक्ष्य 4: सभी के लिए समावेशी और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने से सम्बन्धी लक्ष्य

प्रमुख बिंदु

- मुख्य उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- BRICS देशों के बीच अनुसंधान सहयोग और ज्ञान के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थकारी ढांचे का विकास करना।
- छात्रों और विद्वानों को आने जाने की सुविधा और शिक्षकों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- शैक्षिक गतिशीलता की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली, स्वीकृति और मान्यता की प्रक्रिया, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणन, तथा प्रचलित प्रक्रियाओं और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं एवं योग्यता की मान्यता से सम्बंधित जानकारी साझा करना।
- प्रत्येक देश के भीतर एक नोडल संस्था स्थापित करना और BRICS के सदस्य देशों के बीच आईसीटी नीतियों, ओपन शैक्षिक संसाधन और ई-पुस्तकालय सहित अन्य ई-संसाधन, साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र निर्मित करने के लिए।
- शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षक विकास और शैक्षिक योजना और प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करना।
- युवा लोगों और वयस्कों में रोजगार क्षमता बढ़ाने और नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना।

VISION IAS

- SDG4 तथा इससे सम्बद्ध लक्ष्यों के व्यापक दायरे के भीतर देश-विशिष्ट लक्ष्य तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना।
- BRICS नेटवर्क विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग पर BRICS देशों में उपलब्ध सर्वोत्तम क्रियाओं को साझा करना।

4.5. विविध

(Miscellaneous)

4.5.1. शराब पर रोक

(Liquor Ban)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने दिसम्बर 2015 में केरल सरकार के शराब प्रतिबंधित करने के फैसले को सही ठहराया। हालांकि, अक्टूबर 2016 में केरल सरकार (LDF) ने शराब पर प्रतिबंध लगाने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का प्रयास किया है।
- 2 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 शराब पर पूर्ण रोक और सख्त नियमों का प्रावधान करता है।

पक्ष में तर्क:

- संविधान में निहित नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47 के अनुसार सभी राज्य सरकारों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे मादक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधित या कम से कम नियंत्रित करें।
- यह स्वस्थ पारिवारिक संबंधों के निर्माण में मदद करता है -

✓ यह घरेलू हिंसा के मामलों को कम कर सकता है। शराब पारिवारिक संसाधनों को दुष्प्रभावित करता है तथा बच्चों और महिलाओं को सर्वाधिक हानिप्रद स्थिति में ले आता है।

✓ जहाँ तक परिवार का सम्बन्ध है, शराब के उपभोग से एक सामाजिक कलंक भी जुड़ा हुआ है।

- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** शराब, विशेष रूप से अधिक मात्रा में प्रयोग करने से, लोगों के गुर्दे और यकृत को नुकसान पहुंचा सकती है, और अंततः मृत्यु का कारण बन सकती है।
- **अपराधों में कमी:** कुछ लोगों का तर्क है शराब की खपत और अपराध में वृद्धि के बीच सीधा संबंध है। नशे में धुत्त व्यक्तियों के द्वारा हिंसक अपराध, हमले, और उच्छृंखल आचरण सबसे आम हैं।

विपक्ष में तर्क:

- ऐतिहासिक साक्ष्य साबित करते हैं कि प्रतिबन्ध लोगों को शराब छोड़ने के लिए प्रोत्साहित या बाध्य नहीं करता अपितु ऐसी स्थिति में यह व्यापार गैरकानूनी ढंग से चोरी छिपे संचालित होने लग जाता है और जहरीली शराब के सेवन तथा अवैध शराब की तस्करी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न करता है।
- **सरकारी खजाने को नुकसान -**

✓ शराब की बिक्री से सरकारी खजाने को कर के रूप में प्रत्यक्ष रूप से तथा पर्यटन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 2015-16 का एक चौथाई या लगभग 30 हजार करोड़ रुपये का राजस्व शराब की बिक्री पर कर और स्पिरिट के निर्माण पर उत्पादन शुल्क के माध्यम से आया।

✓ इस आय के कारण ही 2006 से उत्तरोत्तर सरकारों के पास सामाजिक क्षेत्रक की योजनाओं यथा लगभग सारे राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल, उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटन तथा विशिष्ट योजना- सभी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाना; के लिए धन सुलभ हो सका है।

- **चयन की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध**: इसके साथ ही लोगों को शराब का उपभोग करने या न करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जब तक यह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए खतरा न बने। इसलिए शराब के उपभोग को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून चयन की स्वतंत्रता के लिए खतरा बनकर उभरेगा।

आगे की राह

- नशाखोरी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ना ही इसे नैतिक पतन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके इलाज के लिए कई सफल रणनीतियाँ उपस्थित हैं।
- शराब का उपभोग करने वाले एक छोटे समूह द्वारा उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान, प्रतिबन्ध लगाकर किया जाना, वास्तविकता के साथ खिलवाड़ जैसा है।

VISION IAS

- पूर्ण प्रतिबंध के बजाय जो लोग शराब पीने की आदत को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनके लिए परामर्श हस्तक्षेप की व्यवस्था की जानी चाहिए।

तिरुवनंतपुरम के अल्कोहल एवं ड्रग सूचना केंद्र के अनुसार केरल में सड़क दुर्घटनाओं के 44%, सरकारी अस्पतालों में आने वालों के 19 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत तलाक के मामलों के लिए शराब के सेवन से जुडी घटनाएँ उत्तरदायी हैं।

IISc बैंगलोर द्वारा हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, शोधकर्ताओं का दावा है कि भारत में 60% से अधिक दुर्घटनाएँ चालक द्वारा मादक पेय के सेवन के कारण होता है।

जिन राज्यों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है

1960 में बम्बई राज्य से अलग होकर, एक पृथक राज्य के रूप में गठित होने के बाद से गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू है। हालाँकि राज्य में अवैध शराब एक वृहद् उद्योग के रूप में विद्यमान है।

नागालैंड में 1989 से शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू है। हालाँकि इसके बाद भी राज्य में कई अवैध बार और शराब की दुकानें चोरी छिपे संचालित हो रही हैं। पड़ोसी राज्य असम से शराब की तस्करी की घटनाएँ भी देखी गयी हैं।

राज्य, जिन्होंने शराब के प्रतिबंध के साथ प्रयोग किया है:

- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, मिजोरम और मणिपुर वे राज्य हैं जिन्होंने शराब पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध के साथ प्रयोग किये हैं।
- परंतु सरकारों में परिवर्तन तथा जनता द्वारा नकारात्मक फीडबैक के कारण राजनीतिक दलों को ऐसे निर्णय वापस लेने पड़े हैं।
- बड़े पैमाने पर तस्करी और अवैध शराब की बिक्री भी इस तरह के प्रतिबंधों को हटाने का कारण बनी।

4.5.2. स्वच्छ भारत मिशन: द्वितीय वर्षगांठ

(Swachh Bharat Mission: 2nd Anniversary)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **गुजरात और आंध्र प्रदेश** शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त (ODF) वाले पहले राज्य बन गए हैं।
- **हिमाचल प्रदेश** को खुले में शौच मुक्त (ODF) राज्य घोषित किया गया है, **ग्रामीण क्षेत्रों** में यह उपलब्धि हासिल करने वाला **सिक्किम** के बाद यह देश का दूसरा राज्य बन गया है।

इसको सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- शौचालय बनाने के लिए सरकार द्वारा नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का सृजन।
- व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास और इस पर ध्यान केंद्रित करना। उदाहरण के लिए-
  - ✓ शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी हस्तियों द्वारा प्रचार प्रसार।
  - ✓ शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए शहरी सर्वेक्षण।
  - ✓ Hike Messenger Group जैसी तकनीकों का प्रयोग करना जिनके संचालक संबंधित राज्यों से स्थानीय स्तर के होते हैं और योजना के क्रियान्वयन में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं।
- मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल का निर्माण, जहाँ परियोजनाओं के बारे में सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

- यह 2019 में महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती तक स्वतंत्र भारत को स्वच्छ बनाने और खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।
- कार्यक्रम को दो श्रेणियों में बाँटा गया है- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।
- **पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय** योजना के ग्रामीण भाग को लागू कर रहा है।
- **शहरी विकास मंत्रालय** शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम को लागू कर रहा है।

VISION IAS

स्वच्छ भारत अभियान: प्रगति रिपोर्ट

- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,00,000 गांवों को भी ODF घोषित किया गया है।
- 4,041 शहरों और कस्बों में से 405 ने अब तक ODF बनने का दावा किया है।
- मिशन 36% व्यक्तिगत शौचालय, 30% समुदायिक शौचालय और 9% सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने में कामयाब रहा है।
- सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक 334 अतिरिक्त शहरों को ODF बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय कवरेज के मामले में मिशन की प्रगति धीमी है, लेकिन निश्चित रूप से भारत को स्वच्छ बनाने के माहौल का निर्माण हुआ है।
- अत्यधिक जागरूकता और भागीदारी के साथ यह धीरे-धीरे एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है।
- अंतर्विभागीय समन्वय बढ़ा है।
- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ने सबसे अधिक सुधार प्रदर्शित किया है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्य राज्यों ने मामूली सुधार दिखाया है।
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड हैं।

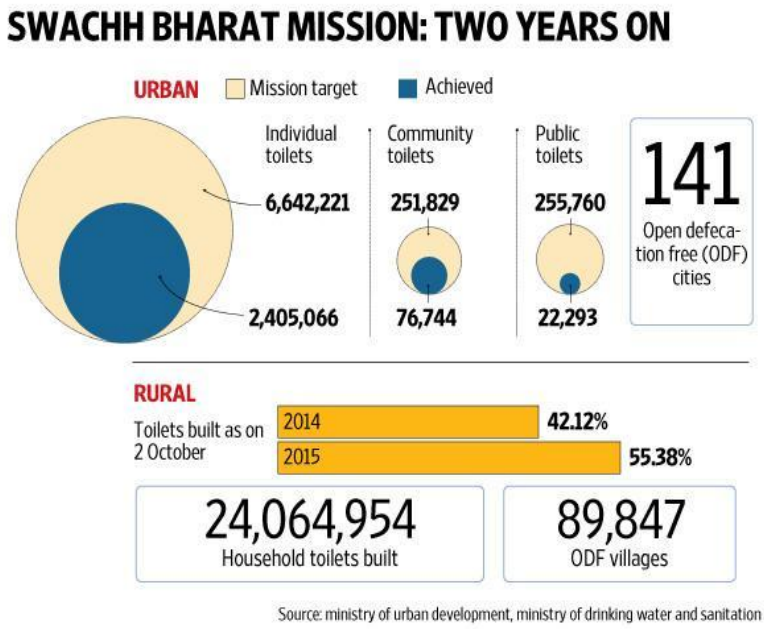

मिशन के लिए चुनौतियां

- SBM कार्यक्रम के लिए बनाये गए **स्वच्छ भारत कोष** का इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं हो रहा है।
- CSR के माध्यम से निजी भागीदारी कम है क्योंकि इच्छुक निजी कंपनियों के पास विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं है।
- अनुदान की कमी
- नगर निकाय पूरी तरह से नागरिकों या यहां तक कि मिशन के साथ भी संलग्न नहीं हैं।
- ग्रामीण आबादी के व्यवहार में बदलाव लाने में मुश्किल हो रही है।

4.5.3. भारत में खुले में शौच

(Open Defecation in India)

यह क्या है?

- खुले में शौच उस आदत को संदर्भित करता है जिसमे लोग शौच करने के लिए शौचालय का उपयोग करने के बजाय खेतों, झाड़ियों, जंगलों, पानी के खुले स्रोतों, या अन्य खुली जगहों का प्रयोग करते हैं।
- भारत में लोगों में यह आदत बड़े पैमाने पर है और दुनिया में खुले मे शौच करने वाले लोगों की सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान भारत है जो प्रतिदिन लगभग 65,000 टन के करीब मल वातावरण में मुक्त करते हैं।

मुख्य तथ्य

- 2015 की स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, देश में ग्रामीण आबादी की आधे से अधिक (52.1%) अभी भी खुले में शौच करती है।
- यूनिसेफ़ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 564 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं।
- भारत खुले में शौच करने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के 90 प्रतिशत और दुनिया के 1.1 बिलियन लोगों के 59 प्रतिशत के लिए ज़िम्मेदार है।

खुले में शौच से संबंधित समस्यायें

- **कुपोषण**- भारत में लगभग 43 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी स्तर के कुपोषण से पीड़ित हैं।
- **डायरिया और कृमि संक्रमण** दो प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं जोकि उनकी सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालते हुए स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रही हैं।
- खुले में शौच भारतीय महिलाओं की गरिमा को खतरे में डालता है। महिलाएँ गरिमा की रक्षा के लिए गोपनीयता हेतु अंधेरे में निवृत्त होने के लिए विवश होती हैं और यह उन्हें शारीरिक हमलों के प्रति सुभेद्य बनाता है।
- **यह राष्ट्रीय विकास को पंगु बना रहा है**- मजदूर कम उत्पादन करता है, कम उम्र तक जीता है, कम बचाता है और कम निवेश करता है और अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कम सक्षम होता है।

चुनौतियों का सामना

- **पारंपरिक आदत**- इसकी जड़ें हमारे समाज में गहराई तक विद्यमान है। शौचालय सामाजिक रूप से स्वीकार्य विषय नहीं है और इसलिए, लोग इस पर चर्चा नहीं करते।
- **गरीबी-** अत्यधिक गरीब लोग शौचालयों को प्राथमिकता नहीं देते हैं और इसके अलावा, कई बिना शौचालय वाले किराए के घरों में रह रहे हैं।
- **स्वीकार्यता की कमी**- समाज शौचालय की कमी को अस्वीकार्य के रूप में नहीं देखता। शौचालय का निर्माण और उसका स्वामित्व लोगों की आकांक्षा नहीं मानी जाती है।
- **सरकार की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना**- शौचालयों का निर्माण अभी भी सरकार की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है न कि एक ऐसी प्राथमिकता के रूप में जिसकी जिम्मेदारी अलग-अलग परिवारों को लेनी चाहिए।
- **ज्ञान और आदत के बीच अंतर**- यहां तक कि जब कि लोगों को कम स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में पता है।

आगे की राह

शौचालय को उनकी सामाजिक स्थिति, हैसियत और कल्याण की मूलभूत आवश्यकता के रूप में देखने के लिए लोगों को प्रेरित करना एक चुनौती है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता व्यवहार में बदलाव पर निर्भर है और इस प्रकार समुदायों के साथ संलग्न होने और शामिल संगठनों और लोगों के प्रयासों को सुसाध्य बनाने की जरूरत है।

4.5.4. चीनी कर

(Sugar Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार मीठे पेय पदार्थों की खुदरा कीमत 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ाने के लिए एक कर आरोपित किया जाना चाहिए।

यह कदम क्यों?

- मीठे पेय पदार्थों पर कर आरोपण द्वारा उनकी कीमत बढ़ाने से उनकी खपत में आनुपातिक कमी का परिणाम प्राप्त हो सकता है। यह कदम मोटापे की समस्या के खिलाफ लड़ाई को गति प्रदान करेगा जो वर्तमान में 1980 की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गयी है। 2014 में लगभग 50 करोड़ वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे, जिनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः लगभग 11 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत थी।
- अतिरिक्त कैलोरी वस्तुतः अधिक वजन और मोटापे में योगदान देती है क्योंकि इसे आसानी से शरीर में वसा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है एवं विभिन्न ऊतकों के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। पिछले कई दशकों से चीनी की आवश्यकता से अधिक खपत, संभवतः मीठे पेय पदार्थों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण बढ़ गयी है।
- हाल ही के प्राप्त हुए साक्ष्य चीनी वाले मीठे पेय पदार्थों के उपभोग तथा मधुमेह, हृदय रोग एवं कैंसर से होने वाली निरोध्य (preventable) मौतों के बीच सम्बन्ध को दर्शाते हैं। ऐसी अधिकांश मौतें निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में देखी जाती हैं।

सरकारों हेतु अनुशंसाएँ

- आहार में सुधार करने हेतु ताजा फल और सब्जियों के भुगतान में लोगों को आर्थिक सहायता (subsidy) प्रदान करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए सरकारों की आय में वृद्धि करना।
- धन सूचना अभियान (Fund information campaigns)।

VISION IAS

सफलता की कहानी

- इस सन्दर्भ में सफलता की सबसे प्रसिद्ध कहानी मैक्सिको की है, जिसने 2013 में उपभोग में भारी गिरावट को प्रोत्साहित करने के लिए एक मीठा पेय कर(sugary-drink tax) पारित किया।
- हंगरी में भी चीनी, नमक या कैफीन के उच्च स्तर वाले पैक किये हुए उत्पादों पर कर लगाया गया है।

भारत में स्थिति

- 2013 में मधुमेह से ग्रसित लोगों की वास्तविक संख्या 60 मिलियन से अधिक थी।
- तंबाकू कर, जिससे कथित तौर पर तंबाकू की खपत में कमी में सहायता मिली, की तरह यदि इस कर को भी लागू किया जाता है तो यह कर, बच्चों के बीच मीठे पेय पदार्थों की खपत में कटौती करने में सक्षम हो सकता है और मोटापे को रोकने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञापन के नियमन तथा जंक फूड एवं मीठे पेय पदार्थों दोनों पर कर में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है। हालांकि वास्तविकता में ऐसा कदम उठाना अभी तक बाकी है। केरल ने हाल ही में खाद्य पदार्थों के कुछ प्रकारों पर करारोपण के साथ ऐसा कदम उठाया है।

4.5.5. वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत के रैंक में सुधार

(India moves up in the World Giving Index)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

ब्रिटेन स्थित चैरिटी एड फाउंडेशन (Charities Aid Foundation -CAF) ने 7वाँ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया।

रिपोर्ट के बारे में

- चैरिटी एड फाउंडेशन (CAF), एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो प्रभावकारी दानशीलता और मानवप्रेम को बढ़ावा देती है।
- इस वर्ष 140 देशों का सर्वेक्षण किया गया, जो विश्व की लगभग 96% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- CAF के वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में म्यांमार को लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।
- भारत को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 29% समग्र स्कोर प्राप्त हुआ।

भारत के बारे में निष्कर्ष

- अनजान लोगों की मदद करने में भारतीयों की भागीदारी 6 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ 43% हो गयी है जबकि जिन्होंने दान किया उनकी संख्या 2014 के 20% से बढ़कर 2015 में 22% हो गई है।
- यद्यपि 203 मिलियन लोगों ने धन दान में दिया, 401 मिलियन लोगों ने अनजान लोगों की मदद की, 200 मिलियन ने स्वयं सेवा के लिए समय दिया इन सबके बावजूद भारत सूचकांक में 91 रैंक पर स्थित है।

THE GLOBAL CHARITY LANDSCAPE

The World Giving Index 2016, released by the Charities Aid Foundation (CAF) on Tuesday shows India tops the number of people donating money, volunteering time and helping a stranger. But it figures among the lowest-ranked nations when seen in terms of the per-centage of people involved in such charity, lagging behind even its poorer neighbours like Nepal. The index is based on data from Gallup's World View World Poll, an ongoing research project carried out in more than 140 countries.

GLOBAL RANKINGS

Country	CAF World Giving Index Ranking	CAF World Giving Index Score (%)	Helping a stranger score (%)	Donating money score (%)	Volunteering time score (%)
Myanmar	1	70	63	91	55
US	2	61	73	63	46
Australia	3	60	68	73	40
New Zealand	4	59	61	71	44
Sri Lanka	5	57	61	61	49
Canada	6	56	65	65	38
Indonesia	7	56	43	75	50
UK	8	54	61	69	33
Ireland	9	54	56	66	40
UAE	10	53	75	63	21
India	91	29	43	22	21

SOUTH ASIA RANKINGS

Region ranking	Country	CAF World Giving Index Ranking	CAF World Giving Index Score (%)	Helping a stranger score (%)	Donating money score (%)	Volunteering time score (%)
1	Sri Lanka	5	57	61	61	49
2	Bhutan	18	49	52	56	39
3	Nepal	39	42	46	42	36
4	Afghanistan	78	32	55	26	15
5	India	91	29	43	22	21
6	Pakistan	92	29	44	31	11
7	Bangladesh	94	28	56	14	14
	Average		38	51	38	26

Source: World giving index 2016

- इसी कारण से संख्या के मामले में भारत शीर्ष के देशों में है,परन्तु जब कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में आंकलन किया जाता है तो भारत पीछे रह जाता है।

4.5.6. बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राजस्थान का अभियान

(Rajasthan Drive to end Child Marriages)

मुख्य तथ्य

- "साझा अभियान" कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान सरकार, यूनिसेफ एवं UNFPA के साथ मिलकर बाल विवाह के सम्पूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य में एक जिला स्तरीय अभियान यात्रा की शुरुआत की है।
- "साझा अभियान" में भागीदार बनकर विविध हितधारक और क्षेत्रक एवं इनके द्वारा हस्तक्षेप एक साथ मिलकर बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करेंगे।
- यहअभियान यात्रा, समुदाय को एक संयुक्त मंच पर लाकर राज्य को बाल विवाह-मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी।

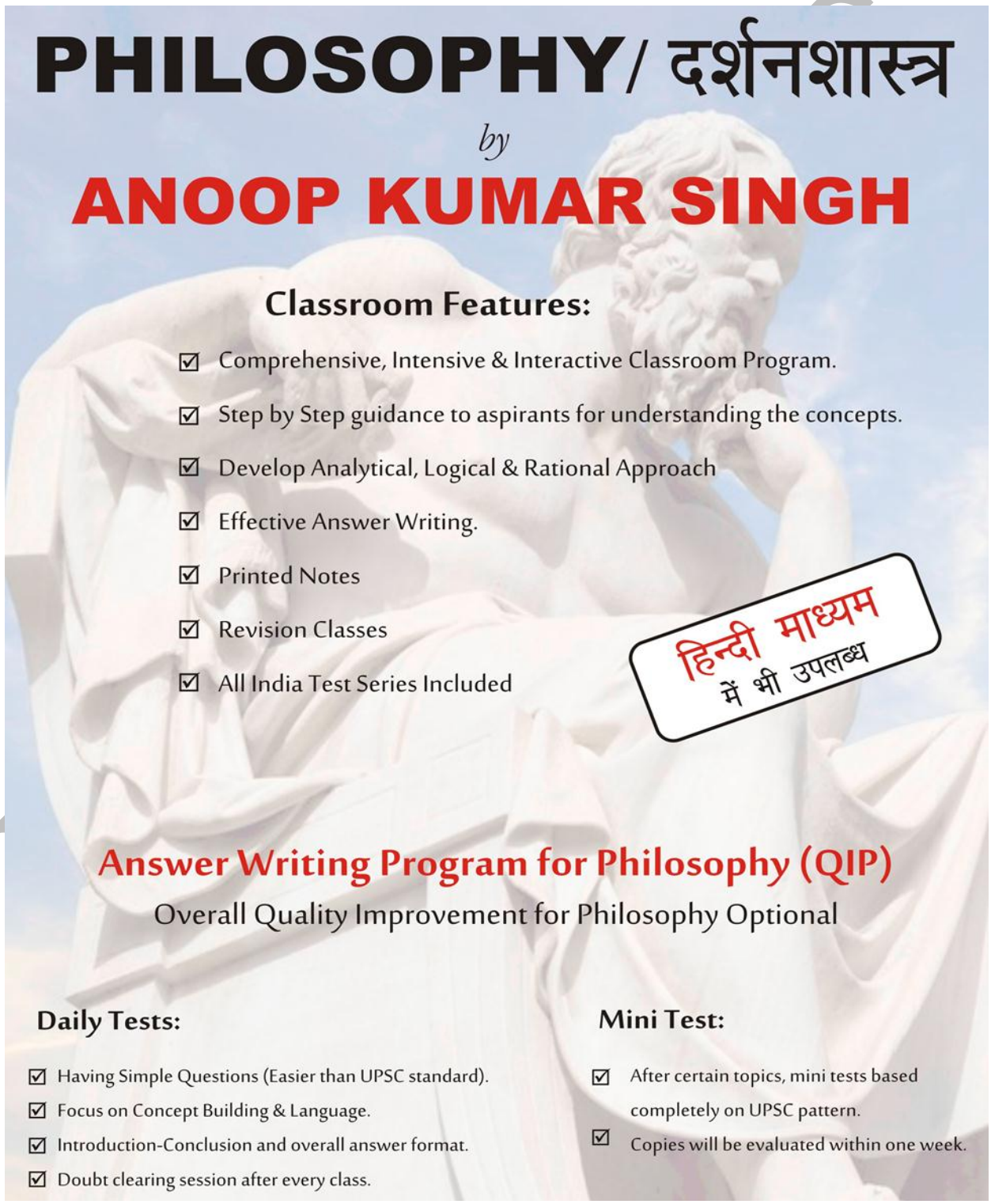

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

5.1. चिकित्सा/फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार

सुर्ख़ियों में क्यों?

योशिनोरी ओहसुमी नामक एक जापानी कोशिका जीव विज्ञानी को उनकी खोज **"ऑटोफैगी के लिए तंत्र (मैकेनिज्म)"** के लिए फिजियोलॉजी/चिकित्सा में 2016 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ऑटोफैगी के बारे में

- ऑटोफैगी "स्वयं का भक्षण" के लिए एक ग्रीक शब्द है।
- यह कोशिकीय घटकों को अपघटित और पुनर्चक्रित करने की एक मौलिक प्रक्रिया है।
- ऑटोफैगी के तंत्र की यह खोज कैंसर, पार्किंसंस रोग और अल्जाइमर जैसे रोगों से लड़ने में मदद करेगी।

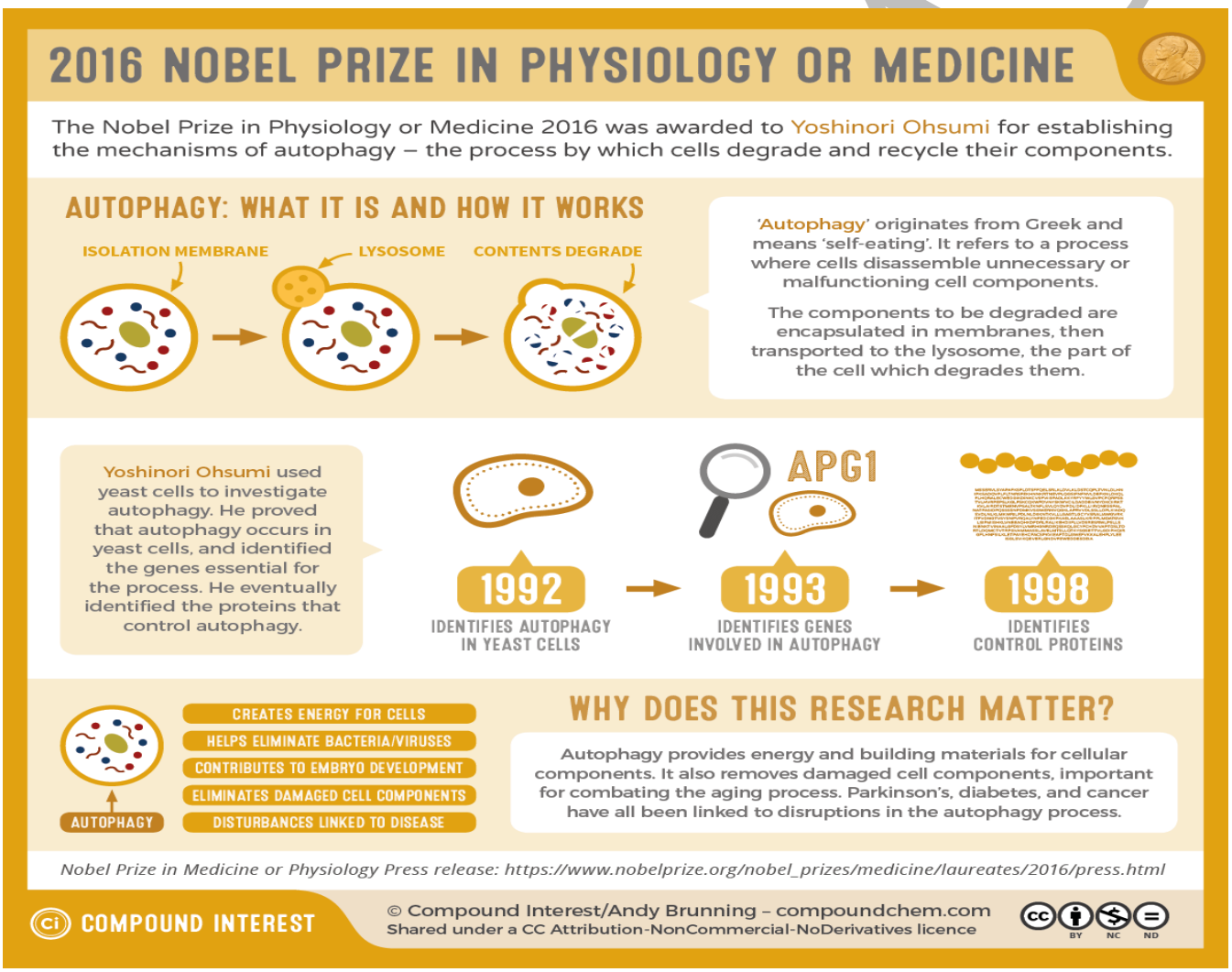

5.2. 2016 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Physics 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"पदार्थ के टोपोलॉजिकल चरणों और टोपोलॉजिकल चरण संक्रमण की सैद्धांतिक खोज (theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter)" के लिए डेविड जे. थाउलेस, एफ. डंकन एम. हाल्डेन और जे.माइकल

कॉस्टलित्ज (David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane and J. Michael Kosterlitz) को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया।

यह क्या है?

- टोपोलॉजी, आकृतियों के रूप या आकार के सतत परिवर्तन से अप्रभावित ज्यामितीय गुणों और स्थानिक संबंधों के अध्ययन को संदर्भित करता है।
- इसे ज्यामिति के आधुनिक संस्करण के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- वैज्ञानिकों ने विभिन्न पदार्थों के विभिन्न चरणों (जैसे ठोस, तरल और गैस) का अध्ययन किया। स्थल विज्ञान (टोपोलॉजी) का उपयोग कर इन चरणों की विशेषता बताई गई।

महत्व

- इस अध्ययन की टोपोलॉजी और फेज़ ट्रांजिशंस के मिलन बिंदु के रूप में सराहना की जा रही है।
- इससे फेज़ ट्रांजिशंस अध्ययन को आसान बनाने में सहायता मिलेगी।

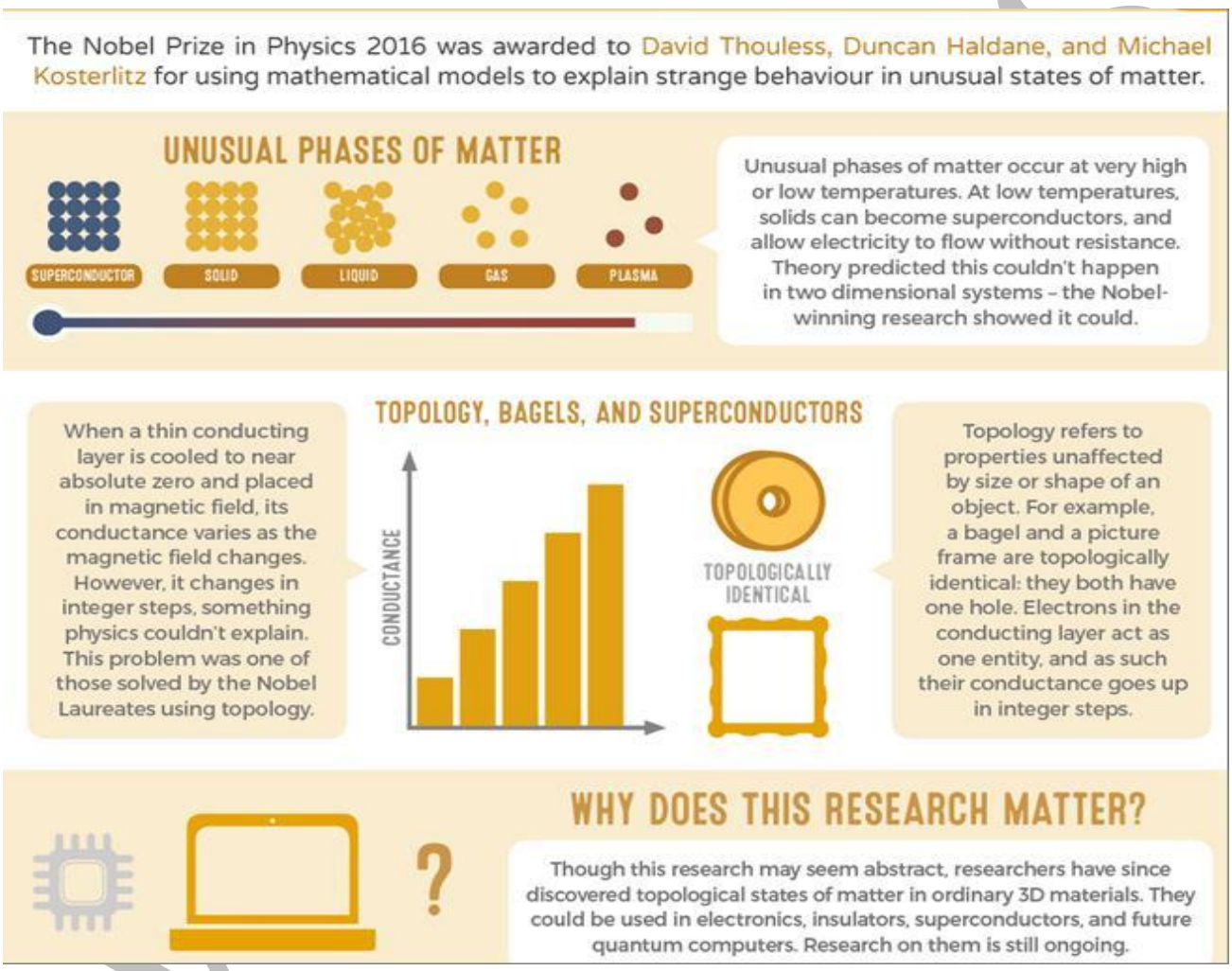

5.3. रसायन विज्ञान 2016 में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize In Chemistry 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- "आणविक स्तर पर अतिसूक्ष्म मशीनों का विकास" करने के लिए फ्रांस के जीन पियरे, ब्रिटेन में जन्मे फ्रेजर स्टोडिर्ट और डच वैज्ञानिक बर्नार्ड "बेन" फेरिंगा को 2016 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महत्व

- नियंत्रणयोग्य गति वाली ये आणविक मशीनें ऊर्जा प्रदान करने पर कार्य संपन्न कर सकती हैं।
- ये मशीनें अंततः अमूल्य सिद्ध होंगी – जिन कार्यों को कोई अन्य मशीन नहीं कर सकती उन्हें ये मशीनें कर सकती हैं।

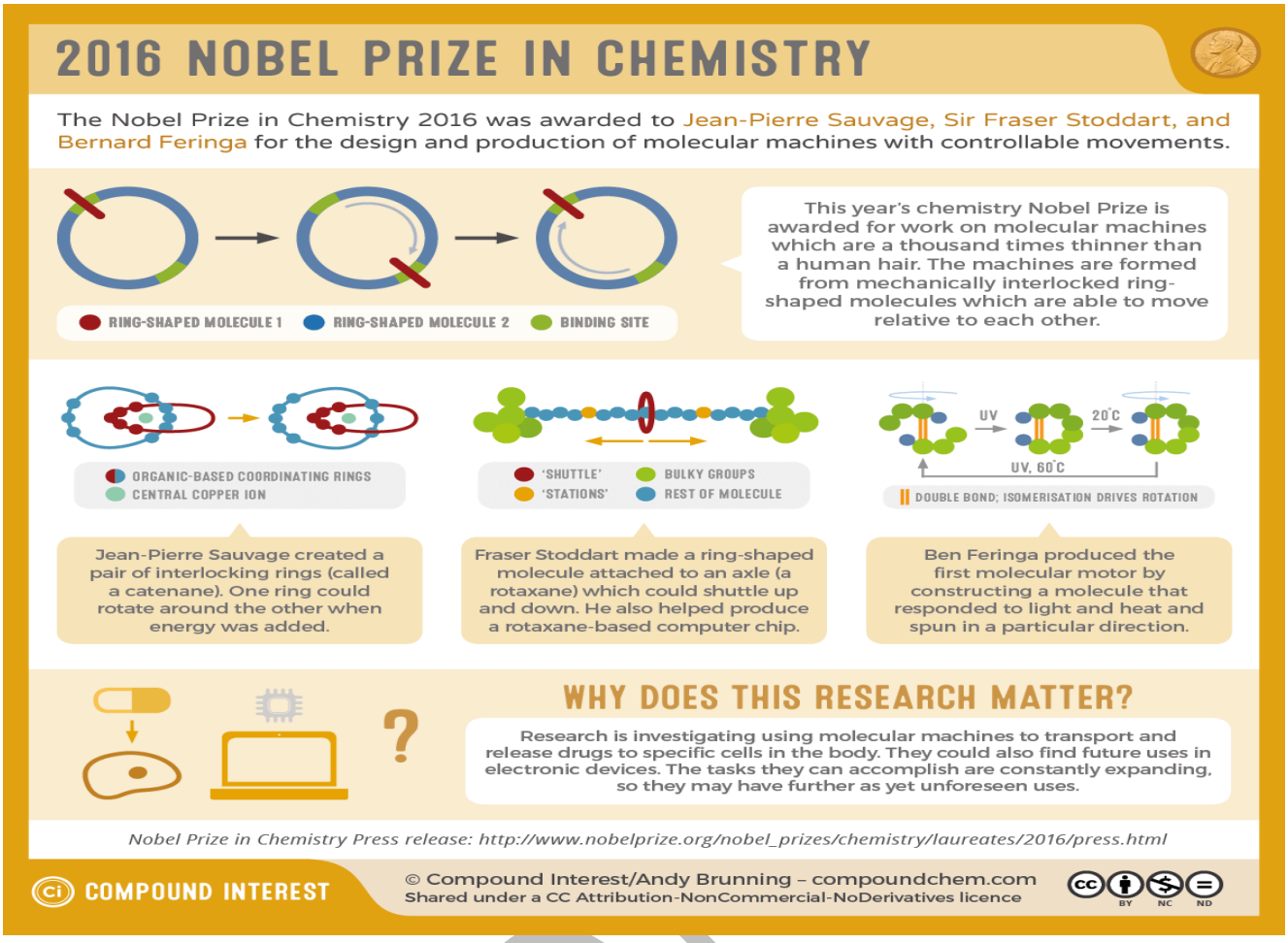

5.4. समुद्र में तेल रिसाव (ऑयल स्पिल) का समाधान

(Solution To Marine Oil Spills)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय शोधकर्ताओं ने **असाधारण हाइड्रोफोबिक और उच्च तैल-प्रेमी (ओलियोफिलिक) गुणों वाली झिल्ली** का विकास किया है।
- भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (CSMCRI), भावनगर तथा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे के शोधकर्ताओं ने इसके विकास में योगदान दिया है।

यह कैसे कार्य करता है?

यह झिल्ली एक फिल्टर की भांति कार्य करती है। जब जल-तेल का मिश्रण इस झिल्ली से गुजारा जाता है, तो तेल तीव्र अवशोषण से पारगमित हो जाता है, जबकि जल झिल्ली के ऊपर बना रहता है। जल-तेल मिश्रण की स्थिति में तेल का पारगमन (permeation) 100 प्रतिशत होता है।

महत्व

जब उच्च जलधारा वाली स्थितियों में जल, तेल के साथ मिश्रित हो जाता है तो समुद्र में जल-तेल पायसीकरण (emulsification) होता है। यह झिल्ली पायस (emulsion) से तेल और जल को पृथक करने में और आयल स्पिल की समस्या का समाधान करने में प्रभावी है।

5.5. हिमांश

(HIMANSH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओसियन रिसर्च (NCAOR) द्वारा हिमालय क्षेत्र में **हिमांश नामक उच्च-तुंगता अनुसंधान केंद्र** की स्थापना की गयी। यह अनुसन्धान केंद्र हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में 13500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

उद्देश्य

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों पर पड़ रहे प्रभावों के अध्ययन की दिशा में एक पहल के रूप में इस केंद्र की स्थापना की है।

हिमांश का महत्व

- यह ग्लेशियर के पिघलने एवं जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध को समझने में शोधकर्ताओं की मदद करेगा।
- सर्वेक्षण कार्यों के लिए स्थलीय लेजर स्कैनर (Terrestrial Laser Scanners-TLS) और मानवरहित यानों (Unmanned Aerial Vehicles-UAV) का उपयोग किया जाएगा।
- यह अत्यंत परिशुद्धता के साथ ग्लेशियर की गति और बर्फ कवर में बदलाव को ज्ञात करने में मदद करेगा।
- स्थापित उपकरणों के कार्य

✓ मौसम की निगरानी हेतु स्वचालित मौसम स्टेशन।
✓ ग्लेशियर के पिघलने की जानकारी के लिए जलस्तर रिकॉर्डर।
✓ ग्लेशियर की मोटाई को जानने के लिए भूमि भेदन रडार (ground penetrating radar)।
✓ ग्लेशियर की गति को जांचने के लिए भूगणितीय GPS सिस्टम।
✓ बर्फ की मोटाई के अध्ययन के लिए बर्फ फोर्क (snow fork), भाप ड्रिल (steam drill), बर्फ कोरर (snow corer), तापमान प्रोफाइलर (temperature profiler) के साथ -साथ विभिन्न भूवैज्ञानिक उपकरण।

कुछ ग्लेशियरों का पहले से ही इस परियोजना के तहत अध्ययन किया जा रहा है, इनमें बड़ा शिगरी, समुद्र टापू, सुतरी ढाका (sutri dhaka), बाटल, गेपांग घाट और कुंजम शामिल हैं।

5.6. हाइपरइलास्टिक बोन

(Hyperelastic Bone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलिनोइस में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक 3डी प्रिंटेबल स्याही विकसित की है। इससे प्रत्यारोपण योग्य एक कृत्रिम अस्थि निर्मित हो सकती है जिसकी मदद से तेजी से अस्थि का पुनर्निर्माण और विकास संभव है।

हाइपरइलास्टिक बनाम ऑटो ग्राफ्ट

- ऑटोग्राफ्ट एक ऐसा विकल्प है जिसमें रोगी के शरीर से आम तौर पर कूल्हे या पसली से अस्थि का एक टुकड़ा लेकर उसी रोगी के अस्थितंत्र में आवश्यकता वाले स्थान पर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
- हाइपरइलास्टिक बोन एक कृत्रिम सामग्री है। इसे नई अस्थि के विकास के लिए त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जा सकता है या इसका उपयोग नष्ट अस्थि पदार्थ (lost bone matter) की जगह भी किया जा सकता है।

महत्व

- हाइपरइलास्टिक बोन, हमारी हड्डियों और दांतों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोक्सीपेटाईट नामक खनिज से निर्मित होती है। यह अस्थियों का निर्माण संभव बनाता है।
- हाइपरइलास्टिक सामग्री को आसानी से किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है।
- यह खोज, पुनर्निर्माण (reconstructive) सर्जरी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता है।

5.7. GSAT 18 उपग्रह लॉन्च किया गया

(GSAT 18 Satellite Launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत का नवीनतम संचार उपग्रह **GSAT 18,** फ्रेंच गयाना, दक्षिण अमेरिका में कौरू के स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।
- इसका निर्माण ISRO द्वारा किया गया है एवं हासन, कर्नाटक में स्थित इसरो की मास्टर कण्ट्रोल फैसिलिटी उपग्रह का नियंत्रण कर रही है।
- मास्टर कण्ट्रोल फैसिलिटी, उपग्रह की लिक्विड अपोजी मोटर (LAM) का उपयोग करके आरम्भिक कक्षा से इसका इसका परिक्रमा पथ बढाकर इसे वृत्ताकार भूस्थिर कक्षा में स्थापित करेगी।

GSAT उपग्रह

ये उपग्रह, डिजिटल, ऑडियो, डेटा और वीडियो प्रसारण के लिए उपयोग किये जाने वाले भारत के संचार उपग्रहों की स्वदेशी रूप से विकसित संचार प्रौद्योगिकी हैं।

चुनौतियाँ

भारत के पास GSAT-18 जैसे भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण में समर्थ कोई प्रक्षेपक यान नहीं है। हालांकि, भारतीय वैज्ञानिक इस चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए GSLV–III का विकास कर रहे हैं।

5.8. ICGS पोत सम्मिलित

(ICGS SHIPS COMMISSIONED)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दो **भारतीय तटरक्षक पोतों- आर्यमान और अतुल्य** को सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है।

यह क्या है?

- ये तटरक्षक पोत, 20 **तीव्र गश्ती वाहनों (fast Patrol Vehicles: FPV)** की श्रृंखला में 18वें और 19वें पोत हैं।
- आर्यमन और अतुल्य का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- अतुल्य, कोच्चि में तैनात होगा जबकि आर्यमान, विशाखापत्तनम में तैनात किया जाएगा।
- विशिष्ट विशेषताओं में एकीकृत सेतु प्रबंधन प्रणाली (Integrated Bridge Management System, IBMS) और एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली (Integrated Machinery Control System, IMCS) सम्मिलित हैं।
- एकीकृत सेतु प्रणाली (IBS), ऐसी नेविगेशन प्रबंधन प्रणाली है जो एक ही स्थान पर जहाज के नौवहन से संबंधित सभी विवरण प्रदान करने के लिए अन्य प्रणालियों के साथ संबंध स्थापित करती है।

महत्व

- ये पोत अत्याधुनिक मशीनरी, नेविगेशन उपकरण और उन्नत संचार से सुसज्जित हैं।
- इनका निगरानी, खोज, बचाव एवं निषेध अभियान जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

5.9 विज्ञान अनुसंधान में सर्वाधिक वृद्धि वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान

(India Shows Second Highest Growth in Science Research)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेचर इंडेक्स 2016 राइसिंग स्टार रिपोर्ट के अनुसार, उच्च गुणवत्ता युक्त वैज्ञानिक अनुसंधान में अपने योगदान में उच्चतम वृद्धि वाले देशों के बीच भारत का दूसरा स्थान है, इस क्षेत्र में यह केवल चीन से पीछे है।
- विश्व भर में शीर्ष 100 सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ताओं में स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थानों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (TIFR), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) सम्मिलित हैं।

महत्व

- रिपोर्ट विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत के उद्भव की परिचायक है।
- रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है, यह न केवल सरकार और व्यक्तिगत वैज्ञानिकों बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाले किशोरवय छात्र-छात्राओं को भी विज्ञान का अधिक गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की ओर प्रेरित करेगी।

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान में आने वाली बाधाएँ

- अनेक विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण शिक्षण स्टाफ की अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है। अनुसंधान प्रबंधन एक अन्य अत्यधिक गंभीर समस्या है।
- भारत में छात्रों के बीच स्नातक स्तरीय अध्ययन पूर्ण करने के बाद अन्य रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों की ओर चले जाने की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसका कारण उनके बीच यह मान्यता व्याप्त होना है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विपरीत आधारभूत विज्ञान में आकर्षक कैरियर नहीं है।

- निवेश की कमी: भारत वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग एक प्रतिशत अंश व्यय करता है। इसके विपरीत, चीन ने 2015 में अनुसंधान और विकास पर लगभग 209 बिलियन डॉलर या अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.1 प्रतिशत अंश व्यय किया।

आगे की राह

- भारत को अनुसंधान हेतु आकर्षक वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है ताकि उच्च अध्ययन और अनुसंधान के अवसर प्राप्त करने के लिए देश छोड़कर जाने वाले छात्रों और शिक्षाविदों को लौट कर वापस आने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो।

5.10. बायोटेक-किसान एवं पशु जीनोमिक्स

(Biotech-KISAN and Cattle Genomics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसान केन्द्रित दो पहलों का शुभारम्भ किया है। इन पहलों को बायोटेक-किसान एवं कैटल जीनोमिक्स नाम दिया गया है।

बायोटेक-किसान (कृषि नवोन्मेष विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क)

- **किसानों के लिए:** बायोटेक-किसान जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरम्भ की गई किसान केन्द्रित योजना है। इस योजना में वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर समस्याओं को समझने एवं समाधान खोजने के लिए कार्य करेंगे।
- **किसानों के द्वारा:** यह योजना किसानों से परामर्श कर विकसित की गई है। बायोटेक-किसान का उद्देश्य देश भर में किसानों, वैज्ञानिकों एवं विज्ञान संस्थानों को परस्पर एक नेटवर्क में जोड़ना है जो उनकी समस्याओं की पहचान कर सके एवं सहकारी ढंग से उनका समाधान करने का प्रयास करने में सक्षम हो।
- **महिला सशक्तीकरण :** यह योजना महिला कृषकों के लिए खेती के तरीकों (कृषि प्रथाओं) का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए महिला बायोटेक-किसान फेलोशिप का प्रावधान करती है। इस योजना का लक्ष्य महिला किसानों/उद्यमियों को उनके लघु उद्यमों में सहयोग प्रदान कर उन्हें ज़मीनी स्तर पर एक नवोन्मेषक बनाना भी है।
- **वैश्विक सम्पर्क और संबंध स्थापना:** बायोटेक-किसान, किसानों का सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं से संबंध स्थापित करेगी; भारत एवं अन्य देशों में प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएँगी।
- **हब एवं स्पोक:** इन 15 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में एक किसान संगठन विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाओं, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं क्षेत्र में सह-स्थापित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित हब होगा। यह हब क्षेत्र के किसानों तक पहुँच स्थापित करेगा एवं उन्हें वैज्ञानिकों एवं संस्थानों से जोड़ेगा।

पशुधन (कैटल) जीनोमिक्स

- इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य जीनोमिक चयन की प्रक्रिया द्वारा पशुओं (मवेशियों) की आबादी के आनुवंशिक स्वास्थ्य का सुधार करना है। जीनोमिक चयन अधिक उत्पादक, रोग प्रतिरोधी, अनुकूलनशील पशुधन को सुनिश्चित करेगा।
- विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित कर भारत की सभी पंजीकृत पशु नस्लों में से स्वदेशी पशु नस्लों के जीनोम का अनुक्रमण शीघ्र ही आरम्भ होना है।
- यह कार्यक्रम उच्च घनत्व DNA चिप्स के विकास की भी परिकल्पना करता है। यह भावी प्रजनन कार्यक्रमों के लिए लागत एवं समयांतराल को कम करेगा एवं स्वदेशी पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी।

5.11. भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा स्थिर सौर सेलों का निर्माण

(Indian Researchers Produces Stable Solar Cells)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पुणे के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) के एक शोधकर्ता ने स्थिर, उच्च दक्षता सम्पन्न, पूर्णतया अकार्बनिक पेरोवस्काइट नैनोक्रिस्टल सौर सेल का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक निर्माण किया।

महत्व

- वर्तमान में उपलब्ध सिलिकॉन-आधारित सौर सेल बहुत महंगे हैं इसलिए उनकी लागत को कम करने एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान जारी हैं।
- सौर सेल पर पारंपरिक अनुसंधान, संकर कार्बनिक-अकार्बनिक पदार्थ halide-perovskite पर, चलते रहे हैं। इस पदार्थ की उत्पादन दक्षता 22% है किन्तु यह परिवेशी परिस्थितियों में बहुत कम समय के लिए ही स्थिर होता है।

- इस प्रकार के पदार्थ हेतु इससे पूर्व के प्रयासों में वैज्ञानिक समुदाय बड़े आकार के क्रिस्टल विकसित कर रहा था जिन्होंने उत्पाद को अवांछनीय बना दिया। Perovskite संरचना युक्त पदार्थ सौर सेलों को लागत प्रभावी बनाने की दौड़ में आगे रहे हैं।
- शोधकर्ता कार्बनिक तत्व निकालने एवं उनके स्थान पर सीज़ियम के नैनोक्रिस्टलों का प्रवेश कर पूर्णतया अकार्बनिक पदार्थ विकसित करने में सफल रहा था, जो तापीय रूप से भी अधिक स्थिर था।

क्या किया गया था?

- टीम ने जैविक अवयव मिथाइल अमोनियम को सीज़ियम से प्रतिस्थापित कर दिया, इससे सीज़ियम लेड आयोडाइड नामक पदार्थ बना। इस प्रकार विकसित नैनोक्रिस्टल का आकार कम हो गया था जिससे अब प्राप्त हुआ यह पूर्णतः अकार्बनिक पदार्थ, स्थिर बन गया था।
- पदार्थ के आकार को नैनोमीटर में घटाने से, सतह से आयतन के अनुपात में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होती है, परिणामस्वरूप इस पदार्थ में उच्च सतह ऊर्जा होती है। इसके परिणामस्वरूप उच्च तापमान घन अवस्था क्रिस्टलीय संरचना (high-temperature cubic phase crystal structure) कमरे के तापमान पर भी स्थिर होती है।
- सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदलने और 1.23 वोल्ट का उच्च विभवान्तर उत्पन्न करने के लिए नैनोक्रिस्टलों को 10.77 प्रतिशत दक्षता की पतली फिल्म के रूप में सुव्यवस्थित किया गया था।

टीम इस पदार्थ का उपयोग कर लंबी दूरी की आवेश सुचालक फिल्म का निर्माण करने में भी समर्थ रही थी, जो यह प्रदर्शित करती है कि यह पदार्थ ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विकसित करने के लिए भी सहज रूप से उपयोगी हो सकता है।

"The Secret To Getting Ahead Is Getting Started"

ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM *for*

GS PRELIMS & MAINS 2018 & 2019

- Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains , GS Prelims & Essay
- Access to recorded classroom videos at personal student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material
- Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay Test Series of 2017, 2018 & 2019 (for students enrolling in 2019 program)
- A current affairs classroom course of PT 365 & Mains 365 of year 2018/2019 (for students enrolling in 2019 program)

6. सुरक्षा

(SECURITY)

6.1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय

(Comprehensive Convention On International Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने भाषण में भारतीय विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT) को त्वरित रूप से अंगीकृत करने के लिए विश्व समुदाय से अपील की।

यह क्या है?

- CCIT का मसौदा **1996 में भारत द्वारा** तैयार किया गया था, यह एक प्रस्तावित संधि है जो आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

✓ आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 सदस्य अपने आपराधिक कानून में शामिल करें।

✓ सभी आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और आतंकी शिविरों को बंद किया जाए।

✓ विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाए।

✓ सीमा पार आतंकवाद को समग्र विश्व में एक प्रत्यर्पणीय अपराध बनाया जाए।

CCIT को अंगीकृत करने में बाधा

इसे अभी UNGA द्वारा अंगीकृत किया जाना बाकी है। आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक नीति अपनाने की राह में आने वाली चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- खतरे की पहचान में अंतर- हालांकि भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है, विकसित देशों ने केवल 9/11 के बाद ही इस खतरे को संज्ञान में लिया।
- आतंकवाद का मुकाबला करने में राज्यों की क्षमता में अंतर, मानव अधिकारों और कानून के शासन को सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों द्वारा भी एक व्यापक नीति अपनाए जाने में जटिलता आयी है।

CCIT का प्रभाव

हालांकि आतंकवाद पर अभिसमय अपनाने की बात को आम सहमति द्वारा टाल दिया गया है, लेकिन बातचीत के बाद निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं:

- आतंकवादी बम विस्फोट के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings), 15 दिसंबर 1997 को अंगीकृत;
- आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism), 9 दिसंबर 1999 को अंगीकृत; तथा
- परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism), 13 अप्रैल 2005 को अंगीकृत।
- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति (United Nations Global Counter-Terrorism Strategy) 2006 में अंगीकृत।

6.2. बिटक्वायन जब्त

(Bitcoin Seized)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), तस्करों के खातों से लगभग 500 बिटक्वायन जब्त करने की तैयारी में है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह देश में आपराधिक जांच में आभासी virtual) एवं अविनियमित मुद्रा की अभी तक की पहली जब्ती है।
- जहां आपराधिक जांच एजेंसियों ने अपनी संबंधित जांच में सदैव नकदी और अचल परिसंपत्ति जैसी विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियां जब्त की हैं, वहीं भ्रष्ट परिसंपत्तियों की जब्ती के भाग के रूप बिटक्वायन को कभी भी जमा नहीं किया गया था।

पृष्ठभूमि

- इसमें जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए बिटक्वायन की अवैध भुगतान पद्धति का उपयोग करके 'डार्कनेट' नामक इंटरनेट के गुप्त रूप पर मादक औषधियों और मादक अनुपूरक (supplement) की तस्करी सम्मिलित है।
- 'डार्कनेट' एक ऐसे गुप्त इंटरनेट नेटवर्क को संदर्भित करता है जिस पर केवल विशेष सॉफ्टवेयर विन्यास (configuration) और प्राधिकरण द्वारा ही पहुँच स्थापित की जा सकती है। सामान्य संचार प्रोटोकॉल और पोर्ट का उपयोग करके इसका पता लगाना कठिन है।

बिटक्वायन के बारे में

- बिटक्वायन, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित और आयोजित किया जाता है। इसे कोई भी नियंत्रित नहीं करता है।
- बिटक्वायन, डॉलर या यूरो की तरह मुद्रित रूप में नहीं होते हैं, इन्हें लोगों द्वारा तथा बढ़ते व्यवसायों एवं सम्पूर्ण विश्व में कार्यरत कंप्यूटरों द्वारा गणितीय समस्याओं का हल करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग कर निर्मित किया जाता है।

6.3. वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली

(Airborne Early Warning And Control System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

DRDO ने एक वाहक जेट विमान पर कई प्रकार के संवेदकों (sensors) से युक्त एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली विकसित की है। DRDO ने इस हवाई निगरानी प्रणाली को भारतीय वायु सेना के लिए CAB (सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम) के सहयोग से विकसित किया है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

यह DRDO और CAB द्वारा विकसित की गयी प्रथम स्वदेशी AEW प्रणाली है। इसे पूर्णतया स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म EMB-145 के उपयोग द्वारा विकसित कर निर्मित किया गया है।

AEW&C के बारे में:

एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) से लैस विमान वस्तुतः विमानों, मिसाइलों, जहाजों और वाहनों का पता लगाने एवं उन पर नज़र रखने हेतु अभिकल्पित रडार प्रणाली हैं। ये मित्र सेना को निर्देशित करने हेतु संकेत और नियंत्रण प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना के लिए AEW&C की उपयोगिता

- इसकी तीक्ष्ण दृष्टि एवं सुनने की तेज क्षमता की मदद से दुश्मन के भीतरी क्षेत्र से भी खतरों का पता लगाना, उनकी ट्रैकिंग, पहचान और वर्गीकरण करना।
- पथप्रदर्शन करना और अवरोध (इंटरसेप्शन) का नियंत्रण करना।
- वायुवीय स्थिति की तस्वीर तथा इसमें लगे भिन्न-भिन्न संवेदकों से प्राप्त आंकड़ों का समेकन करना।

AEW&C प्रणाली से संबंधित आधारभूत तथ्य

- इस प्रणाली के लिए चयनित जेट प्लेटफॉर्म, ब्राजील के Embraer EMB-145 का संशोधित संस्करण है।
- इसमें ऑनबोर्ड मिशन प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त विद्युत इकाई की व्यवस्था है। यह मिशन को विस्तार प्रदान के लिए उड़ान के दौरान ईंधन के पुनर्भरण (इन-फ्लाइट री-फ्यूलिंग) के अनुकूल है।
- इसमें दो विकिरण तल व्यूह रचना (radiating planar arrays) की सहायता से 240 डिग्री को कवर करने की व्यवस्था है। ये सक्रिय एंटीना व्यूह रचना इकाई (active antenna array unit: AAAU) में एक के बाद एक लगे होते हैं।
- AAAU को 10x2 एंटीना व्यूह पैनल (antenna array panel), 160 ट्रांसमिट रिसीव मल्टी मॉड्यूल (TRMM) के साथ-साथ बिजली आपूर्ति इकाई और नियंत्रण इकाइयों सहित सभी सहायक उपकरणों को लगाने के अनुकूल अभिकल्पित किया गया है।

- प्रत्येक TRMM, आठ सुसंबद्ध रूप से जुड़े ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स से बने हैं जो 160 TRMM की अत्यधिक सघन स्थापना सुनिश्चित कर सकते हैं।

6.4. काले धन पर अंकुश लगाने हेतु SIT द्वारा पी-नोट्स आंकड़ों की छानबीन

(SIT Combing P-notes Date to Curb Black Money)

सुर्ख़ियों में क्यों?

काले धन पर गठित विशेष जांच दल (SIT) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के माध्यम से निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सम्पूर्ण अंतरण मार्ग (transfer trail) तथा लाभप्राप्तकर्ता स्वामियों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है।

पी-नोट्स क्या हैं?

- पी-नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स, प्रवासी व्युत्पन्न उपकरण हैं जो अपनी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में भारतीय स्टॉक रखते हैं।
- ये विदेशी निवेशकों को पंजीकरण के बिना भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को खरीदने की अनुमति देते हैं।
- पी-नोट्स ने FIIs के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। पंजीकरण की औपचारिकताओं से बचने के लिए और गुमनाम रहने के लिए निवेशकों ने इस मार्ग के माध्यम से शेयरों में निवेश शुरू किया।

सरकार की चिंतायें

- पी-नोट्स के पीछे चिंता का प्राथमिक कारण यह है कि इन साधनों की अनाम प्रकृति की वजह से ये निवेशक भारतीय नियामकों की पहुंच से परे हो सकते हैं।
- इसके अलावा, एक राय यह है कि ये अमीर भारतीयों के साथ मनी लॉन्डरिंग में इस्तेमाल किये जा रहे हैं, जैसे कि कंपनियों के प्रमोटरों द्वारा इसका प्रयोग बेहिसाब धन को वापस लाने और अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा है।

आंकड़ों की छानबीन महत्वपूर्ण क्यों है?

- सरकार द्वारा गठित निकाय ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों की मांग की है, जिसमें घरेलू इक्विटी और ऋण बाजार में पी-नोट्स के माध्यम से काले धन का निवेश करने वाले निवेशकों द्वारा प्रयुक्त अंतरण मार्ग तथा सभी लाभप्राप्तकर्ताओं की जानकारी सम्मिलित है।
- SIT को इन व्यक्तियों तथा पनामा कानूनी फर्म मोसैक फोंसेक्का (Mossack Fonseca) द्वारा संचालित कपंनियों के बीच संबंध होने का संदेह है।
- भारत में निवेश होने वाले आउटस्टैंडिंग ODIs (ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण) का एक बड़ा हिस्सा अर्थात् करीब 31.31 प्रतिशत अति अल्प जनसंख्या वाले केमैन द्वीप से आता है।
- वर्तमान में, देश में करीब 2.1 लाख करोड़ रुपये की पी-नोट्स परिसंपत्तियां हैं। यह कुल FPI परिसंपत्तियों का 8.4 प्रतिशत है। वर्ष 2007 में यह लगभग 50% था, लेकिन अब घट कर 8.4 प्रतिशत रह गया है।

6.5. बैंकों में साइबर सुरक्षा: डेबिट कार्ड के डेटा की चोरी का मामला

(Cyber Security In Banks: Debit Card Data Theft Issue)

पृष्ठभूमि

- हाल ही में यह उजागर किया गया था कि लगभग 19 भारतीय बैंकों ने पिछले 6 महीनों में डेटा की चोरी की विभिन्न घटनाओं का सामना किया। भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ी डेबिट कार्ड धोखाधड़ी है।
- बैंकों ने 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड वापस मंगाकर उन्हें बंद किया है।
- इससे लगभग 1.3 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है। संभावित हानि इसकी तुलना में बहुत अधिक हो सकती है।
- सभी खुदरा लेन-देनों की निगरानी करने वाले **नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** द्वारा की गयी जांच ने भारत में ATM, पॉइंट ऑफ सेल एवं अन्य सेवायें प्रदान करने वाली हिताची पेमेन्ट सर्विसेज की प्रणालियों में **मैलवेयर-प्रेरित सुरक्षा उल्लंघन** पाया।

निहितार्थ

- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए डिजिटल क्रांति का उपयोग करने के लिए प्रयासों में संलग्न हैं। उदाहरण के लिए,

- ✓ वित्तीय समावेशन बढ़ाने की दिशा में कदम,
- ✓ प्रत्यक्ष लाभ भुगतान मॉडल के माध्यम से सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण,
- ✓ लेन-देन की लागत कम करके आर्थिक दक्षता में सुधार, एवं
- ✓ काले धन के प्रसार को कम करने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति।
- इस प्रकार, यह धोखाधड़ी, भारतीय खुदरा वित्तीय संरचना की सुभेद्यता को उजागर करती है।
- इससे वित्तीय संरचना में लोगों की आस्था और विश्वास कमजोर होते हैं।
- यदि प्रभावी साधनों द्वारा इसका समाधान तत्काल नहीं किया गया तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका सिद्ध हो सकता है।

साइबर अपराधों की समस्या हल करने के लिए RBI के प्रयास

- जून 2016 में, RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे के संबंध में निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति स्थापित करने, साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करने एवं सतत निगरानी के लिए व्यवस्था निर्मित करने के लिए कहा गया।
- जारी किए गए सर्कुलर में बैंकों से असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं को RBI के साथ साझा करने के लिए भी कहा गया है।
- RBI ने बैकों की साइबर सुरक्षा पहलों में सहायता करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण एवं साइबर सुरक्षा संबंधी एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित किया है।
- यह 2017-18 तक सभी बैंकों को हाल ही में आरम्भ किए गए **विस्तृत सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण कार्यक्रम** में समाविष्ट करने का भी प्रस्ताव देता है।

अन्य आवश्यक उपाय

- शाखाओं, ATM एवं ऑनलाइन बैंकिंग नेटवर्क सभी के बीच, पीढ़ीगत परम्परागत प्रणालियों को एक निर्दोष एवं सुरक्षित समग्र प्रणाली में समन्वित करना बैंकों की जिम्मेदारी है।
- साइबर सुरक्षा को बैंकों की शीर्ष प्राथमिकता में रखने की आवश्यकता है। उधारदाताओं के स्तर पर शीर्ष प्रबंधनों को अपने साइबर कल्चर का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, चेतावनियों एवं चेतावनी संकेतों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए एवं कमियों का समाधान करना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल बनना एक अवसर है और साथ ही संकट भी, किन्तु फिर भी यह आवश्यक है क्योंकि यह अपने साथ सरलता लेकर आता है। किन्तु हमें बेहतर धोखाधड़ी प्रबंधन एवं सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

6.6. स्टार्टअप वित्तपोषण के लिए साइबर सिक्यूरिटी प्लेटफ़ॉर्म

(Cyber Security Platform To Fund Startups)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार और NASSCOM (National Association of Software and Services Companies), साइबर सिक्यूरिटी एंड सॉल्युशन कंपनियों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने के लिए एक साथ आये हैं।
- इसका लक्ष्य साइबर सिक्यूरिटी स्टार्ट-अप के लिए एक विशेष कोष बनाना है।
- यह देशी साइबर सिक्यूरिटी कंपनियों के लिए पहला प्लेटफ़ॉर्म होगा।

महत्व

- इंटरनेट सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय समाधान प्रस्तुत करना।
- क्षेत्र में स्वदेशी विशेषज्ञता को बढ़ावा देने हेतु।
- स्थानीय कंपनियों को देश के डिजिटल सुरक्षा प्रौद्योगिकी के बजट में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करने के लिए।

डेटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI), जो उद्योग संगठन NASSCOM का भाग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeITY) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के साथ प्लेटफ़ॉर्म और वित्तीयन के लिए सहयोग करेगा।

6.7. ब्रह्मोस की रेंज दोगुनी की जाएगी

(Range Of Brahmos To Be Doubled)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत और रूस ने विश्व की पहली सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज दोगुनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह क्या है?

- रूस की याकोंट एंटी शिप मिसाइल की तर्ज पर इस मिसाइल का विकास करने के लिए रूस और भारत ने 1998 में गठबंधन किया था।
- मिसाइल की रेंज 300 कि.मी. से अधिक होने के लिए, देश का मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) का सदस्य होना अनिवार्य है।
- MTCR में भारत के शामिल होने के बाद अब मिसाइल की रेंज 600 कि.मी. तक बढ़ा दी जाएगी।
- ब्रह्मोस, रडार से परे लक्ष्यों पर प्रहार करने में भी सक्षम है तथा समुद्र आधारित एवं भूमि आधारित प्रणालियों से प्रक्षेपित की जा सकती है। वायु आधारित प्रणालियों का भी परीक्षण किया जा रहा है।
- इस मिसाइल की रेंज का विस्तार करने पर इसकी क्षमता और ऑपरेशनल दायरे में वृद्धि होगी। इस प्रकार, विस्तारित रेंज, गति और सटीकता के साथ, ब्रह्मोस एक भरोसेमंद मिसाइल है।

6.8. भारत-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास

(India-China Joint Army Exercise)

- भारत और चीन के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए चल रही पहल के भाग के रूप में भारत और चीन की सेनाओं ने दूसरे संयुक्त अभ्यास "चीन-भारत सहयोग 2016" का आयोजन किया।
- यह सीमा रक्षा सहयोग करार, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 6 फरवरी, 2016 को आयोजित पहले अभ्यास की अगली कड़ी थी।
- यह संयुक्त अभ्यास, भारत-चीन संयुक्त अभ्यास की 'हैंड इन हैंड' श्रृंखला तथा आपसी सहयोग बढ़ाने और भारत एवं चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ शांति और सौहार्द बनाए रखने के दोनों देशों के प्रयास का पूरक है।
- यह अभ्यास प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सीमावर्ती जनसंख्या का आत्मविश्वास बढ़ाने में सफल रहा और साथ ही इससे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ-साथ सीमा की रखवाली करने वाले दोनों बलों के बीच सहयोग के स्तर में भी वृद्धि हुई।

VISION IAS

7. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

7.1. नया शहरी एजेंडा - हैबिटेट - III

(New Urban Agenda - Habitat – III)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इक्वाडोर के क्यूटो में हाल ही में आयोजित आवास और टिकाऊ शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबिटेट - III) में आधिकारिक तौर पर नए शहरी एजेंडे को अपनाया गया।
- संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट सम्मेलन, द्विदशकीय (bi-decennial) चक्र में आयोजित किये जाते हैं। इससे पहले ये सम्मेलन वैंकूवर (1976) और इस्तांबूल (1996) में आयोजित किये गए थे।

नया शहरी एजेंडा क्या है?

- यह 175 प्रतिबद्धताओं का एक सेट है, जिसका विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अनुपालन शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है।
- यह अगले 20 वर्षों के संधारणीय शहरीकरण हेतु वैश्विक दृष्टिकोण निर्धारित करता है।
- यह ऐसे शहरों के निर्माण के लिय रोडमैप है जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए समृद्धि के इंजन और सांस्कृतिक एवं सामाजिक कल्याण के केंद्र के रूप कार्य कर सकें।
- यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करता है।

नये शहरी एजेंडा के घटक

नए शहरी एजेंडे में, नेताओं ने निम्न के प्रति प्रतिबद्धता ज़ाहिर की:

- सभी नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना: इन सेवाओं में शामिल हैं- आवास, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, शिक्षा, संस्कृति और संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुँच।
- सभी नागरिकों को बिना भेदभाव का सामना किये समान अवसर की प्राप्ति सुनिश्चित करना: नया शहरी एजेंडा शहर के प्राधिकारियों को महिलाओं, युवाओं, बच्चों, विकलांगों, हाशिये पर खड़े समूहों, वृद्धों, नृजातीय वर्गों तथा अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का निर्देश देता है।
- स्वच्छ शहरों के समर्थन में उपाय करना: इस एजेंडा के तहत नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग अधिक बढ़ाने, बेहतर और अधिक हरित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनाने तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित किये जाने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।
- जोखिम और आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए शहरों में लचीलापन लाना: कुछ प्रमुख उपायों में शामिल हैं- बेहतर शहरी योजना, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और स्थानीय प्रतिक्रियाओं में सुधार।
- अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करना: नेताओं ने पेरिस समझौते, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम में सीमित करने का निर्णय किया गया था, के अनुसार कार्य करने हेतु न सिर्फ स्थानीय सरकारों बल्कि समाज के सभी हिस्से से जुड़े कार्यकर्ताओं को शामिल करने पर प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।
- शरणार्थियों, प्रवासियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को उनकी प्रव्रजन स्थिति से निरपेक्ष, पूर्ण सम्मान देना: नेताओं ने यह स्वीकार किया कि भले ही आप्रवासन चुनौतियाँ बढ़ाता है, मगर साथ ही इसके जरिये शहरी जीवन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया जाता है। अतः उन्होंने शरणार्थियों, प्रवासियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए नियमों के निर्धारण हेतु प्रतिबद्धता भी ज़ाहिर की।
- कनेक्टिविटी में सुधार और अभिनव तथा हरित पहलों का समर्थन: इसमें कारोबार और नागरिक समाज के साथ भागीदारी द्वारा शहरी चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान खोजने के प्रयास शामिल हैं।
- सुरक्षित, सुलभ और हरित सार्वजनिक स्थलों को बढ़ावा देना:

VISION IAS

- ✓ व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतर्क्रिया को शहरी नियोजन द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसीलिए एजेंडा फुटपाथ, साइकिल चलाने के लिए लेन, उद्यान, चौराहों और पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थलों में वृद्धि के लिए कहता है।
- ✓ संधारणीय शहरी डिजाइन एक शहर की समृद्धि और वहां रहने योग्य माहौल सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नए शहरी एजेंडे का महत्व

- दुनिया की आधे से अधिक आबादी अब शहरों में रहती है। तो हम कह सकते हैं कि नया शहरी एजेंडा सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे को मूर्त रूप देने में सहायक होगा।
- विभिन्न "टिकाऊ शहरी विकास के लिए परिवर्तनकारी प्रतिबद्धताओं" को सामाजिक समावेशन, शहरी समृद्धि और लचीलापन जैसे विषयों के साथ सम्बद्ध कर तथा इस पर विशेष ध्यान देते हुए संधारणीयता इस नए शहरी एजेंडे का मूल है।
- यह "सभी के लिए शहर का स्वप्न' पूरा करने की प्रतिबद्धता रखता है जहाँ सभी निवासी न्यायपूर्ण, स्वस्थ, सुलभ, सस्ते, लचीले और स्थायी शहर तथा मानव बस्तियों के निर्माण व बसाव में सक्षम हो सकें।

भारत के लिए प्रासंगिकता

भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत के लिए नया शहरी एजेंडा निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है

- हालांकि अब तक भारत में धीमी गति से शहरीकरण हो रहा है और केवल 31.16% भारतीय शहरों में निवास करते हैं। अब इस गति में तेजी आने की उम्मीद है।
- 230 मिलियन भारतीयों के शहरी नागरिक बनने में 40 वर्षों का समय लग गया। अगले 250 मिलियन के लिए, यह केवल 20 वर्षों में हो जाने की उम्मीद है।
- वर्तमान में भीड़भाड़, यत्र-तत्र जमाव, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लगभग 65 मिलियन भारतीयों के लिए शहर वासयोग्य नहीं हैं।
- यह एजेंडा एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके द्वारा स्मार्ट सिटी, अमृत (AMRUT) और 'सभी के लिए आवास' जैसी सरकार की पहलों को एकीकृत किया जा सकता है।

चिंताएँ

- चूंकि कार्यान्वयन के किसी ठोस तंत्र के बिना यह एक **गैर बाध्यकारी दस्तावेज** है, अतः इसके द्वारा परिवर्तन की क्षमता सीमित है।
- एजेंडा सतत विकास लक्ष्यों की एक श्रृंखला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें भी मुख्यतः **SDG 11** को ध्यान में रखा गया है जिसका उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। हालांकि, नए शहरी एजेंडे में लक्ष्य 11 के उद्देश्यों से सीधे संपर्क की कमी के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है।
- स्मार्ट सिटी के तहत बेहतर शहरी नियोजन के लिए ओपन डाटा नेटवर्क का उपयोग कर शहरों के लिए एक आशावादी, प्रौद्योगिकी आधारित भविष्य प्रदान किया गया है। हालांकि, सुरक्षा, नैतिकता, और बड़े पैमाने पर जानकारी जुटाने की निगरानी के बारे में सवाल काफी हद तक अनुत्तरित हैं।

आगे की राह

- हैबिटैट-।।। के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाना होगा। एकीकृत नियोजन और स्थानीय-राष्ट्रीय सरकारों के मध्य सहयोग के मॉडल जैसी मुख्य अवधारणाओं पर अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- एक रोड मैप के रूप में नए शहरी एजेंडे के साथ, यह आशा की जाती है कि हम और अधिक वासयोग्य लचीले और टिकाऊ शहरों के निर्माण की चुनौती को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वैश्विक शहरी परिवर्तन के बिना हम सतत विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।
- संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट 2018 में कुआलालम्पुर में 'नए शहरी एजेंडा' के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति की समीक्षा करने की योजना बना रहा है। इसमें अपने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के सुधार में भारत के प्रदर्शन पर भी नज़र रखी जाएगी।

7.2. किगाली समझौता

(Kigali Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 197 देशों ने रवांडा के किगाली में हाइड्रोफ़्लोरो कार्बन (HFC) श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक नया ऐतिहासिक समझौता किया है।

- इसकी कमी वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी ला सकती है।

महत्व

- किगाली संशोधन 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें केवल ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसें (जैसे CFCs) शामिल थीं, में संशोधन कर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को भी शामिल करता है।
- किगाली समझौता या HFCs को कम करने के लिए संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा।
- इसमें गैर-अनुपालन के मामले में दंड का भी प्रावधान है।
- यह संशोधन पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखते हुए पेरिस समझौते के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- इसके तहत विकसित देश वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान करेंगे। विकसित देशों से अतिरिक्त धन की सही मात्रा पर 2017 में मॉन्ट्रियल में पक्षकारों की अगली बैठक में सहमति बन जाएगी।

पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हैं?

- मूल रुप से 1987 में हस्ताक्षरित और काफी हद तक 1990 और 1992 में संशोधित इस संधि का मुख्य लक्ष्य पृथ्वी की संवेदनशील ओजोन परत की रक्षा के क्रम में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को कम करना है।
- यह समझौता कुछ सफल बहुपक्षीय वार्ताओं में से एक है।

विभिन्न समयसीमा

सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को HFCs की कटौती की अलग-अलग समय-सीमा के साथ तीन समूहों में विभाजित किया गया है। यह समझौता समूहीकरण का एक नया रूप प्रदर्शित करता है:

- **पहला समूह:** इसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के संपन्न देश शामिल हैं। वे 2018 तक HFCs के उत्पादन और खपत को स्थिर कर लेंगे। वे 2036 तक इसे 2012 के स्तर से लगभग 15% कम करेंगे।
- **दूसरा समूह:** इसमें चीन, ब्राजील और सम्पूर्ण अफ्रीका के देश शामिल हैं। वे 2024 तक HFCs के उपयोग को स्थिर कर देंगे और 2045 तक इसे 2021 के स्तर से 20% तक कम कर देंगे।
- **तीसरा समूह:** इसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब आदि देश शामिल हैं। वे 2028 तक HFCs के उपयोग को स्थिर कर देंगे और 2047 तक इसे 2025 के स्तर से 15% तक कम करेंगे।

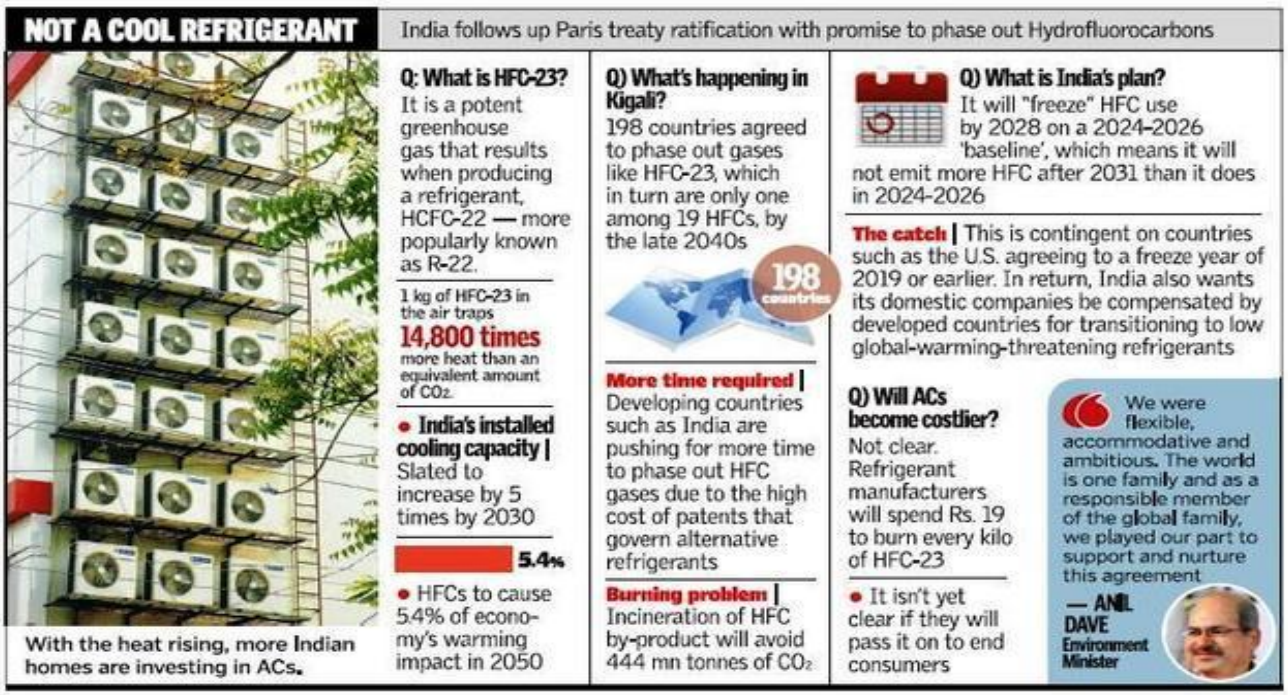

भारत द्वारा उठाए गए कदम: HFC-23 के उपयोग को समाप्त करने के लिए

- हाल ही में, भारत ने 14,800 वैश्विक तापन क्षमता (global warming potential-GWP) वाली एक सुपर ग्रीनहाउस गैस HFC-23 (ट्राईफ्लोरो-मीथेन) पर घरेलू कार्य-योजना की घोषणा की जोकि HCFC-22 (क्लोरो-डाईफ्लोरो-मीथेन) के सह-उत्पाद के रूप में उत्पादित होती है। वर्तमान में, HCFC-22 भारत में सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशीतक है।
- भारत ने घरेलू बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले पांच निर्माताओं को HFC -23 को संग्रहीत करने और दहन करने का आदेश दिया है, जिससे की यह वातावरण में निर्मुक्त ना हो सके। यह कार्रवाई अगले 15 वर्षों में लगभग 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर HFC-23 के उत्सर्जन को समाप्त करेगी।
- इसने कंपनियों को HFC-23 के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने और उसका अनुरक्षण करने का भी निर्देश दिया है।
- कंपनियों को इस पर्यावरण बाह्यता (environmental externality) की लागत को समावेशित करने और निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त भंडारण सुविधा का निर्माण करने और दहन भट्टी को यह सुनिश्चित करते हुए चलाने के लिए कहा गया है कि HFC-23 का उत्सर्जन वातावरण में ना हो।

7.3. अंटार्कटिक परिध्रुवी अभियान

(Antarctic Circumpolar Expedition: ACE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

30 देशों के 50 से अधिक शोधकर्ताओं द्वारा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को मापने के एक प्रयास के रूप में अंटार्कटिका की पहली पूर्ण वैज्ञानिक जलयात्रा की जा रही है।

यह क्या है?

अंटार्कटिक परिध्रुवी अभियान (ACE), " विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी में ध्रुवीय अनुसंधान के क्षेत्र में रूचि जगाने के लिए" नव-निर्मित स्विस ध्रुवीय संस्थान (SPI) की प्रथम परियोजना है।

महत्व

- ACE, अंटार्कटिक महासागर के सभी प्रमुख द्वीपों तथा साथ ही अंटार्कटिक भू-क्षेत्र का अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक मिशन होगा।

✓ अंटार्कटिका, किसी भी पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए वैश्विक तापमापी के रूप में कार्य करता है।

✓ अंटार्कटिका की बेहतर समझ न सिर्फ इसके संरक्षण के लिए अपितु हमारे सम्पूर्ण ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है।

- **वैश्विक सहयोग**: 30 देशों के 50 से अधिक शोधकर्ताओं ने अभियान में सहयोग किया है।
- **प्रदूषण और जैव विविधता:** ACE, अंटार्कटिक क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने की रणनीति बनाने में मदद करेगा जोकि समग्र विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।

✓ दक्षिणी महासागर में व्हेल, पेंगुइन और एलबेट्रोस पर प्रदूषकों के प्रभाव का चित्रण करने में सहायता करने के लिए। व्हेल के बारे में जानकारी अंटार्कटिक समुद्री पर्यावरण के प्रबंधन और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

✓ इसकी जाँच करने के लिए कि किस हद तक सूक्ष्म प्लास्टिक, दक्षिणी महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान हैं और क्या वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर गए हैं।

- **जैव विविधता**: समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से अंटार्कटिक महासागर के जलीय जीव प्रभावित होंगे, समुद्री तट प्रभावित होंगे तथा समुद्र के निकटवर्ती स्थान, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, भी प्रभावित होंगे।
- **जलवायु विज्ञान:** औद्योगिक क्रांति के आरम्भ से पूर्व की स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास करने के लिए वैज्ञानिक बर्फ कोर के नमूने भी लेंगे और महाद्वीप पर जैव-विविधता का अध्ययन करेंगे।

VISION IAS

✓ मानसून, ENSO (एलनीनो-दक्षिणी दोलन), मैडेन जुलिएन दोलन (Madden Julian oscillation) आदि विषयों पर हमारी समझ बढ़ेगी।

7.4. भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सावधानियों पर NDMA के दिशानिर्देश

(NDMA's Guidelines on Crowd Management, Safety Precautions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में NDMA ने त्योहारों के मौसम में जोखिम को कम करने के लिए भीड़ प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिशा निर्देशों की आवश्यकता

- विशाल समारोहों में अनिश्चितताओं की संभावना विद्यमान रहती है।
- क्षण भर में भीड़, भगदड़ में बदलकर एक मानव जनित आपदा बन सकती है जिससे जानमाल की बहुत हानि हो सकती है।
- भीड़ निराधार अफवाहों को सही मान सकती है या सिर्फ एक पशु झुंड की तरह की मानसिकता का अनुसरण कर सकता हैं।
- दशहरा के राम लीला समारोह के दौरान आग का ख़तरा विशेष रूप से अधिक होता है।
- एक बार अस्थिर हो चुके लोगों की भीड़ को शांत करना बहुत मुश्किल है। अत: यह आवश्यक है कि इन पंडालों और दशहरा समारोह के आयोजकों द्वारा सामान्य सावधानी अपना कर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

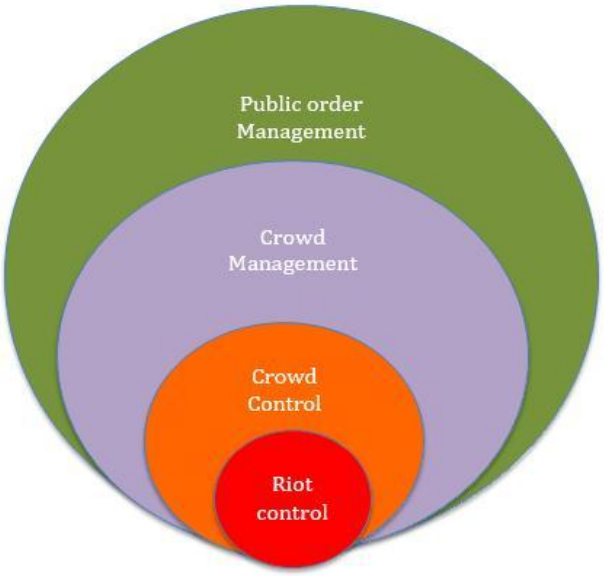

दिशानिर्देश

- मुक्त आवागमन: पहला कदम पंडालों और दशहरा मैदान के आसपास के क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना है।
  - ✓ पैदल चलने वालों के लिए, घटना स्थल और आपातकालीन निकास मार्ग तक पहुंचने के लिए रोड मैप महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाया जाना चाहिए।
  - ✓ एक कतार में लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अवरोधक (barricading) लगाना बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  - ✓ अनाधिकृत पार्किंग और अस्थायी स्टाल्स का भी ख्याल रखा जाना चाहिए जो पैदल चलने वालों के स्थान पर लगाए जा रहे हैं।
- निगरानी: सीसीटीवी कैमरे से आवाजाही की निगरानी और छीनाझपटी एवं अन्य छोटे अपराधों के जोखिम को कम करने के लिए पुलिस की उपस्थिति भी आयोजकों के एजेंडे में होना चाहिए।
- छोटी जगहों पर चिकित्सा आपातस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक एम्बुलेंस और पेशेवर चिकित्साकर्मी के उपस्थित होने से संकटकाल में कई जानें बचाई जा सकती हैं।

प्रतिभागियों के लिए

- ✓ निकास मार्गों से परिचित होना, शांति बनाए रखना और इन निर्देशों को अपनाना। इससे भगदड़ जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिलेगी।
- ✓ यदि भगदड़ मच जाती है तो एक बॉक्सर की तरह अपने हाथ सीने पर रखकर रक्षा करनी चाहिए और भीड़ की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
- ✓ खुले स्थान की ओर बढ़ना चाहिए और जहाँ भी भीड़ हल्की होती जाए बग़ल में स्थानांतरित होते जाना चाहिए। दीवारों, बैरिकेड या अन्य बाधाओं जैसे दरवाजे से दूर रहना चाहिए।
- ✓ अपने पैरों पर चलते रहना चाहिए और गिर जाने की स्थिति में तुरंत उठ जाना चाहिए। अगर आप उठ नहीं सकते हैं, तो सिर को अपने हाथों से कवर कर लें और एक भ्रूण की तरह अपने आप को संकुचित कर लें जिससे आपका जोखिम क्षेत्र कम हो जाए।
- **आग से संबंधित:** पंडालों में अनियोजित और अनधिकृत बिजली के तारों, खाद्य स्टालों में एलपीजी सिलेंडर और रावण के पुतले में छिपाए गए पटाखे से आग लगने का खतरा बना रहता है।

VISION

✓ आयोजकों को बिजली के अधिकृत उपयोग, अग्नि शामक यंत्रो और अन्य सुरक्षा निर्देश को पूरी करने वाली व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए। नजदीकी अस्पतालों की एक सूची काम में आ सकती है।

7.5. WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2016

(WWF's Living Planet Report 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- वर्ल्ड वाइड फंड (**WWF**) की रिपोर्ट के अनुसार 1970 और 2012 के बीच स्तनधारी, मछली, उभयचर और सरीसृपों की वैश्विक आबादी में 58 प्रतिशत की गिरावट आई है।

विशेषताएँ

- जैव विविधता की बहुतायत को मापने के लिए जूलॉजिकल सोसायटी ऑफ़ लंदन (ZSL) के आंकड़ों को इस रिपोर्ट में संकलित किया गया है।
- इस सूचकांक ने 3,700 रीढ़ वाली प्रजातियों के लगभग 14,200 सदस्यों का पता लगाया है।
- रिपोर्ट के अनुसार अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो जैव विविधता आबादी में 2020 तक 67 प्रतिशत तक की गिरावट आने की सम्भावना है।
- नदियाँ और झीलें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। इनमें 1970 के बाद से जीवों की आबादी में 81 प्रतिशत तक की कमी हुई है।
- रिपोर्ट बताती हैं कि हम ने Anthropocene युग में प्रवेश किया है- इस भूवैज्ञानिक अवधि में मनुष्य का **प्रभुत्व** है।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गयी है कि मानव दबाव की वृद्धि मानव-प्रकृति संघर्ष को गति प्रदान कर सकती है।
- यह प्राकृतिक संसाधनों पर पानी और खाद्य असुरक्षा और प्रतियोगिता के खतरे को बढ़ा सकता है।

कारण

- रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती मानव आबादी की खाद्य आवश्यकताएँ वन्य जीवन के अत्यधिक दोहन और अधिवासों के विनाश का प्राथमिक कारण हैं। वर्तमान में कृषि, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का एक तिहाई और कुल जल का लगभग 70% उपयोग करता है।
- वन क्षेत्रों में खेती और प्रवेश को मंजूरी दे दी गयी है। वर्तमान में पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का केवल 15 प्रतिशत प्रकृति के लिए सुरक्षित है।
- अधारणीय मत्स्यन और शिकार, भोजन हेतु जानवरों का शिकार एवं दोहन भी एक प्रमुख कारण है।
- प्रदूषण एक और समस्या है। कई जानवरों को समुद्र प्रदूषकों के उच्च स्तर के कारण नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
- भोजन चक्र में प्रदूषक नीचे की ओर जाते हैं और अन्य जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं।

सकारात्मक पक्ष

- कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों यथा बाघ की आबादी में वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में विशालकाय पांडा को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया है।
- पेरिस जलवायु संधि 2015 जिसकी ज्यादातर राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की गई है, भी जलवायु में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आशा जगाती है।
- इसके अतिरिक्त, 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को सतत विकास की नीतियों के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।

7.5.1. एन्थ्रोपोसीन युग - मानव-प्रभावित काल

(ANTHROPOCENE EPOCH – HUMAN-INFLUENCED AGE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केप टाउन में विश्व भूवैज्ञानिक कांग्रेस में एक विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होने वाले, नए एन्थ्रोपोसीन (Anthropocene) युग की आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाए। इस स्वीकृति प्रक्रिया में कम से कम दो वर्ष का समय लगने की संभावना है तथा इसे तीन अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

एन्थ्रोपोसीन क्या है?

- एन्थ्रोपोसीन शब्द की खोज नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पॉल क्रुतजन द्वारा वर्ष 2000 में की गयी। यह एक प्रस्तावित युग है जिसका तब आरम्भ हुआ जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी के भूविज्ञान और पारिस्थितिक तंत्र पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया था।
- इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटीग्राफी और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ जियोलॉजिकल साइंसेज ने अभी तक इस शब्द को आधिकारिक तौर पर भूवैज्ञानिक समय के मान्यता प्राप्त उपखंड के रूप में अनुमोदित नहीं किया है।

- एक युग (epoch) भूगर्भिक समय पैमाने (time scale) का एक उपखंड होता है जो एक काल (age) की तुलना में लम्बा तथा एक अवधि (period) की तुलना में छोटा समयांतराल होता है।
- युग का प्रयोग सामान्यतः सर्वाधिक नवीन, सेनेजोइक (Cenezoic) युग के लिए किया जाता है, जहां जीवाश्मों का एक बड़ा संग्रह पाया गया है और पुरातत्वविज्ञानी को उस समय के दौरान घटित हुई घटनाओं की अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त है।
- वर्तमान में हम चतुर्थक अवधि के होलोसीन युग में जी रहे हैं।
- होलोसीन युग, पिछले हिमयुग के अंत में 12,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। सभी मानव सभ्यताओं का विकास इसी जलवायविक एवं भूगर्भिक रूप से स्थिर अवधि के दौरान हुआ है।

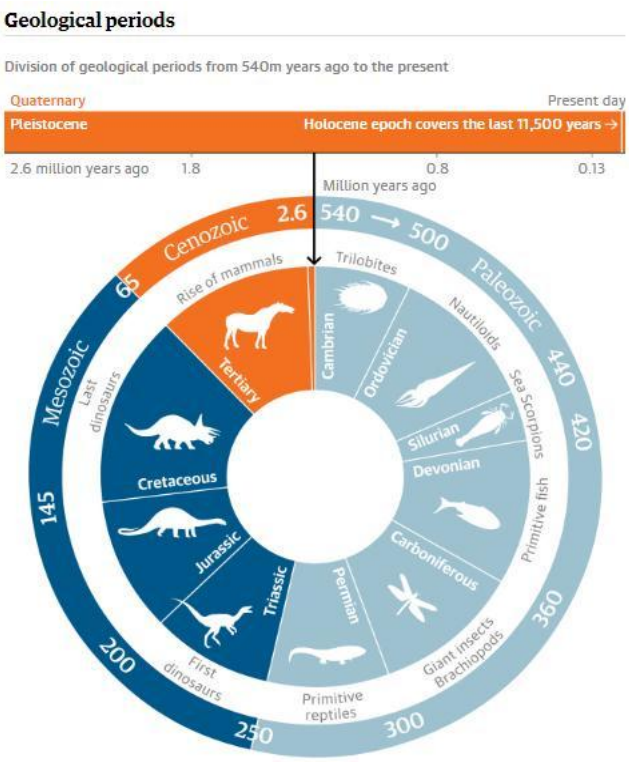

एन्थ्रोपोसीन के प्रमाण

1950 के दशक के बाद से, मानव ने पृथ्वी की सतह और वातावरण को स्थायी रूप से बदलना प्रारंभ कर दिया है। मानव गतिविधियों ने:

- **विलुप्त होने की दर को बढ़ा दिया है:** यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो पृथ्वी की प्रजातियों में से 75% अगली कुछ शताब्दियों में विलुप्त हो जायेंगी।
- उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने पिछली शताब्दी में हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को दोगुना कर दिया है। संभवतः यह 2.5 अरब वर्षों में नाइट्रोजन चक्र पर पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रभाव हो सकता है।
- मानव गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न ब्लैक कार्बन आदि द्वारा तलछट और हिमनदों की बर्फ में वायुवाहित कणों (airborne particulates) की एक स्थायी परत बना दी गयी है।

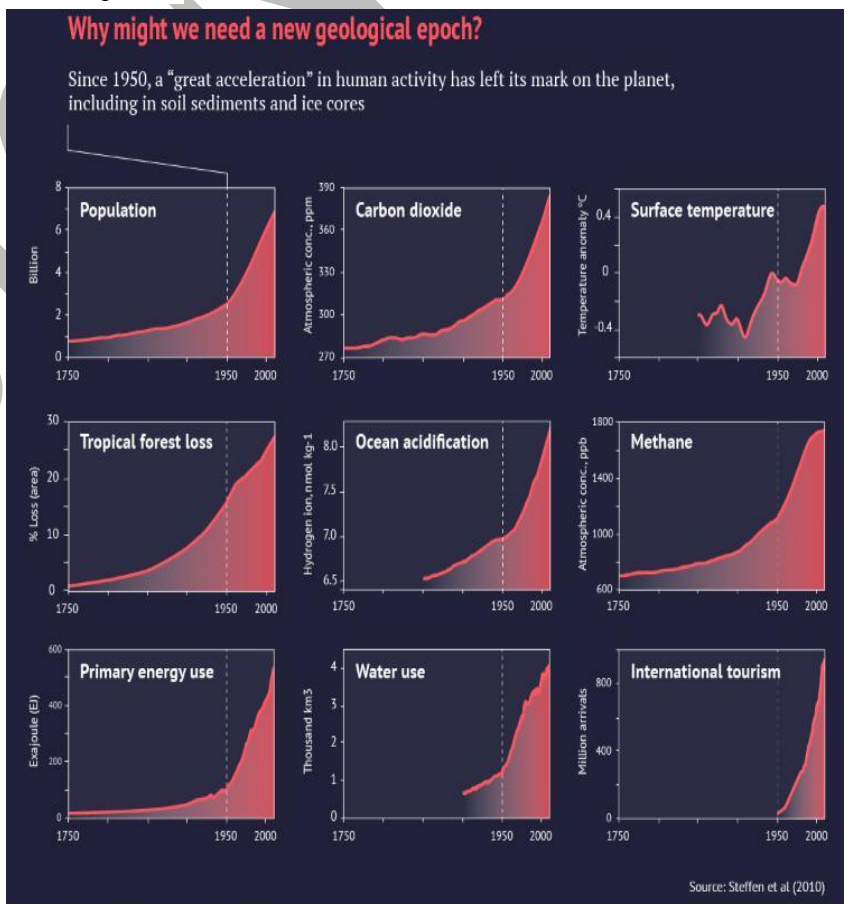

मान्यता की आवश्यकता

- एन्थ्रोपोसीन युग, यह विवरण देता है कि मानव ने मूलभूत रूप से ग्रह को उस बिंदु तक परिवर्तित कर दिया है कि यह आने वाले लाखों वर्षों तक अवसादों को परिरक्षित रखेगा, जिससे आने वाले समय में विश्व अपने पूर्व के मूलभूत रूप से काफी अलग दिखेगा।
- डार्विन के क्रमिक विकास के सिद्धांत (जिसने मानव को क्रमिक विकास की अवस्था के एक और चरित्र के रूप में दर्शाया था) के उद्भव के बाद से पहली बार, जो विश्व हमारे सामने है, वह वास्तव में हमारे स्वयं के द्वारा सृजित किया गया है।

- महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक परिवर्तन, जो आमतौर पर हजारों वर्षों में होते हैं, एक शताब्दी से कम समय में घटित हुए हैं तथा एक असह्य (inhospitable) ग्रह के दीर्घावधिक प्रभाव का अपेक्षित समय से पहले ही सामना करना पड़ सकता है।

एन्थ्रोपोसीन को एक पृथक युग के रूप में घोषित करने से संबंधित चिंताएं

- एन्थ्रोपोसीन, विभिन्न तरीके से पारंपरिक भूवैज्ञानिक इकाईयों से अलग है और इसलिए इसे परंपरागत तकनीक का उपयोग करके परिभाषित करना कठिन है।
- कई लोगों का तर्क है कि यह एक बहुत छोटा समय-पैमाना (time scale) है और किसी भी निर्णय तक पहुँचने के लिए ग्रह के तीव्र परिवर्तन के इस अन्तराल से गुजर कर स्थिर होने तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- एन्थ्रोपोसीन एक उस नई अवधि को चिन्हित करता है जिसमें मानव की सामूहिक गतिविधियों का ग्रहीय मशीनरी पर प्रभुत्व है। यह नाम परिवर्तन पृथ्वी के प्रबंधक के रूप में मानव पर उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए दबाव डालता है।
- आशा है कि अब मानव जाति और उसके नेता, सामूहिक रूप से एवं जागृत होकर गंभीरतापूर्वक अपनी नई जिम्मेदारी निभाएंगे।

7.6. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की

(India Ratifies Paris Climate Deal at UN)

मुख्य तथ्य

- भारत समझौते की पुष्टि करने वाला 62वां देश है और यह 4.1 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
- इसे महात्मा गांधी के 147वें जन्म दिवस पर अनुमोदित किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
- कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 55% के लिए उत्तरदायी, समझौते के पक्षकारों में से कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति और अनुमोदन के दस्तावेजों को जमा करने के तीस दिनों के बाद 4 नवंबर 2016 से पेरिस समझौता प्रभावकारी हो गया।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक समारोह के दौरान गायिका एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया।

7.7. नीरधुर

(Neerdhur)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (CSIR) ने एक अनोखा **बहु ईंधन घरेलू रसोई चूल्हा 'नीरधुर'** विकसित किया है।

लाभ:

- इसमें लकड़ी के अतिरिक्त **कोयला, गोबर और कृषि अवशेष** जैसे अन्य ईंधन भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं।
- यह **50% ईंधन की बचत** करता है और इसकी **तापीय क्षमता उच्च** है।
- इससे लकड़ी का उपयोग आधा हो जायेगा जो पर्यावरण पर दबाव को कम करेगा।
- नीरधुर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा **अनुमोदित और प्रमाणित** है तथा **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के उत्सर्जन मानकों** को पूरा करता है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में **महिलाओं के स्वास्थ्य** सुधार में मदद करेगा।

7.8. आंतरिक कार्बन मूल्य

(Internal Carbon Price)

सुर्खियों में क्यों?

महिंद्रा एंड महिंद्रा उत्सर्जित कार्बन के प्रति टन 10 डॉलर के आंतरिक कार्बन मूल्य की घोषणा करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गयी है।

आंतरिक कार्बन मूल्य क्या है?

यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक उपकरण है जो कंपनियों को ऐसे संसाधनों के निर्माण में सक्षम बनाता है जिनका कम कार्बन उत्सर्जन प्रौद्योगिकी में निवेश किया जा सके, जिससे भविष्य में उत्सर्जन और परिचालन लागत में कमी लाने में मदद मिले।

महत्व

- नवाचार में तेजी लाने और ऊर्जा कुशल एवं नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा।
- कार्बन जोखिम का प्रबंधन करते हुए निम्न-कार्बन उत्सर्जन निवेश के अवसरों का लाभ मिल पाएगा।
- कुछ वैश्विक कंपनियों ने कार्बन मूल्य निर्धारण (carbon pricing) घोषित किया है जिनमें, माइक्रोसॉफ्ट, यूनीलिवर, गूगल शामिल हैं।
- महिंद्रा ने विश्व बैंक और IFC संचालित कार्बन प्राइसिंग नेतृत्व गठबंधन (Carbon Pricing Leadership Coalition) के साथ ही भारत स्थित विश्व संसाधन संस्थान के साथ कार्बन मूल्य तंत्र में अपनी समझ बढ़ाने हेतु साझेदारी की है।

कार्बन मूल्य कार्बन प्रदूषण के ऊपर लगायी गई एक लागत है जो प्रदूषक को वातावरण में उत्सर्जित हाउस गैस की मात्रा कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कार्बन मूल्य निर्धारण मुख्यतः दो मुख्य प्रकार से होता है:

- उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emmission Trading System, ETS)
- कार्बन कर।

ETS जिसे कभी कभी कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम भी कहा जाता है - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कुल स्तर की कैपिंग कर देता है और कम उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को अपना अतिरिक्त अंश बड़े उत्सर्जनकर्ताओं को बेचने की अनुमति देता है।

कार्बन टैक्स, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कर की दर को निर्धारित करके या अधिक सामान्य रूप से - जीवाश्म ईंधन में कार्बन कंटेंट के आधार पर कार्बन का प्रत्यक्ष मूल्य निर्धारण करता है।

7.9. भारत का प्रथम 'हरित गलियारा'

(India's First 'Green Corridor')

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दक्षिण रेलवे का 114 किलोमीटर लंबा **मनामदुरै- रामेश्वरम** विस्तार भारत का पहला **'हरित गलियारा'** बना।
- इस मार्ग की सभी ट्रेनों में जैव-शौचालय (बायो-टॉयलेट्स) होगा और इस खंड में पटरियों पर मानव अपशिष्ट का शून्य निर्वहन होगा।
- रेल डिब्बों में जैव-शौचालयों का प्रबंधन करने के लिए **रामेश्वरम** रेलवे स्टेशन को पहले से ही **'हरित स्टेशन'** के रूप में विकसित किया गया था।

जैव शौचालय के बारे में

- भारतीय रेल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से, पर्यावरण के अनुकूल **'IR-DRDO बायो-टॉयलेट्स'** विकसित किया है।
- भारतीय रेल ने अपने **सभी डिब्बों में मानव अपशिष्ट निर्वहन मुक्त जैव-शौचालय** स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है और इसे **सितंबर 2019** तक पूरा कर लिया जाएगा।
- इससे पटरियों के क्षरण को रोकने के अलावा साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- यह स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है।

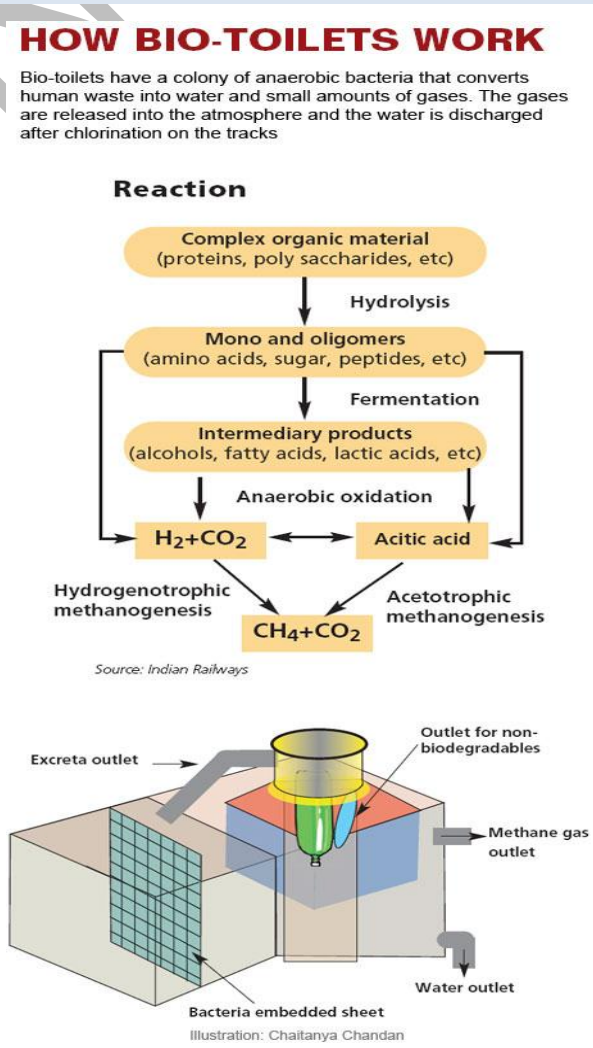

7.10. कश्मीर के लाल हिरण

(Kashmir's Red Stag)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) कश्मीरी लाल हिरण या

हंगुल को 'गंभीर रूप से संकटापन्न' (critically endangered) प्रजाति घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

- इससे पहले इसे लाल हिरण की एक उप-जाति माना जाता था। इसलिए, IUCN ने यूरोपीय और विश्व की अन्य 'लाल हिरण' प्रजातियों के साथ रखकर इसे 'कम चिंताजनक' (**'Least Concern**) के रूप में वर्गीकृत किया था।

कम होने के कारण

- हंगुल का शिकार कई सदियों से किया जाता रहा है।
- वनाच्छादित आवास का विखंडन।
- चराई की भूमि का अतिक्रमण।

पुनर्वर्गीकरण के बाद लाभ:

स्थानीय स्तर पर यह वर्गीकरण भारत में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली हंगुल की घटती आबादी के संरक्षण हेतु **प्रयास, समय और धन** का अधिक निवेश करने के लिए **जीवविज्ञानियों, पार्क प्रबंधकों और नीति निर्माताओं** का निश्चित रूप से तुरंत ध्यान आकर्षित करेगा।

हंगुल:

- कश्मीरी लाल हिरण या हंगुल अपने 11 से 16 शाखाओं वाले विशाल सींगों के लिए जाना जाता है।
- आज वनों में शेष इसकी केवल एक जीवनक्षम आबादी काफी हद तक दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (NP) और इससे सटे संरक्षित क्षेत्रों वाले ग्रेटर दाचीगम लैंडस्केप (1,000 वर्ग कि.मी.) तक ही सीमित है।
- यह **जम्मू-कश्मीर की गंभीर रूप से संकटापन्न तीन प्रजातियों में से एक** है। अन्य दो **मारखोर** एवं तिब्बती मृग या **'चीरू'** हैं। इसे 1980 के दशक में **जम्मू एवं कश्मीर के राज्य पशु** के रूप में नामित किया गया था।

यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अनुसूची-1 और जम्मू-कश्मीर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत सूचीबद्ध है और यह भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता संरक्षण वाली **15 शीर्ष प्रजातियों** की सूची में भी सम्मिलित है।

7.11. विश्व का विशालतम समुद्री पार्क

World's Largest Marine Park

सुर्खियों में क्यों?

- यूरोपीय संघ और 24 देशों ने लंबे समय से प्रतीक्षित ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत दक्षिणी महासागर में 1.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में विस्तृत जल के संरक्षण हेतु प्रावधान हैं।

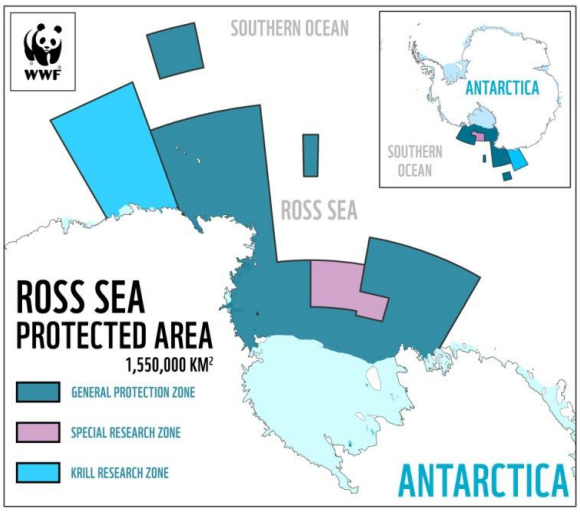

मुख्य तथ्य

- अंटार्कटिका के निकट, रॉस सागर के 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पार्क होगा।
- रॉस सागर समुद्री पार्क को 35 वर्षों के लिए मत्स्यन की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बंद कर "सामान्य सुरक्षा क्षेत्र" के रूप में पृथक कर दिया जाएगा।
- इस समझौते पर हस्ताक्षर, **अंटार्कटिक समुद्री संसाधनों के संरक्षण हेतु आयोग [Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR)]** की बैठक में किया गया।
- इस समझौते के तहत एक वृहद् "क्रील अनुसंधान क्षेत्र" एवं "विशेष अनुसंधान क्षेत्र' की भी स्थापना की जाएगी। जहां क्रील और टूथफिश को **केवल अनुसंधान प्रयोजनों** के लिए पकड़ने की अनुमति दी जाएगी।
- इस समझौते को चीन और रूस के विरोध का सामना करना पड़ रहा था, जो इस क्षेत्र में मत्स्य उद्योगों में संलग्न हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में निर्मित प्रथम समुद्री पार्क है।

महत्व

- यह कदम भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करेगा तथा IUCN की अनुशंसा, कि विश्व के महासागरों के 30% भाग का संरक्षण किया जाना चाहिए, को पूर्ण करने में सहायक होगा।

- यह क्षेत्र विश्व के अधिकतर पेंगुइन और व्हेल का आश्रय स्थल है।
- यह केवल जीवन की अविश्वसनीय विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु विश्व के सागरों के लचीलेपन के निर्माण में अपने योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है।

रॉस सागर का महत्व:

- यह कभी-कभी "अंतिम महासागर" (**Last Ocean**) भी कहा जाता है क्योंकि यह काफी हद तक मानवीय गतिविधियों से अछूता है और इसलिए पृथ्वी पर सबसे कम परिवर्तित/ प्रभावित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है।
- इसका पोषक तत्वों से समृद्ध जल, अंटार्कटिक में सबसे अधिक उत्पादक है, जिससे प्लैंकटन एवं क्रील अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते है जो मछली, व्हेल, सील एवं पेंगुइन आदि का भरण-पोषण करते हैं।
- यह वन्य जीवन के उच्च संकेन्द्रण और जंतुओं के एक अविश्वसनीय श्रृंखला-समूह का आश्रय स्थल है। इनमें से अधिकांश जीव पृथ्वी पर अन्य कही नहीं पाए जाते हैं।
- रॉस सागर एक जीवंत प्रयोगशाला है जो वैज्ञानिकों को स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को समझने के लिए अंतिम अवसर प्रदान कर रहा है।

अंटार्कटिक समुद्री संसाधनों के संरक्षण हेतु आयोग (CCAMLR):

- यह अंटार्कटिक समुद्री जीवन के संरक्षण के उद्देश्य से 1982 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था।
- इसके 25 सदस्य हैं तथा 11 अन्य देशों ने भी इस समझौते को स्वीकार किया है।
- भारत भी इस आयोग का एक सदस्य है।
- इसका मुख्यालय तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।

7.12. समुद्री शैवाल की कृषि

(Seaweed Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान (CMFRI) द्वारा समुद्री शैवाल कृषि तकनीक का हस्तांतरण अंडमान प्रशासन को किया गया।

समुद्री शैवाल की कृषि के बारे में

- यह 13वीं सदी के दौरान जापान में अगर अगर (**agar-agar**) और यूरोपीय महाद्वीप में alginic एसिड की खोज के बाद प्रसिद्ध हुआ।
- यह 21वीं सदी के औषधीय भोजन के रूप में माना जा रहा है।
- कई समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध हैं और यह विश्व के विभिन्न भागों में खाए जाते है।
- चीन विश्व के समुद्री शैवाल फसल का आधे से अधिक और इंडोनेशिया 27% का उत्पादन करता है।
- अधिकांश समुद्री शैवाल का उपयोग भोजन में किया जाता है, हालाँकि समुद्री शैवाल आधारित सौंदर्य प्रसाधन और ओषधियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

व्यापक लाभ

- यह व्यापक रूप से जल कृषि गतिविधि के सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल प्रकार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अतिरिक्त फ़ीड या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है।
- समुद्री शैवाल कृषि अवांछित पोषक तत्वों को भी फिल्टर करती है और समुद्री पर्यावरण में सुधार एवं सुपोषण (eutrophication) को कम करती है।
- अप्रत्यक्षतः, समुद्री शैवाल कृषि ने तटीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान कर कई क्षेत्रों में अति- मत्स्यन को कम किया है।
- कई विकासशील देशों की सरकारों द्वारा इसे सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है- ज्यादातर ऐसे स्थानों पर जहां समुदायों में वैकल्पिक आजीविका तक पहुँच कम हो गई है या वे मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीके जैसे डाइनामाईट फिशिंग में संलग्न हैं। कुछ स्थानों पर, इसके कारण महिलाएं पहली बार आर्थिक रूप से सक्रिय हुई हैं।
- समुद्री शैवाल का भूदृश्य निर्माण में या समुद्र तट कटाव से निपटने में भी प्रयोग किया जाता है।

भारत में समुद्री शैवाल की खेती

- भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और खाड़ी द्वीप समूह समुद्री शैवाल की खेती के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

- केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान (CMFRI) और सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSMCRI) द्वारा समुद्री शैवाल संसाधनों और उनके कल्चर से जुड़े अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

7.13. उत्तर-पश्चिमी भारत के पैलियो चैनल पर रिपोर्ट

(Report on Palaeo Channel of North West India)

- हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री द्वारा प्रख्यात भूविज्ञानी प्रोफेसर K.S. वल्दिया की अध्यक्षता में समीक्षा एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत के पैलियोचैनल पर एक रिपोर्ट जारी की गयी।
- समिति ने अवसादों के ढ़ेर के आकार एवं प्रकृति का अध्ययन किया जोकि किसी 'बड़ी नदी' द्वारा लाये गए प्रतीत होते हैं तथा वर्तमान में घग्गर, गंगा और यमुना में पाए जाने वाले अवसादों से समानता रखते हैं।
- यह रिपोर्ट जिस धारणा पर आधारित है, उसके अनुसार सरस्वती नदी हिमालय में आदिबद्री से निकल कर कच्छ के रण के रास्ते अरब सागर में जा मिलती थी।
- यह **उत्तर-पश्चिमी भारत के राज्यों की भूमि बनावट के अध्ययन** पर आधारित है और साथ ही भूवैज्ञानिक परिवर्तन को भी ध्यान में रखती है।
- इस नदी की दो शाखायें थीं:
  - ✓ पश्चिमी शाखा - वर्तमान में घग्गर-पटियालीवाली छोटी नदी(rivulet)
  - ✓ पूर्वी शाखा मरकंडा और सरसुती (टोंस-यमुना के नाम से भी जाना जाता है)
  - ✓ ये दोनों शाखायें पटियाला के 25 किमी दक्षिण में शतरना के पास मिलती हैं।

पैलियो-चैनल, उन प्राचीन नदी और नदी तंत्रों के असंगठित अवसाद या अर्द्ध-संगठित अवसादी चट्टानों के रूप में जमा अवसाद हैं, जो वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में हैं।

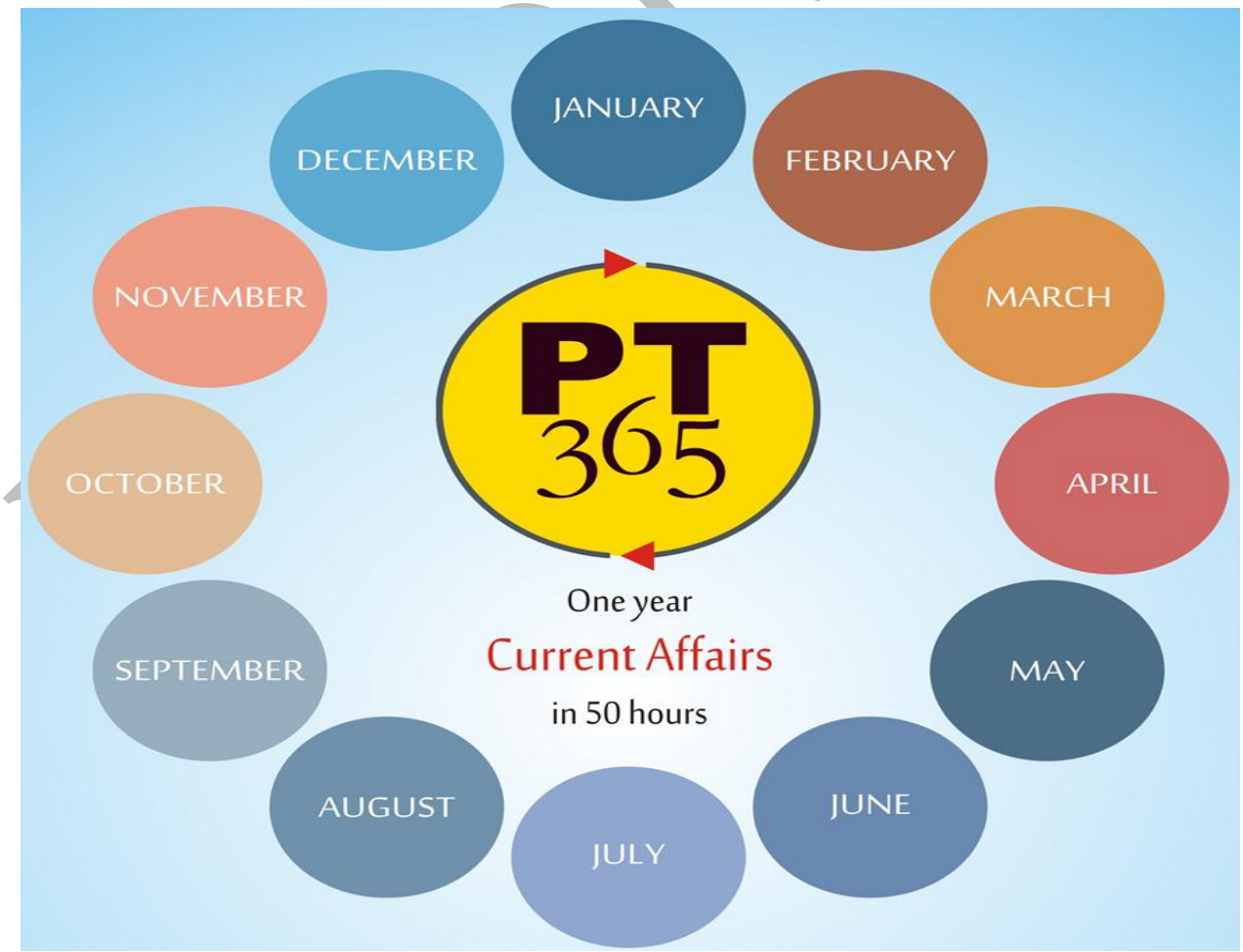

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव

(Rashtriya Sanskriti Mahotsav)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव-2016 का आयोजन किया गया।
- मंत्रालय के अंतर्गत सात क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों को दिल्ली के साथ ही विभिन्न शहरों में महोत्सव के आयोजन का कार्यभार सौंपा गया है।

यह क्या है?

- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सम्पन्न एवं विविध आयामों को प्रदर्शित करने के विचार से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की परिकल्पना की गई।
- महोत्सव में एक ही स्थान पर सभी कलाओं जैसे हस्तशिल्प, व्यंजन, चित्रकला, मूर्तिकला, लोक कलाओं, प्रलेखन और प्रदर्शन कलाओं- जनजातीय, शास्त्रीय और आधुनिक को प्रदर्शित किया गया।
- यह महोत्सव "एक भारत,श्रेष्ठ भारत" के प्रचार वाक्य के साथ विभिन्न शहरों में मनाया जाएगा।
- शिल्प पर आधारित माल निर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन मास्टर कारीगरों द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय विरासत को हुई अपूरणीय क्षति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन हो रहा है। यह प्रदर्शनी "स्वच्छ भारत अभियान" का हिस्सा होगी।

8.2. साहित्य में 2016 का नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Literature 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार "महान अमेरिकी गीत परंपरा के अंतर्गत नए काव्य भाव के निर्माण के लिए" बॉब डायलन को दिया गया है।
- वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले गीतकार है।

बॉब डायलन के कार्य के बारे में अधिक जानकारी

- 1941 में डुलुथ मिनेसोटा में, रॉबर्ट एलन ज़िम्मरमैन के रूप में जन्मे, डायलन ने स्वयं हार्मोनिका, गिटार और पियानो बजाना सीखा।
- हारमोनिका और एकॉस्टिक गिटार से लैस डायलन का सामना सामाजिक अन्याय, युद्ध और नस्लवाद से हुआ, शीघ्र ही वे नागरिक अधिकार आन्दोलन के प्रमुख सदस्य बन गए।

नोबेल शांति पुरस्कार 2016

- नोबेल शांति पुरस्कार 2016, कोलंबियन राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सैंटोस को दिया गया है।
- नोबेल अकादमी ने कोलंबिया में 52 वर्ष तक चले गृह युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए कोलंबियन राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया।

8.3.पंडित दीन दयाल उपाध्याय

(Deendayal Upadhayay)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितम्बर को कोझिकोड में पंडित दीन दयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले शताब्दी समारोह का शुभारम्भ किया। उनका जन्म 25 सितम्बर 1916 एवं निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ।
- वर्षभर चलने वाले उत्सव समारोहों में कल्याणकारी योजनाएं, अनुसंधान, कार्यशालाएं, सेमिनार और सभी भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी में किताबों का संपादन करना भी शामिल है।

दीन दयाल उपाध्याय के बारे में अधिक जानकारी

- दीन दयाल उपाध्याय एक भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ थे।
- उन्हीं के नेतृत्व में जनसंघ वर्ष 1967 में आधा दर्जन राज्यों में पहली बार सत्ता में आई।
- दीनदयाल उपाध्याय "एकात्म मानववाद" के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। यह विभिन्न संस्थाओं और जीवन के पहलुओं के बीच प्रत्यक्ष मतभेदों को स्वीकार करता है, लेकिन एक ही समय में उनमें अंतर्निहित एकता की खोज करने की भी मांग करता है।
- उनके अनुसार, भारतीय राज्य का आदर्श "धर्म राज्य" है, जो किसी भी व्यक्ति को शासक के रूप में नहीं स्वीकार करता है। धर्म राज्य की अवधारणा कर्तव्य उन्मुखता और लोगों के अधिकारों की अनुल्लन्घनीयता (inviolate) से जुड़ी है।
- उन्होंने योजना के विकेंद्रीकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों में विविधता और ग्राम आधारित उद्योगों के विचार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें सम्राट चन्द्रगुप्त, जगतगुरू शंकराचार्य और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर एक विश्लेषण शामिल है।

8.4. सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान

(Contributions of Sardar Vallabhbhai Patel)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में अंतर-राज्यीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार के इन प्रयासों में सरदार पटेल के योगदान को सबसे आगे रखा गया है।
- केन्द्र सरकार द्वारा एक डिजिटल प्रदर्शनी "एकजुट भारत: सरदार पटेल" को भी आरम्भ किया गया है।

महत्वपूर्ण योगदान

- वह कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे और महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने गुजरात के किसान आंदोलन की सफलता में एक अग्रणी भूमिका निभाई। वह खेड़ा (1918) और बारडोली (1928) सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण सत्याग्रही थे।
- वह महत्वपूर्ण कराची सत्र 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
- उन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सिविल सेवा के विकास में अहम भूमिका निभाई। वे स्वभाव से एक प्रशासक थे उन्होंने सिविल सेवकों में विश्वास जताया, जबकि अन्य लोग संशय में थे।
- स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राजनीतिक एकीकरण में वे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने में सहयोग किया। अगर वे नहीं होते तो देश कई छोटी-बड़ी इकाइयों में विभाजित हो जाता।
- गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नेहरू और पटेल ने साथ मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाई जिसने 1948 से 1950 तक, भारत पर शासन किया। प्रधानमंत्री नेहरू जनता में काफी लोकप्रिय थे, परन्तु पटेल ने अग्रिम पंक्ति के कांग्रेसी नेताओं, राज नेताओं और भारत के सिविल सेवकों की निष्ठा और विश्वास प्राप्त किया।
- वे अल्पसंख्यकों, जनजातीय और बहिष्कृत(excluded) क्षेत्रों, मौलिक अधिकारों और प्रांतीय संविधानों के लिए उत्तरदायी समिति के अध्यक्ष थे।

मुख्य परीक्षा, 1997
प्रश्न: परमोच्च शक्तिमत्ता की राज्य-अपहरण नीति के दुष्परिणामों को समाप्त (अपवारित) कर भारत की रियासतों के समाकलन करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रकार सफल हुए ? (250 शब्द)
मुख्य परीक्षा, 2013 (इसी के समान पूछा गया प्रश्न)
स्वतंत्रता पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदानों की विवेचना कीजिए? (200 शब्द)

8.5. हरिकथा

(Harikatha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पूरे भारत में विभिन्न संगठनों द्वारा हरिकथा को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरिकथा हिंदू धर्म में कथावाचन की एक पारंपरिक कला है।

हरिकथा क्या है?

- हरिकथा धार्मिक हिंदू प्रवचन का एक रूप है।
- हरिकथा का मुख्य उद्देश्य लोगों के हृदय में धर्म और सत्य की भावना को आत्मसात कराना है।
- इसकी जड़ें महाराष्ट्र के कीर्तन परंपरा में विद्यमान है।
- इसमें संगीत, कहानी, नृत्य, नाटक और दर्शन शामिल है।
- इसकी मुख्य विशेषता मजाकिया शैली में 'उपकथाओं' (उप-कहानियों) का आख्यान करना है।
- यह एक धर्मनिरपेक्ष कला नहीं है एवं यह अनिवार्य रूप से धार्मिक और शिक्षाप्रद है।
- कोई भी धार्मिक प्रसंग इसके विषय हो सकते हैं, जैसे एक संत के जीवन की कहानी।

8.6. अल्पना लोक कला

(Alpana Folk Art)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- INTACH (कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट) ने बंगाल की विलुप्त कला- अल्पना को पुनर्जीवित करने के लिए दरीचा फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। INTACH अल्पना के माध्यम से बालिकाओं के लिए राजस्व वृद्धि के तरीके भी तलाश कर रही है।

अल्पना क्या है?

- अल्पना बंगाल की एक लोक कला है, जिसे मुख्य रूप से फर्श और घर की दीवारों पर बनाया जाता है।
- पेंटिंग हाथ से (उंगलियों का उपयोग ब्रश के रूप में करके) की जाती है और पेंट मुख्य रूप से चावल के आटे को मिलाकर बना पेस्ट होता है।
- बनाये गए रूपांकन विधि-विधान संबंधी चित्र होते हैं जो पुराण और शास्त्रों से लिए जाते हैं।
- घर की महिलाओं द्वारा सामान्यतः सूर्यास्त से पहले अल्पना बनाया जाता है।
- इसे बुरी आत्माओं से बचाव करने वाला माना जाता है और विशेष रूप से त्योहारों या शादियों जैसे विशेष अवसरों पर तैयार किया जाता है।

8.7. कबड्डी विश्व कप

(Kabaddi World Cup)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने कबड्डी विश्व कप 2016 के फाइनल में ईरान को हराकर लगातार तीसरी बार ख़िताब जीता।

कबड्डी

- कबड्डी एक संपर्क खेल (contact sport) है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई।
- इसका उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं में भी किया गया है।
- यह भारतीय उप-महाद्वीप के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है।
- इसे तमिलनाडु में सडूगुडू, कर्नाटक में कबड्डी, बंगाल में हदुदु, मालदीव में भावतिक, पंजाब क्षेत्र में कौड्डी और आंध्र प्रदेश में चेडुगुडु के रूप में जाना जाता है।
- इसलिए आधुनिक कबड्डी विभिन्न नामों के तहत कबड्डी के विभिन्न रूपों का एक संश्लेषण है।
- भारत में मुख्य रूप से कबड्डी के चार प्रकार प्रचलित हैं: संजीवनी कबड्डी, गामिनी शैली, अमर शैली और पंजाबी कबड्डी।
- भारतीय कबड्डी संघ 1950 में स्थापित किया गया था।
- इस खेल ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान अंतरराष्ट्रीय पहुँच प्राप्त की।

VISION IAS

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. नाशक जीवों से संबंधित मुद्दे

(Vermin Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972" के तहत उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नील गाय, जंगली सुअर, रीसस बंदर जैसे जंगली जानवरों को "नाशक जीव" घोषित कर उन्हें मारने (culling) की मंजूरी दे दी है।
- केंद्र ने दिसंबर 2015 के बाद हुई विभिन्न घटनाओं के मद्देनज़र इन सूचनाओं को जारी किया है, जो एक साल के लिए प्रभावी हैं।

संबंधित मुद्दे

- एक बार नाशक जीव घोषित कर दिये जाने पर, यह उन शिकारियों के लिए खुली छूट हो जाएगी जो इन जानवरों के मांस का उपयोग करते हैं।
- एक RTI के परिणामस्वरूप यह पता चला है कि विशिष्ट क्षेत्रों में इन जंगली जानवरों में से प्रत्येक की आबादी के बारे में उचित वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

नैतिक सवाल / जुड़े मुद्दे

- नाशक जीवों को मारने से, मानव की मौद्रिक हानि या अन्य मामलों में जान से मार डालने / हिंसा की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
- यह अस्पष्ट है कि क्या मानव, संपत्ति और कृषिभूमि की सुरक्षा के लिए जानवरों को मारना नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित है, जबकि यह मनुष्य ही है जिसने उनके आवास को नष्ट कर दिया है।
- यह एक दुविधा पैदा करता है कि क्या जीवों को मारना ही एक स्थायी समाधान है जबकि जानवरों की जनसंख्या गतिशीलता का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

क्या किये जाने की जरूरत है?

- वैज्ञानिक अध्ययनों से इस समस्या की जड़ का पता किया जाना चाहिए। इसी तरह कर्नाटक में, रीसस बंदर भोजन के लिए मानव आवास पर हमला आबादी में बढ़ोत्तरी के कारण नहीं बल्कि भोजन की अनुपलब्धता के कारण कर रहे हैं।
- इन जानवरों के प्राकृतिक वास को बहाल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- निगरानीकृत न्यूनीकरण (culling) की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि शिकारियों को स्थिति का लाभ उठाने से रोका जा सके।
- जानवरों की बढ़ती आबादी के मुद्दे को हल करने लिए जंगली जानवरों का टीकाकरण और बंध्याकरण किया जाना चाहिए।
- जंगली जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए अस्थाई न्यूनीकरण किया जा सकता है। हालांकि, यह एक व्यवहार्य दीर्घकालिक समाधान नहीं है।

नाशक जीव कौन हैं?

- नाशक जीव घोषित किसी भी पशु का शिकार करने के लिए जेल की सजा या किसी भी प्रकार की अन्य सजा नहीं दी जाती।
- विधि के अनुसार हर राज्य को नाशक जीव के रूप में घोषित किये जाने हेतु पशुओं की सूची केंद्र को देने की अनुमति है।
- ऐसे जीवों को नाशक जीव के रूप में अधिसूचित किया जाता है जो फसल, संपत्ति या मानवों के लिए संकट उत्पन्न करते हैं।
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत नाशक जीवों को रखा जाता है। अनुसूची 5 में शामिल कुछ जीव हैं: सामान्य कौवा, चमगादड़, और चूहे।

9.2. न्याय बनाम शांति

(Peace Versus Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफगानिस्तान शांति समझौता

- अफगानिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा गुलबुद्दीन हिकमतयार के नेतृत्व वाले आतंकवादी गुट हिज़्ब-ए-इस्लामी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता हिकमतयार को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होकर सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है।

VISION IAS

- राष्ट्रपति के रूप में गनी द्वारा पाकिस्तान की मदद से तालिबान के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई है, जो विफल रही। इसलिए, शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के पास इन स्थानीय गुटों के सरदारों के साथ एकता और सहयोग करना ही एकमात्र विकल्प है।

कोलम्बिया बनाम FARC (रेवोलुशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ़ कोलंबिया)

- अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न राष्ट्रपति सैंटोस को इस बात का एहसास था कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। इसी विचार के कारण क्यूबा की मध्यस्थता में चार वर्ष पूर्व से चल रही विद्रोहियों के साथ वार्ता शांति समझौते के रूप में संपन्न हुई।
- उन्होंने शांति समझौते पर एक जनमत संग्रह का आयोजन किया, जिसमें काफी कम अंतर के साथ बहुमत ने 'नहीं' के पक्ष में वोट किया।

विश्लेषण

"वास्तविक शांति केवल तनाव की अनुपस्थिति नहीं है; यह न्याय की उपस्थिति है।"- मार्टिन लूथर किंग जूनियर

("True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice."-Martin Luther King Jr.)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- सम्पूर्ण ऐतिहासिक काल में, बड़े पैमाने के अत्याचारों (mass atrocities) को सीमित साधनों के माध्यम से समाप्त किया गया है। बड़े पैमाने पर अत्याचार, बलात्कार और हत्या का आतंक या तो राजनयिकों के अथक और रचनात्मक कार्यों द्वारा बंद कर दिया गया था (उदाहरण: नाजी युद्ध अपराध - न्यूरेमबर्ग परीक्षण, जर्मनी) या प्राकृतिक रूप से समाप्त हो गया– लेकिन यह दुखद प्राकृतिक अंत तब हुआ जब एक पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। (उदाहरण: पाकिस्तान में हिंदू, अहमदिया मुसलमान आदि, या ISIS द्वारा याज़िदी का अंत)
- इस तरह के अपदस्थ शासनों में जीवित बचे लोगों को उनकी स्वयं की सरकारों द्वारा उन पर किये गए अपराधों के लिए किसी भी समाधान के बिना शांति के लिए संघर्ष करना पड़ा। (उदाहरण: गृह युद्ध के बाद सीरिया और इराक के लोगों द्वारा)

वर्तमान स्थिति

- **परिवर्तित चिंतनफलक (पैराडाइम)**: न्यूरेमबर्ग, टोक्यो और द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरवर्ती अन्य ट्रायल्स से व्युत्पन्न कानूनी सिद्धांत इसी के प्रमाण हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण:

- ✓ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय(ICC) – ICC, नरसंहार के अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों (या क्रूर अपराधों) पर मुकदमा चलाने के लिए प्रथम और एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
- ✓ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICTY) था।

कूटनीति / न्याय से अधिक शांति को महत्व

- आमतौर पर शक्तिशाली अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले अत्याचारों के मामलों में अनुसरण किया जाने वाला दृष्टिकोण न्याय के साथ समझौते का है।
- हिंसा समाप्त करने की त्वरित चिंता का प्रायः यह परिणाम निकला कि अधिकांश युद्ध अपराधों और मानवता के विरूद्ध अपराधों को क्षमा कर दिया गया।
- यह कभी-कभी शांति के लिए एक बाधा साबित हुआ है, जब न्याय करने की आवश्यकता थी।
- मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय हस्तक्षेप के माध्यम से आक्रामक सत्ता परिवर्तन, नर-संहारों की समाप्ति को और अधिक कठिन बना देता है। अधिकांश क्षेत्रों में, आपराधिक उत्पीड़क, आतंकवादी गुट और सरकारें, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल हिंसा का उपयोग करते हैं।

VISION IAS

- **इतिहास से सबक:** इतिहास से यह पता चलता है कि वह कूटनीति है, जिससे बड़े पैमाने के अत्याचार बंद हो जाते है।

✓ ब्रिटिश संसद के इयान पैस्ले के अनुसार, " सुलह और कूटनीति के माध्यम से शांति प्राप्त करने की अपेक्षा न्याय को गौड़ (secondary) होना चाहिए, न्याय के पहियों को उनकी अपनी गति से चलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इससे शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए।"

न्याय से अधिक शांति को महत्व देने के पक्ष में तर्क

अफगान मामला

- यह तालिबान और अन्य समूहों के साथ इसी तरह के शांति समझौते करने की ओर पहला कदम है।
- तालिबान और अन्य उग्रवादी समूहों को यह प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर है कि उनका क्या निर्णय है:

✓ लोगों के साथ रहना और हिज़्ब-ए-इस्लामी के समान सम्मानित शांति के कारवां में शामिल होना, या

✓ लोगों का झगड़ा करना और रक्तपात को जारी रखना।

कोलम्बियाई मामला

- कोलम्बिया ने अपने पांच दशक लम्बे गृहयुद्ध को समाप्त करने का अवसर गंवा दिया।
- यदि रविवार को संपन्न हुए जनमत संग्रह में शांति समझौते पर 'हाँ' के पक्ष में वोट दर्ज किया गया होता तो:

✓ यह तुरंत विद्रोहियों के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के प्रस्ताव को निर्धारित करता।

✓ FARC में ओहदे और पद धारण करने वाले अधिकांश लोगों को सामान्य नागरिक जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी जा सकती थी।

✓ नेतृत्वकर्ताओं के सम्बन्ध में कम दंड के साथ विशेष न्यायालयों में निर्णय किया जाता।

आपराधिक अभियोग/ शांति के ऊपर न्याय को महत्व

- केवल हिंसा की समाप्ति के लिए शांति स्थापित करने का दृष्टिकोण यहाँ पर भी रहा है, लेकिन स्थायी शांतिपूर्ण माहौल का नहीं(जैसा कि चित्र में दिखाया गया है)। और इस स्थायी शांतिपूर्ण माहौल के लिए न्याय महत्वपूर्ण है।
- **इतिहास से सबक**: इतिहास सबूत है कि केवल कूटनीति के माध्यम से प्राप्त "शांति" आमतौर पर अस्थायी और तुरंत समाप्त होने वाली होती है। इसके अतिरिक्त "कूटनीति सर्वोपरि है" यह मानसिकता, घातक भी हो सकती है।

शांति के ऊपर न्याय को महत्व देने के पक्ष में तर्क

अफगान मामला

- हिकमतयार को अतीत में किये गए अपराधों में उसकी कथित भूमिका के लिए कोई भी सजा मिलने की संभावना नहीं है।
- हिकमतयार की वापसी "दण्ड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ाएगी"।
- आपराधिक कार्य करने वालों की गलतियों को संबोधित नहीं करना, संघर्ष को फिर से संगठित करने के लिए या नए लोगों को पैर जमाने का अवसर प्रदान करता है।

कोलंबियाई मामला

- विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता द्वारा हिंसा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह वार्ताएं, शायद ही कभी लोकतांत्रिक, न्यायप्रिय समाज की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रों को अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपराध और हिंसा का प्रयोग करने के लिए पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रों का इस तरह का व्यवहार, निरंतर ब्लैकमेल/भयादोहन को प्रोत्साहित करते है जिससे सरकारों द्वारा तब तक अधिक यातना और मौत की धमकी दी जाती है जब तक की उनकी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है, जैसाकि लीबिया में गद्दाफी ने करने का प्रयास किया और सीरिया में बशर अल-असद वर्तमान में कर रहा है। इसलिए, शांति ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। न्याय के लिए मजबूत प्रणाली के साथ जोड़ने से यह "राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा' के विचार को अनुचित सिद्ध करती है।

आगे की राह

व्यावहारिक दृष्टिकोण:

- "कानून के शासन" और "आपराधिक न्याय" की अवधारणायें केवल आधुनिक मानव इतिहास में ही आयी है और इनकी उत्पत्ति में कई सदियां लगी है।
- "अंतरराष्ट्रीय अपराध" और अपने आचरण के लिए "व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी" की अवधारणाएं और भी नई हैं।

VISION IAS

- यह मांग करना मूर्खतापूर्ण और निरर्थक है कि सभी आपराधिक घटनाओं को रातोंरात उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा हल किया जाए। समय, आवश्यकता और तर्कसंगतता के मिश्रण के साथ, आपराधिक कानून को शक्तिशाली रूप से समान तौर पर लागू किया जाएगा।

कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई: पारंपरिक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय अभियोग दोनों की वर्तमान में व्याप्त संघर्ष या आगे आने वाले संघर्षों में अपनी-अपनी भूमिकायें है, और इन्हें आपस में सामंजस्य स्थापित करके कार्य करना चाहिए।

शांति और न्याय का सह-अस्तित्व:

- शांति और न्याय के दो लक्ष्य अलग-अलग न होकर, एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।
- शांति, स्थायी और दीर्घकालिक शांति के रूप में होनी चाहिए। और इसके लिए इसे संघर्ष समाप्त करने के तात्कालिक लक्ष्य से आगे बढ़कर निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए न्याय और जवाबदेहिता पर निर्भर रहना चाहिए।

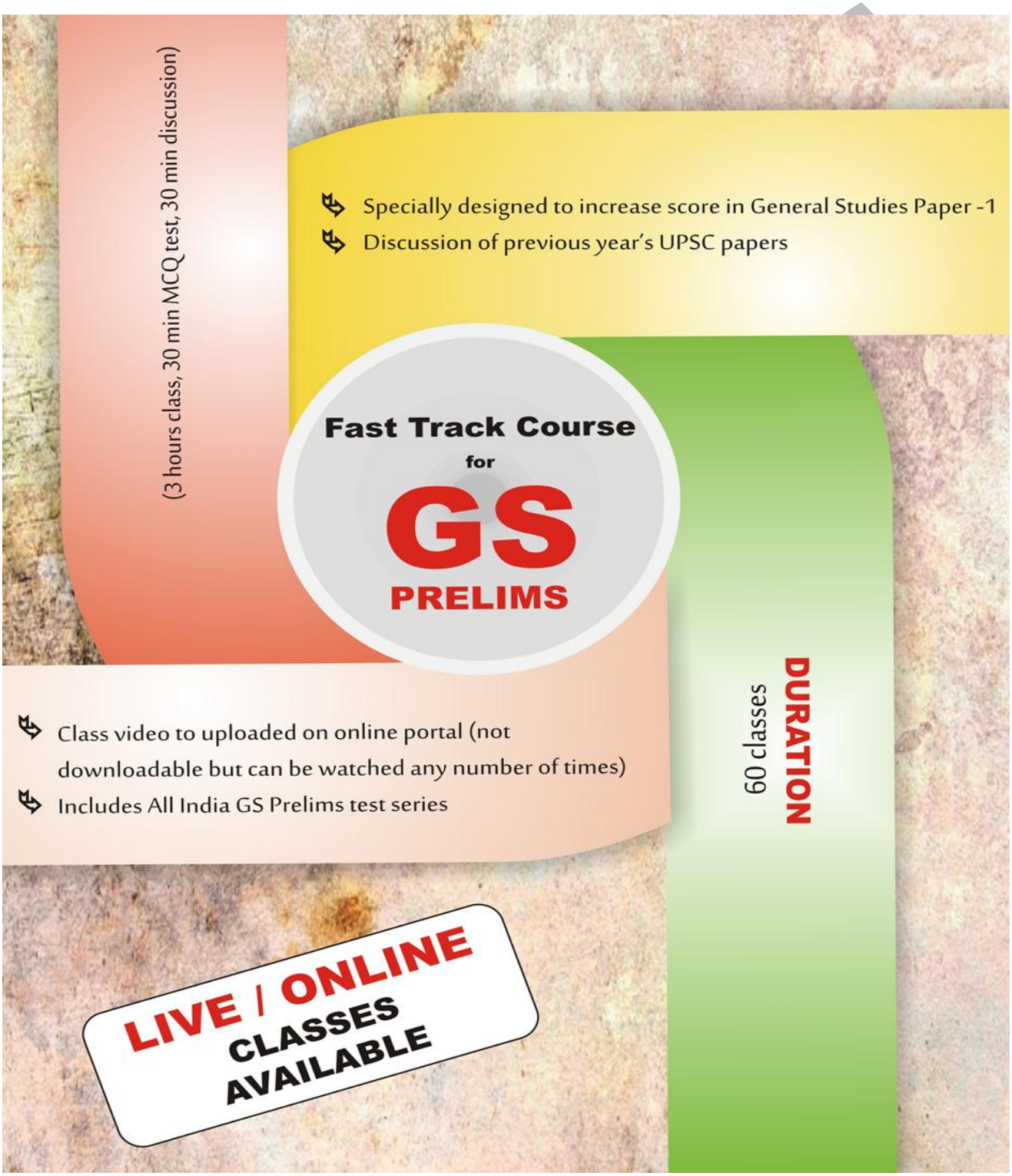

10. सुर्ख़ियों में

(ALSO IN NEWS)

10.1. राजव्यवस्था

(Polity)

10.1.1. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली(CPGRAMS) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया।
- यह लोक शिकायतों के निवारण की दिशा में एक बड़ी पहल है, क्योंकि शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासनिक मशीनरी का अभिन्न अंग होता है।
- शिकायत निवारण तंत्र, दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का पैमाना है क्योंकि यह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण फीडबैक देता है।

CPGRAMS क्या है?

- CPGRAMS एक ऑनलाइन वेब सक्षम एप्लीकेशन है जो जनता की शिकायतों के शीघ्र निवारण को सुगम बनाता है। यह नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
- यह प्रणाली संबंधित मंत्रालय/विभाग/सरकारी संगठन की आवश्यकता के अनुसार कई स्तरों तक विस्तारित किये जाने हेतु पर्याप्त लचीला (flexible) है, जिससे शिकायतों का शीघ्र अग्रेषण और निवारण किया जा सके।
- लोक शिकायत पोर्टल पिछले कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित हुआ है:
- ✓ लोक शिकायत से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में सेवा देना तथा इन शिकायतों के निवारण की निगरानी करना।
- ✓ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और अपनी शिकायत की स्थिति का ट्रैक रखने हेतु नागरिकों को सक्षम बनाना।
- ✓ बिना किसी देरी के जाँच एवं कार्रवाई करने में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सक्षम बनाना।
- ✓ संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तक शिकायतों के भौतिक अग्रेषण को कम करना/ खत्म करना।

10.1.2. एम्प्लॉइज ऑनलाइन मोबाइल एप्प

(Employees Online Mobile App)

- हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एम्प्लॉइज ऑनलाइन (EO) मोबाइल एप्प का शुभारम्भ किया।

EO App कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग(DoPT) का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह उपयोगकर्ता को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति(ACC) द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों एवं पद स्थापना(पोस्टिंग) तथा भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों से वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार पर अवगत रहने में सक्षम बनाएगा।

EO App की विशेषताएँ

- देश भर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS) के अधिकारी आसानी से अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, अचल परिसंपत्ति रिटर्न, पद स्थापन (पोस्टिंग), घरेलू और विदेशी प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में विवरण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे।
- EO App भारत सरकार में स्थानांतरणों और पद स्थापनों (पोस्टिंग) के संबंध में लगायी जाने वाली अटकलबाजियों को कम कर देगा।
- यह नागरिकों द्वारा सरकार संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रस्तुत किए जाने वाले सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों की संख्याओं को भी नियंत्रित करेगा क्योंकि अधिकतर विवरण वास्तविक समय(रियल-टाइम) आधार पर जनता के लिए ऑनलाइन रखे जाएंगे।

VISION IAS

- **महत्व-** EO App अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की भावना के संगत है। यह पारदर्शिता एवं ई-शासन की दिशा में एक और कदम है। यह **तंत्र को पूर्ण रूप से पारदर्शी** बनाएगा क्योंकि सारे प्रासंगिक आदेश एवं अधिसूचनायें अब तत्काल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होंगी।

10.1.3. आयुर्वेद के प्रथम राष्ट्रीय दिवस का आयोजन

(First National Day of Ayurveda Celebrated)

- इस वर्ष 28 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया।
- इस अवसर पर राष्ट्रीय धन्वन्तरि आयुर्वेद पुरस्कार भी दिए गए।
- "आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण" पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इसमें मधुमेह की रोकथाम और उपचार में आयुर्वेद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

10.2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(International Relations)

10.2.1 संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का भाषण

(India's Speech at UNGA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसे एक सुविचारित और अच्छी तरह से तैयार भाषण के रूप में माना गया जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ ही आतंकवाद जैसे भारत के लिए चिंता के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया गया।

भाषण का महत्व

- **युद्ध के ऊपर कूटनीति को वरीयता:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तान को कूटनीतिक रुप से अलग-थलग किया। भारत ने इस संबंध में एक मजबूत संदेश दिया कि देश में किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को सहन नहीं किया जायेगा।
- **कश्मीर पर कोई समझौता नहीं:** भारत ने स्पष्ट शब्दों में जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया।
- **बलूच में अधिकारों के हनन का मामला उठाया:** भारत ने बलूच मुद्दे को उठाया और इस प्रकार ब्रह्मदाग बुगती को राजनीतिक शरण देने के अपने फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया। यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बलूचिस्तान को एक मुद्दा बनाने में मदद करेगा।
- **जब तक आतंकवाद है तब तक कोई बातचीत नहीं:** भारत ने बातचीत के लिए "नो टेरर" की पूर्व शर्त लगाई और संयुक्त राष्ट्र से भारत-प्रस्तावित **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय** (काम्प्रिहेन्सिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म: CCIT) को पारित करने का आग्रह किया। CCIT एक कानूनी ढांचे का प्रावधान करता है जिसके तहत सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे आतंकवादी समूहों को धन और सुरक्षित ठिकाने नहीं प्रदान करें।
- **सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता:** स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन-धन योजना और कौशल भारत कार्यक्रम के माध्यम से भारत द्वारा किये प्रयासों के लिए भारत की SDGs के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की गई।

10.3. अर्थव्यवस्था

(Economy)

10.3.1. ओपेक द्वारा सामूहिक उत्पादन सीमित करने का निर्णय

(OPEC's Decision to Trim Collective Output)

- ओपेक देशों ने अल्जीयर्स में अपने तेल उत्पादन को मौजूदा 3.34 करोड़ बैरल रोजाना से घटाकर 3.25-3.30 करोड़ बैरल तक सीमित रखने का फैसला किया।
- यह पहली बार है जब ओपेक देशों ने तेल की कीमत में कटौती का फैसला किया है, जबकि पिछली बार 8 वर्ष पूर्व वित्तीय संकट के दौरान तेल की कीमत में गिरावट आयी थी।
- यह कदम वैश्विक तेल की कीमतों में लगातार गिरावट एवं मांग और आपूर्ति के असंतुलन के आलोक में उठाया गया जिससे कार्टेल के देशों की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

- सउदी अरब, कार्टेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो प्रारंभ में उत्पादन में कमी के विरुद्ध था, इसका राजकोषीय घाटा 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का 16% था एवं इसे एक दशक से अधिक समय में पहली बार विदेशी उधार लेना पड़ा था।
- हालांकि, ईरान को तत्काल उत्पादन की उच्चतम सीमा से छूट दी गई है क्योंकि ईरान से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हाल ही में हटाया गया है।

10.3.2. OROP पर जस्टिस रेड्डी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

(Justice Reddy Committee on OROP Submits Report)

- वन रैंक वन पेंशन(OROP) पर जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति ने OROP के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों के मूल्यांकन पर अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंप दी है।
- OROP योजना, सेवा की समान अवधि के साथ एक ही रैंक में सेवानिवृत्त हो रहे सैन्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना,समान पेंशन का प्रावधान करती है।

10.3.3. दिवाला और दिवालियापन बोर्ड

(Insolvency and Bankruptcy Board)

- केंद्र ने एम. एस. साहू की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का गठन किया है।
- IBBI का मुख्य कार्य केंद्र द्वारा पूर्व में अधिसूचित दिवालियापन संहिता 2016 के तहत दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों तथा दिवाला और सूचना उपयोगिताओं के कामकाज को विनियमित करना होगा।
- वर्तमान में इसमें चार सदस्य शामिल किये गए हैं जिनकी संख्या बढाकर 10(चेयरमैन सहित) किये जाने की योजना है।

10.3.4. सागर पत्तन (SAGAR PORT)

केंद्र सरकार ने हाल ही में सागर पत्तन के निर्माण हेतु 515 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है।

यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप समूह में 12,000 करोड़ रुपये में प्रस्तावित गहरा समुद्री पत्तन है।

कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, हुगली नदी के उथले जल के कारण बड़े जहाजों को संभाल नहीं सकते। अतः पश्चिम बंगाल में एक वैकल्पिक पत्तन की आवश्यकता है।

10.3.5. स्वचालन के चलते भारत में 69% रोजगारों को खतरा: विश्व बैंक

(Automation Threatens 69% of Jobs in India: World Bank)

- विश्व बैंक के एक शोध के अनुसार प्रौद्योगिकी, विश्व के विकासशील देशों में पारंपरिक आर्थिक पथ को मूल रूप से बाधित कर सकती है।
- इसके अनुसार रोबोटिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और यूबिक्विटस हाई स्पीड नेटवर्क जैसे निरंतर उन्नत होते तकनीकी विकास के कारण पारंपरिक अकुशल श्रम की आवश्यकता कम होती जा रही है।
- इस रूप में यह स्थिति भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हो जाती है क्योंकि यहाँ दुनिया की अकुशल और अल्प कुशल श्रमशक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा विद्यमान है।
- परिणामस्वरूप भारत में लगभग 69 प्रतिशत (और चीन में 77 प्रतिशत) रोजगारों पर खतरा उत्पन्न हो गया है ।
- विश्व बैंक के अनुसार बढ़ती कृषि उत्पादकता से विनिर्माण और तत्पश्चात पूर्ण औद्योगीकरण का पारंपरिक आर्थिक पथ, सभी विकासशील देशों के लिए संभव होना अनिवार्य नहीं है।

10.4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(Science and Tech)

10.4.1.पॉइंट निमो- पृथ्वी पर अगम्यता का बिंदु

(Point Nemo- the Point of Inaccessibility on Earth)

- भूमि से सर्वाधिक दूर स्थित बिंदु "अगम्यता का समुद्री ध्रुव (oceanic pole of inaccessibility)" पॉइंट निमो(Point Nemo) के रूप में भी जाना जाता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 'कोई नहीं' है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1992 में की गई थी।

- यह सुदूर समुद्री स्थान, निकटतम भूमि, ड्यूसी द्वीप से 2,688 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।
- चूंकि पॉइंट निमो, दक्षिण प्रशांत चक्रगति (Gyre) में स्थित है और यह इतने एकांत में है कि हवा भी यहाँ तक कोई जैविक पदार्थ नहीं पहुंचा पाती, अत: यहाँ अस्तित्व के लिए भोजन की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है।
- इस प्रकार, कोई सामग्री, "समुद्री बर्फ" के रूप में भी ऊपर से नहीं गिरती, फलस्वरूप यहाँ समुद्री सतह जीवन विहीन है तथा यह क्षेत्र वैश्विक समुद्र के सर्वाधिक निष्क्रिय जैविक क्षेत्रों में से एक है।
- इस चरम वातावरण में, यहाँ महज़ कुछ बैक्टीरिया ही पनप सके हैं। ये प्रशांत और नज़का टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा के उतरोत्तर एक-दुसरे के विपरीत गति करने से होने वाले विस्फोट द्वारा उत्सर्जित रसायनों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं।

10.5. पर्यावरण

(Environment)

10.5.1. नीलकंठ (इन्डियन रोलर बर्ड)

(Indian Roller Bird)

- अनुसूची IV के तहत संरक्षित इन्डियन रोलर बर्ड के अवैध शिकार में निरंतर वृद्धि, इस प्रजाति को लुप्तप्राय बना रही है।
- इन्डियन रोलर या नीलकंठ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे विभिन्न राज्यों का राज्य पक्षी है। यह तेलंगाना में दशहरा त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है।
- यह पक्षी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की चौथी अनुसूची के तहत संरक्षित है। इसके अनुसार इस पक्षी को पकड़ना और इसका प्रदर्शन करना गैरकानूनी है तथा इसके लिए 25,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा तीन वर्ष तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

10.5.2. भारत और श्रीलंका का तेल रिसाव को रोकने के लिए संयुक्त अभ्यास

(India and Sri Lanka Joint Exercise to Prevent Oil Spill)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारत और श्रीलंका ने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ "समुद्र पहरेदार", जो द्वीपीय देश श्रीलंका की दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर था, पर तेल रिसाव रोकथाम के लिए संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया।
- चूँकि भारत और श्रीलंका दोनों अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के सबसे व्यस्ततम नेटवर्क के नज़दीक अवस्थित है, अतः दोनों देशों के लिए तेल रिसाव के विरुद्ध उपचारात्मक कार्यवाई के लिए तत्पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- जलयानों से तेल रिसाव जो ऑइल प्लेटफ़ॉर्म के साथ टकराव या विभिन्न अन्य सम्बंधित कारणों से होता है, ने समुद्री पर्यावरण पर महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर दिया है।

10.5.3. पीका की नई प्रजाति की खोज

(New Species of Pika Discovered)

- यह खरगोश परिवार से संबंधित एक स्तनपायी प्रजाति है।
- ये सिक्किम हिमालय में पाये जाते हैं।
- इस नई प्रजाति को ओकोटोना सिकिमरिया (Ochotona sikimaria) नाम दिया गया है।
- पीका पहाड़ी क्षेत्रों में या शीतोष्ण क्षेत्रों में रहते हैं।
- पीका ऐसी ठंडी जलवायु में रहने वाले अन्य स्तनधारी प्रजातियों के विपरीत शीतनिष्क्रिय नहीं होते हैं।
- पीका एक कीस्टोन प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हैं।
- हालांकि यह नयी प्रजाति पहाड़ी पीका के समान दिखती है लेकिन आनुवंशिक रूप से यह पूरी तरह से अलग है। इसलिए इस उप-प्रजाति को एक अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

VISION IAS

- उत्तरी अमेरिका में अध्ययन के आधार पर पीका को जलवायु परिवर्तन का संकेतक माना जाता है।

एक **कीस्टोन प्रजाति** वे पौधे या जानवर होते हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों के लिए अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीस्टोन प्रजातियों के बिना, पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न हो सकता है या इसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो सकता है।

10.5.4. तमिलनाडु, स्थानिक पुष्प वाले पौधों की सूची में अव्वल

(T.N. Tops List of Endemic Flowering Plants)

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाए जाने वाले पुष्प वाले पौधों की प्रत्येक चार प्रजातियों में से लगभग एक स्थानिक है।
- तमिलनाडु में पुष्प वाले पौधों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक 410, इसके उपरांत केरल में 357 तथा तत्पश्चात महाराष्ट्र में 278 है।
- भारत में सूचीबद्ध 18259 पुष्प वाले पौधों में से करीब 4303 (23 प्रतिशत से अधिक) भारत के स्थानिक पौधे हैं।
- पश्चिमी घाट 2,116 प्रजातियों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके उपरांत 466 प्रजातियों के साथ पूर्वी हिमालय है।
- भारत में लाल चन्दन, ऐसी स्थानिक प्रजाति का पौधा है जिसका सर्वाधिक दोहन किया जाता है। यह सिर्फ पूर्वी घाट के दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा गंभीर संकटग्रस्त (critically endangered) श्रेणी में रखा गया है।

10.5.5 वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका में मीथेन के 500 समुद्रतलीय छिद्र प्राप्त किये गए

(Scientists find 500 US SeabedVents of Methane)

- अमेरिका के नेशनल ओशनिक एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के गहरे जल खोज अभियान में अमेरिका के पश्चिमी समुद्री किनारे के आस-पास **मीथेन के 500 गहरे समुद्री छिद्रों** की खोज की गयी। इसके बाद अब तक खोजे गए ऐसे छिद्रों की संख्या 1000 तक पहुँच गयी।
- दुनिया भर में, वैज्ञानिक बढ़ते समुद्री तापमान और छिद्रों की बढती संख्या में सबंध को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
- मीथेन प्राकृतिक रूप से पूरे विश्व में कई स्थानों पर समुद्री सतह से उत्सर्जित होती है जिसके वायुमंडल तक पहुँचने की स्थिति में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है।

सन्दर्भ

- **ऊष्मजलीय छिद्र एवं शीतल रिसाव बिंदु (*Hydrothermal vents and cold seeps*)**, समुद्र तल में ऐसे स्थान हैं जहाँ से होकर रसायन-समृद्ध तरल बाहर निकलते हैं। ये अधिकांशत: अत्यंत कठोर वातावरण में समुदायों को जीवन हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- प्रकाशीय क्षेत्र के नीचे बहुत से सूक्ष्मजीवों ने रसायन संश्लेषी प्रक्रियाओं को विकसित कर लिया है जो समुद्री जल में निहित ऑक्सीजन का उपयोग हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन तथा छिद्र एवं शीतल रिसाव बिंदु में मौजूद अन्य रसायनों के ऑक्सीकरण से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को अक्सर उनके आवास की स्थिति की चरम प्रकृति के लिए **extremophiles** कहा जाता है।

10.5.6. स्मूथ कोटेड औटर

(Smooth-Coated Otter)

- कृष्णा जिले में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य से सटे मैन्ग्रोव वन में पहली बार **स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव (औटर)** देखा गया।
- ऊदबिलाव की उपस्थिति मैन्ग्रोव आवरण में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- ये दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य (**Vulnerable**) के रूप में सूचीबद्ध है।

आबादी के प्रमुख क्षेत्र:

- **उत्तर में कॉर्बेट और दुधवा** बाघ अभयारण्यों और कतरनियाघाट वन्यजीव अभयारण्य,
- **पूर्वोत्तर भारत** में **काजीरंगा** राष्ट्रीय उद्यान ,
- **पूर्वी तटीय भारत** में **सुंदरबन**, **भीतरकणिका** और **कोरिंगा**; तथा
- **दक्षिण भारत** में पेरियार टाइगर रिजर्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान।